लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

[खंड 46 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XLVI contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 24—शुक्रवार, 17 सितम्बर, 1965/26 भाद्र, 1887 (शक)

No. 24—Friday, September 17, 1965/Bhadra 26, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
689	कच्चा लोहा ढलाईघर सम्बन्धी तालिका	Foundry Pig Iron Panel	2385–86
690	कपड़ा उद्योग	Textile Industries . . .	2386–88
691	सरकारी क्षेत्र में कागज का निर्माण	Manufacture of Paper in Public Sector	2388–91
693	दिल्ली में वृत्ताकार रेलवे	Circular Railway in Delhi	2391–93
694	इस्पात के भारी ढांचे बनाने का संयंत्र	Heavy Structural Steel Plant .	2393–94
695	युगांडा में चीनी उद्योग	Sugar Industry in Uganda .	2395–97
696	विश्रामपुर कोयला खान	Bisrampur Colliery . . .	2397–99
697	सरकारी कर्मचारियों को स्कूटरों का आवंटन	Allotment of Scooters to Government Employees . . .	2399–2401
698	स्वदेशी इस्पात संयंत्र, रांची	Swadeshi Steel Plant, Ranchi .	2401–02
699	भारी इंजीनियरी निगम, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	2402–04
700	कोयला खानों के प्रबन्ध पर अधिकार	Taking over of Coal Mines	2404–05
704	उदयपुरमें जस्ता पिघलाने का कारखाना	Zinc Smelter Plant at Udaipur .	2405–06

अ० सू० प्र० संख्या

S. N. Q. No.

5.	पांचवे इस्पात संयंत्र का स्थल	Location of 5th Steel Plant .	2406–08

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

692	नेपा अखबारी कागज मिल	Nepa Newsprint Mill	2408–09
701	भिलाई में ऊष्मसह वस्तुयें बनाने का कारखाना	Refractory Plant at Bhilai	2409
702	कोयला खनन मशीनों का निर्यात	Export of Coal Mining Machinery	2409

*किसी नाम पर अंकित यह+चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
703	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings .	2409
705	पाकिस्तान को कोयले का निर्यात	Export of Coal to Pakistan .	2410
706	हैवी इलेक्ट्रिकल्स प्राजेक्ट, रानीपुर	Heavy Electricals Project, Ranipur	2410
707	4–डाउन कामरूप एक्सप्रैस रेलगाड़ी की दुर्घटना	Accident to 4-Down Kamrup Express Train . . .	2411
708	ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors .	2411–12
709	राखा परियोजना के लिये तांबा	Copper for Rakha Project .	2412
710	हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाना, बंगलौर	H. M. T. Factory at Bangalore	2412–13
711	पटसन का मूल्य	Price of Jute	2413
713	सरकारी क्षेत्र में उद्योग	Industries in Public Sector .	2413
714	उत्तर रेलवे पर विद्युतीकरण	Electrification on Northern Railway	2414
715	आयात प्रशुल्क अनुसूची	Import Tariff Schedule . .	2414–15
716	आयात अभिनवीकरण तथा आयात प्रतिस्थापन समिति	Import Rationalization and Import Substitution Committee .	2415
717	राज्य व्यापार निगम द्वारा कारों की बिक्री	Sale of Cars by S. T. C. .	2415–16
718	लोहे और इस्पात का निर्यात	Export of Iron and Sector .	2416

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
2311	हिन्दुस्तान मशीनी औज़ार कारखाना, पिंजोर	H. M. T. Factory at Pinjore .	2416
2312	झींगा (प्रांन) मछली का निर्यात	Export of Prawns . . .	2416–17
2313	काजू का निर्यात	Export of Cashewnuts . .	2417–18
2314	केरल का भूतत्वीय सर्वेक्षण	Geological Survey of Kerala .	2418
2315	केरल में खनिज निक्षेप	Mineral Deposits in Kerala .	2419
2316	औद्योगिक उपक्रमों को लाइसेंस दिया जाना	Issue of Licences for Industrial Undertakings . . .	2419
2317	गैर-सरकारी रेलवे लाइनें	Non-Government Railway Lines	2419–20
2318	चकोला स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स	Chakola's Spinning and Weaving Mills	2420
2319	गंगापुर-कोटा सेक्शन पर गुदला में दुर्घटना	Accident at Gudla on Gangapur-Kotah Section . . .	2420
2320	यवतमाल-एलिचपुर रेल लाइन	Yeotmal-Ellichpur Rail Line .	2420–21
2321	कुठ की जड़ों का निर्यात	Export of Kuth Roots . .	2421
2322	नंगल स्टेशन पर माल डिब्बे	Wagons at Nangal Station .	2422
2323	मिश्रित इस्पात कारखाना	Alloy Steel Plant . . .	2422
2324	गाड़ियों और स्टेशनों के हिन्दी में नाम	Names of Trains and Stations in Hindi	2422

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2325	इलाहाबाद-फैजाबाद लाइन पर रेलवे स्टेशन	Railway Stations on Allahabad Faizabad Line . . .	2423
2326	लखनऊ-सुलतानपुर जौनपुर लाईन पर नये रेलवे स्टेशन	New Railway Stations on Lucknow-Sultanpur-Jaunpur Line .	2423
2327	नौपदा गुनपुर छोटी लाईन (नैरोगेज)	Naupada-Gunupur Narrow Gauge Line	2423–24
2328	तकनीकी विकास विभाग सम्बन्धी प्रतिवेदन	Report on Department of Technical Development . .	2424
2329	ओंगोल-हैदराबाद रेल सम्पर्क	Ongole-Hyderabad Rail Link .	2424
2330	बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रेल-सड़क संचार	Rail-Road Communication in Budelkhand Area . .	2424–25
2331	दिल्ली में उत्तर रेलवे द्वारा घर पर सामान पहुंचाने की व्यवस्था	Home Delivery of Goods by Northern Railway in Delhi .	2425
2332	रात्रि में छोटे स्टेशनों पर गाड़ियों में चढ़ना	Boarding of Night Trains at Wayside Stations . . .	2425
2333	मोतीहारी पटना-महेन्द्रु घाट सेक्शनों पर एक्सप्रेस रेलगाड़ियां	Express Trains on Motihari-Patna Mahendru Ghat Sections .	2426
2334	निज़ामुद्दीन होकर नई दिल्ली तथा गाज़ियाबाद के बीच रेल गाड़ियां	Trains between New Delhi and Ghaziabad via Nizamuddin .	2426–27
2335	तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिये सुविधायें	Amenities to Third Class Passengers	2427
2336	कोयला धोने वाले कारखानों के सहायक उत्पाद	Coal Washery By-products .	2427–28
2337	हरिद्वार में ढलाई-गढ़ाई कारखाना	Foundry Forge Plant at Hardwar	2428
2338	जिवनाथपुर स्टेशन पर एक रेलवे बोगी में आग लगना	Fire in a Railway Bogie at Joconathpur Station . . .	2428–29
2339	उत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति	Appointment of Schedule Castes on Northern Railway . .	2429
2340	पूर्वोत्तर रेलवे लेखाविभाग	North Eastern Railway Accounts Department . . .	2430
2341	इटावा के पास रेलगाड़ी की टक्कर	Train Collision near Etawah .	2430
2342	मेजा स्टेशन के निकट गाड़ी में डकैती	Robbery in Train near Meja Station	2530–31
2343	खड़गपुर में यान्त्रिक कारखाने	Mechanical Workhops, Kharagpur	2431
2344	कपड़ा मिलें	Textile Mills	2431–32
2345	मिश्रित इस्पात कारखाना, दुर्गापुर	Alloy Steel Project Durgapur .	2432
2346	तम्बाकू का निर्यात	Export of Tobacco . . .	2432–33
2347	मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा जस्ते के पिंडों का आयात	Import of Zinc Ingot by the State Electricity Board . . .	2433

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2348	गुजरात में सोने के निक्षेप	Gold Deposits in Gujarat .	2433
2349	मध्य रेलवे कार्यालयों का सिकन्दराबाद को स्थानान्तरण	Shifting of Central Railway Officers to Secunderabad . .	2434
2350	जम्मू और काश्मीर में शाल उद्योग	Shawl Industry in Jammu and Kashmir	2434
2351	रेलवे सराफ	Railway Shroffs . . .	2434–35
2352	यूरोप में निर्यात संवर्द्धन सार्थ-संघ (कांसार्शियम)	Export Promotion Consortium in Europe	2435
2353	मनमाड और लासलगांव स्टेशनों पर पेय जल	Drinking Water at Manmad and Lasalgaon Stations . .	2435–36
2354	प्याज की ढुलाई के लिये वैगनों की अपर्याप्त व्यवस्था	Inadequate Supply of Wagons for Onions	2436
2355	बीकानेर में ऊनी मिल	Woollen Mill at Bikaner . .	2436–37
2356	कनाडा को निर्यात	Exports to Canada . . .	2437
2357	यूरोपीय देशों को भारतीय वैगनों का विक्रय	Sale of Indian Wagons to European Countries . . .	2437
2358	दिल्ली के कारखानों में कच्चे माल का दुरुपयोग	Misuse of Raw Materials by Factories in Delhi . .	2437–38
2359	दिल्ली के कारखानों के लिये कच्चे माल का कोटा	Quota of Raw Materials for Factories in Delhi . . .	2438
2360	कोयला धोने के कारखानों की क्षमता	Capacity of Coal Washeries .	2438–39
2361	बालानी ओर्ज एण्ड माइन्ज	Balani Ores and Mines .	2439
2362	बोकारो कर्मचारियों के लिए मकानों की व्यवस्था	Houses for Bokaro Employees .	2439–40
2363	बोकारो में परियोजना स्थल की सफाई	Site Reclamation in Bokaro	2440
2364	बोकारों इस्पात कारखाने के लिये भूमि	Land for Bokaro Steel Plant .	2440
2365	वैगन सम्भरण की कमी	Shortage of Wagon Supply .	2441
2366	आन्ध्र प्रदेश में फासफेट के निक्षेप	Phosphate Deposits in Andhra Pradesh	2441
2367	चादर कांच का निर्यात	Export of Sheet Glass . .	2441
2368	कपड़े का निर्यात	Export of Textiles . . .	2442
2369	भारत में हांग कांग की टीम का आगमन	Visit of Hongkong Team to India	2442
2370	इंजीनियरी इकाईयां	Engineering Units . . .	2442–43
2371	उद्योगों में कम पूंजी लगाने वाले व्यक्तियों को रियायतें तथा प्रोत्साहन	Concessions and Incentives to Small Investors in Industries	2443

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2373	"हिन्दुस्तान मशीन टूल्स"	Hindustan Machine Tools . .	2443
2374	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings . .	2444
2375	तकनीकी योजना सेल	Technical Planning Cell .	2444
2376	मध्य रेलवे पर पुल	Bridges on Central Railway :	2444
2377	निर्यात संवर्द्धन	Export Promotion . .	2444–45
2378	ताप्ती कपड़ा मिल, बुरहानपुर (मध्य प्रदेश)	Tapti Textile Mill, Burhanpur (M.P.)	2445–46
2379	नेफा के खनिज संसाधन	Mineral Resources of NEFA	2446
2381	रेलवे क्लर्कों के वेतन क्रम	Pay Scale of Railway Clerks .	2446
2382	बायलर मेकर चार्जमैन	Boiler Maker Chargemen . .	2447
2383	पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग	Small-Scale Industries in Punjab	2447
2384	मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में खोज कार्य	Prospecting in Narisinghpur District in M.P. . . .	2448
2385	हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल	Heavy Electricals Limited, Bhopal	2448
2386	खान अधिनियम का लागू किया जाना	Enforcement of Mines Act	2448–49
2387	भारतीय खान विभाग के कर्मचारियों को क्षेत्रीय संस्थान भत्ता	Field Establishment Allowance I.B.M. Employees . .	2449
2388	भारतीय खान विभाग के मस्टर रोल पर काम करने वाले कर्मचारी	Muster Roll Staff of Indian Bureau of Mines . . .	2449
2389	"मोपेड्ज़" का निर्माण	Manufacture of Mopeds . .	2450
2390	उगांडा को सूती कपड़े का निर्यात	Export of Cotton Cloth to Uganda	2450
2391	रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण	Electrification of Railway Lines	2450–51
2392	चीनी सेन्ट्रीफ्यूगल लाइनर्स	Sugar Centrifugal Liners . .	2451–52
2393	नई रेल लाइनों का निर्माण	Construction of New Railway Lines	2452
2394	चाय अनुसन्धान-कार्य	Tea Research Work . .	2453
2395	चाय का निर्यात	Export of Tea	2453
2396	उत्तर रेलवे के मुख्य नियंत्रक	Chief Controllers on Northern Railway	2453–54
2397	रेलवे फाटक	Railway Level Crossings . .	2454
2398	स्लेट-पेन कारखाने	Slate Pen Factories . . .	2454
2399	दस्तकारी निर्यात संवर्द्धन समिति	Handicrafts Export Promotion Committee	2454–55
2400	अखबारी कागज का मूल्य	Price of Newsprint . . .	2455
2401	रेलवे कुलियों तथा फेरी वालों का राष्ट्रीय संघ	National Federation of Railway Porters and Vendors . .	2455
2402	महासागर से खनिज सम्पत्ति	Mineral Wealth from Ocean .	2455–56

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में	*Re:* Calling Attention Notice .	2456
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	2456
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Bill . .	2457
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	2457
गोवा, दमण और दीव (सिविल प्रक्रिया संहिता और माध्यस्थम (आरबिट्रेशन) अधिनियम का विस्तारण) विधेयक, 1965 राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में	Goa, Daman and Diu (Extention of the Code of Civil Procedure and the Arbitration Act) Bill as passed by Rajya Sabha	2457
संसद्-सदस्यों द्वारा सीमान्त क्षेत्रों के दौरे के बारे में	*Re :* Visit of Members of Parliament to Border Areas . .	2457–59
सभा का कार्य	Business of the House . .	2459–62
इलायची विधेयक	Cardamom Bill	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री मा० ल० जाधव	Shri M. L. Jadhav . .	2462
श्री सें० वें० रामस्वामी	Shri S. V. Ramaswamy .	2463–64
खण्ड 2 से 33 और 1	Clauses 2 to 33 and 1 . .	2464–67
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended—	
श्री हेडा	Shri Heda . . .	2467
श्री स० चं० सामन्त	Shri S. C. Samanta . .	2467
श्री सें० वें० रामस्वामी	Shri S. V. Ramaswamy .	2467
नाविक भविष्य निधि विधेयक	Seamen's Provident Fund Bill	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री राज बहादुर	Shri Raj Bahadur . .	2467–69
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . .	2469–70
डा० मेलकोटे	Dr. Melkote . . .	2470
श्री काशीराम गुप्त	Shri Kashi Ram Gupta	2470–71
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka .	2471
श्री जोकीम आल्वा	Shri Joachim Alva .	2471–72
संविधान संशोधन (विधेयक) (अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 आदि का संशोधन) [श्री प्रकाशवीर शास्त्री का]	Constitution (Amendment) Bill (*Amendment of articles* 1, 2, 3, 4 *etc.*), by Shri Prakash Vir Shastri	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri .	2472–74
श्री च० का० भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharya .	2474

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री बड़े	Shri Bade	2475
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	2475–76
श्री गौरी शंकर कक्कड़	Shri Gauri Shankar Kakkar	2476–77
श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das .	2477
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Monohar Lohia .	2477–78
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma . .	2478
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh . .	2478–79
श्री सिंहासन सिंह	Shri Sinhasan Singh . .	2479–80
चीन के पत्र के बारे में वक्तव्य	Statement *Re :* Chinese Note	
श्री लाल बहादुर शास्त्री	Shri Lal Bahadur Shastri .	2480–81

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 17 सितम्बर, 1965/26 भाद्र, 1887 (शक)

Friday, September 17, 1965/Bhadra 26, 1887 (Saka)

लोक-सभा दस बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Ten of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कच्चा लोहा ढलाईघर सम्बन्धी तालिका

*689. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न ढलाईघरों की कच्चे लोहे की आवश्यकता का अध्ययन करने के लिये बनाई गई सात सदस्यीय कच्चा लोहा ढलाईघर तालिका का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Shri Rameshwar Tantia : Is it a fact that many of these foundries have been closed or are not running to their full capacity for want of orders from Railways, their biggest purchaser; if so, the reasons for the shortfall in demand?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : It is not correct to say so. Previously all these foundries used to quote monopoly rates and to break their monopoly, this work is now being done on the lowest tender basis. If they quote reasonable price, we can purchase from them.

Shri Rameshwar Tantia : Have the Government assessed the total capacity of these foundries in the country and if that capacity is more than the demand of the country at this time, will Government consider the question of issuing licences to the new foundries ?

The Minister of Heavy Engineering and Industry in the Ministry of Industry and Supply (Shri T. N. Singh) : The capacity has been formed on the basis of the demand in the country. There are many factors which have to be taken into account. Sometimes there is the shortage of pig iron at other times the demand subsides temporarily . But that does not mean that capacity is more than the demand.

श्री ब्रसप्पा : क्योंकि गैर-सरकारी क्षेत्र अपना लक्ष्य पूरा करने में असफल रहा है और क्योंकि हम रूस और अन्य देशों से बड़ी मात्रा में कच्चा लोहा आयात कर रहे हैं, कच्चे लोहे के उत्पादन को बढ़ण बढ़ाने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं और क्या मैसूर के बेलारी जिले में कच्चे लोहे का एक संयंत्र स्थापित किया जायेगा ?

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : कच्चे लोहे के उत्पादन को बढ़ाने के लिये कई नई योजनाओं को लाइसेंस दिये गये हैं ; इस्पात और खान मंत्रालय द्वारा अनुमति दे दी गई है । यह पता लगाने के लिये कि क्या घटिया किस्म का कच्चा लोहा ढलाईघरों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है हम अब इस समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

Shri Onkar Lal Berwa : What is our present requirement of pig iron, what is the indigenous production and how much have we to import from outside ?

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : इस समय उपलब्धता 12 लाख टन है अनुमानित आवश्यकता 20 लाख टन है और 1964 में 15 लाख टन कच्चा लोहा आयात किया गया था ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : नियन्त्रण हटाने के पश्चात कच्चे लोहे के दाम बढ़े हैं अथवा घटे हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : हम यह जानकारी नहीं दे सकते ; शायद इस्पात और खान मंत्री यह जानकारी दे सके ।

कपड़ा उद्योग

+

*690. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री ओंकार लाला बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री कर्णी सिंह जी :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सूती कपड़ा उद्योग के उपकरणों के आधुनिकीकरण के लिये सहायता देने के हेतु जापान ने ऋण देना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का ऋण दिया जाएगा ; और

(ग) इसका उपयोग किस प्रकार किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग) : भारत के राज्य व्यापार निगम और जापान टैक्सटाइल मशीनरी मैन्यु० एसो० के मध्य 100 लाख अमरीकी डालर का एक ऋण देने के विषय में समझौता हुआ है । इसके द्वारा सूती, ऊनी, रेशमी और नकली रेशम उद्योगों के वर्तमान कारखानों का आधुनिकीकरण एवं विस्तार करने तथा नये कारखाने स्थापित करने के लिये टैक्सटाइल मशीनें आयात की जायेंगी ।

Shri Yashpal Singh : Can the Government give the assurance that as a result of this modernisation workers will not be retrenched ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : हम कोई आश्वासन नहीं दे सकते, परन्तु आधुनिकीकरण में हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जहां तक संभव हो काम पर लगे हुए व्यक्तियों को हटाया न जाये।

Shri Yashpal Singh : May I know whether all these machines will be imported or whether some of them will be produced within the Country ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : बाहर से केवल वही मशीनें मंगाई जा रही हैं जो यहां पर नहीं बनाई जाती। जो मशीनें देश में बनाई जाती हैं उन्हें बाहर से नहीं मंगाने दिया जायेगा।

Shri Onkar Lal Berwa : Have Government imposed any limit that those producing to a certain limit will be supplied these machines and those producing beyond that will not be supplied these machines ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : No such limit has been imposed.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether Government have advanced loans to the Cotton textile industry for the installation of some new machines, if so, the reasons for their not installing new machines so far ?

Shri Manubhai Shah : More and more machines are being installed and it is a continuing process. Sixty per cent of the Indian textile industry has been modernised. This modernisation has to be done daily.

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : पहली किश्त में कपड़ा उद्योग के कितने भाग का आधुनिकीकरण किया जायेगा तथा इससे इस उद्योग को कितना लाभ होगा ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : किश्त का कोई प्रश्न नहीं है। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है। जब भी हमें विदेशी मुद्रा मिलगी हम मशीनें आयात करेंगे और आधुनिकीकरण करेंगे।

श्री दाजी : जापान से प्राप्त किया गया यह ऋण भारत में विभिन्न मिलों को किस प्रकार दिया जायेगा ? क्या कोई योजना तैयार की गई है अथवा यह तदर्थ आधार पर दिया जायेगा ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : यह तदर्थ आधार पर नहीं होगा। जरुरतमन्द मिलों को कपड़ा कमिश्नर को आवेदन पत्र देना होगा। ऐसा उपबन्ध है कि 76 लाख और इससे अधिक के व्यक्तिगत करारों के मामले में वे स्वयं निर्माताओं से सीधे ही बातचीत कर सकते हैं। इससे कम के लिये उन्हें कपड़ा कमिश्नर के पास रजिस्ट्रीकरण कराना होगा। वह उन्हें इकट्ठा कर लेगा और राज्य व्यापार निगम को भेज देगा।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : इस आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी ? क्या इसका कोई अनुमान लगाया गया है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : तीसरी योजना के अनुसार हमारी आवश्यकता 93,000 लाख गज है। यह अनुमान पहले से ही लगाया जा चुका है कि हमारा उत्पादन 90,000 लाख टन पहुंच चुका है। लक्ष्य पूरा करने के लिये यह अनुमान लगाया गया है कि हमें लगभग 40 लाख अतिरिक्त तकुओं का आधुनिकीकरण करना चाहिये। परन्तु इसके लिये हमें आवश्यक धन नहीं मिल सक रहा है। फिर भी उत्पादन लक्ष्य के लगभग ही है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : What are the reasons for obtaining loan from Japan, while the textile manufacturers are having crores of rupees ?

Shri Manubhai Shah : This is not a rupee loan, but a foreign exchange loan.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : यहां पर समान निधियां प्राप्त करने के संबंध में क्या इस ऋण के आवंटन पर कोई शर्त लगाई गई है ?

श्री मनुभाई शाह : रुपया ऋण या तो उनकी अपनी टूटफूट की रक्षित निधियों से प्राप्त किया जाता है या सामान्य रक्षित निधियों से या वे औद्योगिक वित्त निगम या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से उधार ले सकते हैं।

Shri Balmiki : May I know whether this modernisation or mechanisation will not result in the retrenchment of labour ?

Shri Manubhai Shah : "Modernisation without fears" as decided by the Indian Labour Conference, no body will be thrown out of employment on account of modernisation.

श्री वासनिक : कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण करते समय, क्या उन एककों पर विशेष ध्यान दिया जायगा जिन्हें पुरानी मशीनों के कारण बन्द किया जा रहा है।

श्री सें० वें० रामस्वामी : केवल पुरानी मशीनों का ही प्रश्न नहीं हैं, इसकी कसौटी एकक को चलाने के लिये प्रबन्ध की क्षमता और योग्यता है।

सरकारी क्षेत्र में कागज का निर्माण

+

*691. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
डा० पु० ना० खां :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री अ० व० राघवन :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 7 मई 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 1239 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच सरकारी क्षेत्र में लुग्दी/कागज/अखबारी कागज की मिलें तथा उस कार्य के लिये एक कागज निगम भी स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) तथा (ख) : विभिन्न राज्यों में सरकारी क्षेत्र में लुग्दी/कागज़/अखबारी कागज के कारखाने स्थापित करने के लिए प्रायोजना सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है तथा एक अन्य तैयार की जा रही है। इन रिपोर्टों की जांच की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र में एक या अधिक कारखाने स्थापित करने के बारे में तथा कागज निगम के बारे में अन्तिम फैसला इन रिपोर्टों की जांच पूरी हो जाने पर और सरकारी क्षेत्र की प्रायोजनाओं के लिए रकम के नियतन का निर्णय हो जाने पर ही किया जाएगा।

श्री स० चं० सामन्त : क्या वर्तमान एककों में उत्पादन को बढ़ाने के तरीके ढूंढने के लिये जो तकनीकी समिति स्थापित की गई थी, उसने यह भी सुझाव दिया है कि सरकारी क्षेत्र में अधिक एकक स्थापित किये जायें ?

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : जी हां। वास्तव में इस समय 6 संभाव्यता प्रतिवेदन हैं। जहां तक बिहार का संबंध है एक प्रतिवेदन पहले से ही विचाराधीन है। इन सातों प्रतिवेदनों के प्राप्त हो जाने के पश्चात इन पर विशषज्ञ के दृष्टिकोण से विचार किया जायेगा। सरकारी क्षेत्र का जो आवंटन है उसपर बहुत कुछ निर्भर करेगा।

श्री स० चं० सामन्त : क्या नेशनल न्यूज़प्रिन्ट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड का विस्तार किया गया है ; यदि हां, तो क्षमता क्या है और लागत क्या होगी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा संभरण मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): माननीय सदस्य 'नेपा' मिल्स का ज़िक्र कर रहे हैं। इसकी क्षमता 20,000 टन से बढ़ा कर 75,000 टन कर दी गई है और आशा है कि 1966 में कागज़ संयंत्र चालू हो जायेगा।

श्री स० चं० सामन्त : लागत कितनी आयेगी ?

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : जहां तक विस्तार का संबंध है 9.5 करोड़ रु०।

Shri M. L. Dwivedi : The paper of very dark brown colour produced in the NEPA Paper Mills in this Public Sector is not considered to be of good quality in our country. May I know whether newsprint of similar colour or of different colour will be produced in other paper mills which are going to be established in the public sector ? What schemes have been framed by the Government for improving the quality of newsprint produced in NEPA Paper Mills ?

श्री त्रि० ना० सिंह : 'नेपा' कारखाने में कागज़ बनाने के लिये सलाई की लकड़ी को प्रयोग में लाया जाता और उसे पूरी तरह सफेद नहीं किया जा सकता है। यदि इसको पूरी तरह सफेद किया जाता है तो इसमें मुड़तुड़ने की शक्ति कम हो जाती है। इसीलिये इसका रंग कुछ मैला है। फिर भी पिछल दो वर्षों में नेपा के अखबारी कागज़ की किस्म में काफी सुधार हुआ है। जहां तक अन्य मिलों का संबंध है जो कि सलाई की लकड़ी पर आधारित नहीं हैं, उनके द्वारा गहरे रंग का अखबारी कागज़ पैदा किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दी० चं० शर्मा : जब यह कागज़ निगम स्थापित हो जायेगा तो क्या यह सभी अखबारी कागज़ के कारखानों को अपनी छत्रछाया में ले लेगा अथवा यह केवल उन्ही कारखानों को संरक्षण देगा जो निकट भविष्य में स्थापित किये जायेंगे ?

श्री त्रि० ना० सिंह : यह प्रस्तावित कागज़ निगम देश की सभी कागज़ कम्पनियों को अपने हाथ में नहीं लेगा। इस समय गैर-सरकारी कागज़ कम्पनियां हैं, और नेपा मिल को छोड़ कर सरकारी क्षेत्र में कोई और कम्पनी नहीं है। नये एकक शायद इस निगम के अधीन स्थापित किये जायेंगे। यदि वे एकक काफी बड़े समझे जायें तो पृथक कम्पनीयां भी बनाई जा सकती हैं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि कागज़ मिलों के लिये सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं स्थापित करने के प्रश्न पर एक तकनीकी समिती जांच कर रही है। इस समिती से किन किन स्थानों की जांच करने के लिये कहा गया है और क्या चतुर्थ योजना में सरकारी क्षेत्र में कागज़ मिलें स्थापित करने के लिये आवश्यक उपबन्ध किया गया है, यदि हां, तो कितनी ?

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : वे राज्य मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार और आसाम हैं। एन० आई० डी० सी० द्वारा दिये गये 6 संभाव्यता प्रतिवेदन में इन चारों राज्यों का उल्लेख किया गया है। क्या ये सभी प्रतिवेदन क्रियान्वित होंगे अथवा नहीं यह जैसा कि मैंने बताया, चतुर्थ योजना में किये गये उपबन्ध तथा सरकारी क्षेत्र में किये गये आवंटन पर निर्भर करेगा।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या चीनी उत्पादन और कागज़ निर्माण को मिलाने की कोई योजना हैं; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : माननीय सदस्य शायद खोई को कागज़ बनाने के लिये प्रयोग में लाने के प्रस्ताव का जिक्र कर रहे हैं। उसे बहुत ही उपयोगी कच्चा माल समझा जाता है।

श्री बसुमतारी : क्या यह सच है कि यद्यपि आसाम सरकार ने आसाम में सरकारी क्षेत्र में एक कागज़ मिल स्थापित करने के लिये एक प्रस्ताव भेजा था, केन्द्रीय सरकार उस पर सहानुभूति के साथ विचार नहीं कर रही है।

श्री त्रि० ना० सिंह : यह सच नहीं है। आसाम पर हमेशा ही सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है।

Shri Vishram Prasad : So far all our requirement of the security paper used to be met through imports, what amount Government have to spend upon that ? Have the Technical Commitiee given any suggestion for the manufacture of our security paper within the country ?

Shri T. N. Singh : Security paper is a different kind of paper and that has no relation with this. But efforts are also being made to manufacture the paper of this kind of security paper. That is under consideration of the Finance Ministry.

Shri Tulsidas Jadhav : How many persons have applied for the establishment of paper factories in the private sector and how many such mills have been sanctioned for Maharashtra ?

Shri T. N. Singh : I do not have the list of the private sector applications. But applications from Maharashtra are continually coming.

श्री शिवनंजप्पा : क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में कागज़ मिलें घाटे में चल रही हैं विशेषत: मंडिया नेशनल पेपर मिल्स ?

श्री त्रि० ना० सिंह : यह सच है कि कुछ कागज़ मिलों का काम अच्छा नहीं चल रहा है। मैं मंडिया की इस विशिष्ट मिल के संबंध में कुछ नहीं कह सकता हूं। शायद माननीय सदस्य को सही जानकारी है।

श्री म० रं० कृष्ण : कुछ समय पूर्व सरकार का विचार खोई से अखबारी कागज़ बनाने का था और कुछ राज्य सरकारों ने कुछ प्रस्ताव भी दिये थे। इस योजना को क्यों छोड़ दिया गया था ? कुछ राज्य सरकारें, विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश सरकार खोई से अखबारी कागज बनाना चाहती थी। क्या उस सरकार को अपना कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिये प्रोत्साहन दिया गया है अथवा उस कार्यक्रम को छोड़ दिया गया है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : खोई से अखबारी कागज़ बनाने के प्रश्न पर सारे संसार के तकनीशीयन और वैज्ञानिक काफी समय से जांच कर रहे हैं। नवीनतम तरीका जिसमें कि लगभग 90 से 95 प्रतिशत खोई को अखबारी कागज़ के प्रयोजन के लिये प्रयोग में लिया जा सकता है डा० गुप्ती द्वारा निकाला गया बताया जाता है। आन्ध्र प्रदेश का प्रस्ताव किसी और तरीके के लिये था। वास्तव में, खोई के केवल एक थोड़े भाग को प्रयोग में लाने का प्रस्ताव था और शेष को अन्य प्रयोजनों के लिये।

Shri Rameshwar Tantia : What is the value of our imports of paper at present ? How Government propose to achieve self-sufficiency in the matter of paper?

Mr. Speaker : The question was limited only up to whether a new factory is going to be established in the Public Sector.

Shri Rameshwar Tantia : How much paper we are importing at present, is a relevant question.

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : इस समय लगभग 4 करोड़ रु० के मूल्य का कागज़ आयात किया जाता है।

श्री हेडा : क्या सरकारी क्षेत्र में खोई से मुद्रण कागज़ के निर्माण की कोई पेशकश आई है ? यदि हां, तो इस उपयोगी वस्तु को अभी तक काम में क्यों नहीं लाया गया है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : यह सच है कि खोई से साधारण छपाई का कागज़ भी बनाया जा सकता है। कठिनाई यह है कि खोई का रेशा छोटा होता है लम्बा नहीं होता और सही किस्म के कागज़ के लिये मिश्रण करना पड़ता है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : There is acute shortage of raw materials in the NEPA Paper mill and if that is not supplied, it is feared the mill may have to be closed. What steps Government is taking in that regard ?

Mr. Speaker : The next question is regarding NEPA.

श्री राम सहाय पाण्डेय : देश में अखबारी कागज़ की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र के लोगों को भी अखबारी कागज़ के कारखाने स्थापित करने के लिये लाइसेंस देगी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : अखबारी कागज़ के कारखाने स्थापित करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और एक या दो को लाइसेंस दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न श्री विद्याचरण शुक्ल का है जो कि यहां पर नहीं है। इसलिये मैं श्री कछवाय द्वारा पूछे गये प्रश्न की अनुमति देता हूं। इसका भी उत्तर दिया जाये।

श्री त्रि० ना० सिंह : इस समय कोई कमी नहीं है।

Circular Railway in Delhi

+

*693. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri P. C. Barooah :**
Shri S. C. Samanta : **Shri Bagri :**
Shri Subodh Hansda : **Shri Surendra Pal Singh :**
Shrimati Savitri Nigam : **Shri Tan Singh :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the progress made in the matter of introducing a circular railway around the capital ; and

(b) whether there is any proposal for the electrification of this line ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) The sanctioned project is called "Delhi Avoiding Lines and Connected Traffic Facilities". This is mainly to enable goods trains to byepass the congested yards of Delhi and New Delhi ; but it will also help movement of Suburban passenger trains over its different links, when completed. The overall physical progress so far achieved is 44%.

(b) There is no proposal to electrify these lines at present.

Shri M. L. Dwivedi : In reply to a question the Hon. Minister had stated in this House that a Circular railway would be laid in Delhi which would facilitate the Central Government officers coming from different colonies. May I know whether the difficulties in the way of acquiring land for this circular railway have since been removed, if so, the time by which this circular railway will be ready ?

Shri Sham Nath : The main object of this project is that the goods trains coming from Ferozepur, Ambala etc., should not go to Delhi Main and New Delhi yards as there is already over congestion. But when this scheme is completed, suburban trains can also be run on these lines. The scheme of running those suburban trains may, however, be called circular railway.

Shri M. L. Dwivedi : Does the Hon. Minister know that the trains coming from the surrounding stations of Delhi such as Nizamaddin take almost an hour. In view of this is the question of electrification of this circular railway being considered, if so, the estimate thereof ?

Shri Sham Nath : The reason for this is that the main object of this project is that the goods traffic coming from Punjab should byepass the whole of Delhi main and New Delhi. Since the lines on central and other railways are not electrified, it is not necessary to electrify the circular railway.

श्री प्र० चं० बरुआ : किस आधार पर सरकार ने यह वृत्ताकार रेलवे बनाने का निर्णय किया था और क्या सरकार इन से मिलते जुलते कारणों पर इसी प्रकार की रेलवे अन्य शहरों में, विशेषत: पूर्वोत्तर दिशा में स्थापित करेगी ?

श्री शामनाथ : जैसा कि मैंने अभी बताया इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि अम्बाला और फिरोज़पुर से आने वाली माल गाड़ियों से दिल्ली और नई दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले यार्डों से न गुज़रना पड़े। परन्तु चूंकि बढ़ने हुए उपनगरीय यातायात के लिये इसको उपयोग में लाना संभव होगा, कुछ लोगों ने इस परियोजना को वृत्ताकार रेलवे परियोजना का नाम दे दिया है।

Shri Tan Singh : Is the work on this project progressing in accordance with the phased programme ?

Shri Sham Nath : It is true that there are some difficulties in implementation of this project and the main difficulty was that land was to be acquired for this project and there was some delay in acquiring the same. Now the work is being accelerated and it is expected that the project would be completed by 31st December, 1967.

Shri Yashpal Singh : In order to achieve good results, will the work relating to the construction of circular railway in Delhi be got done through any private contractor to achieve good results ?

Shri P. L. Barupal : In view of the traffic difficulties in Delhi, since a circular railway is being constructed there is a problem of loading and unloading from broad gauge line to narrow gauge. Will Government consider to convert narrow gauge line into broad one ?

Mr. Speaker : It is a different question.

इस्पात के भारी ढांचे बनाने का संयंत्र
(हेवी स्ट्रक्चरल स्टील प्लांट)

+

*694. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** **श्री सोलंकी :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री प्र० के० देव :**
श्री मुहम्मद कोया : **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री राम हरख यादव :**

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 12 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1075 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के भारी ढांचे बनाने का संयंत्र स्थापित करने के लिये भारत सरकार तथा आस्ट्रिया की मैसर्ज वोस्ट के बीच कोई करार हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ग) उक्त परियोजना में आस्ट्रिया की साझेदारी की क्या शर्तें हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग 5 करोड़ रु० ।

(ग) भारतीय कम्पनी की 2 करोड़ रु० की इक्विटी पूंजी में से वोस्ट 49 प्रतिशत तथा भारत सरकार 51 प्रतिशत पूंजी अपने अधिकार में रखेगी । वोस्ट के हिस्से में से 20 लाख रु० के प्रत्यक्ष मूल्य के अंश (इक्विटी पूंजी का 10 प्रतिशत) उनके द्वारा दी जाने वाली तकनीकी सहायता के रूप से जारी किये जायेंगे तथा शेष आस्ट्रिया की मुद्रा और/अथवा आयात किये जाने वाले कच्चे माल के रूप में नकद राशि में होंगे । वोस्ट तथा सरकार बराबर संख्या में संचालकों का नाम-निर्देशन करेगी जिसमें से सरकार के नाम-निर्देशकों में से एक प्रबन्ध-संचालक तथा एक चेयरमैन होगा जिसको निर्णायक मत देने का अधिकार रहेगा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या इस कारखाने के लिये सभी तकनीकी कर्मचारी कम्पनी से आयेंगे अथवा क्या भारतीय तकनीशियनों को भी इस कार्य पर लगाया जायेगा ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): यह कहना गलत है कि सभी तकनीशियन आस्ट्रिया से आयेंगे । भारतीय तकनीशिनों को भी निश्चय ही उनके साथ लगाया जायगा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस कारखाने में उत्पादन होना कब आरम्भ हो जायेगा और प्रथम वर्ष तथा 5 वर्षों के अन्त में उत्पादन कार्यक्रम क्या है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : कारखाना अभी आज आरम्भ हो रहा है। सही रूप से तो अभी कुछ कहना कठिन है, परन्तु विश्वास किया जाता है कि लगभग दो वर्षों में कारखाने में उत्पादन आरम्भ हो जायगा। उत्पादन की वास्तविक लागत के बारे में अभी कुछ नहीं बताया जा सकता परन्तु मोटे रूप से यह लागत कोई 6 करोड़ रुपय होगी।

श्री दाजी : यदि मैंने मंत्री महोदय को सही सही सुना है, तो उन्हें 20 लाख रुपये के अंश उन द्वारा दी गई तकनीकी सहायता के बदले में दिय जायेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि सहयोग के सामान्य समझौतों के, जो हम विदेशों के साथ करते रहेहैं, विपरीत नहीं है? क्या यह नयी शर्तें नहीं हैं जिनके आधार पर आस्ट्रिया की कम्पनी से समझौता किया गया है?

श्री त्रि० ना० सिंह : यह सामान्य प्रथा के विपरीत नहीं है। गैर-सरकारी क्षेत्र में भी हमें तकनीकी जानकारी, उल्लखों, विशिष्ट विवरणों, डिज़ाइनों आदि के लिये भी तो हमें भुगतान करना पड़ता है। हम इसी के लिये भुगतान कर रहेहैं। वहां जाने तथा वहां से लौटने की बजाये इस राशि का इस प्रकार समायोजन किया गया है।

श्री दाजी : मेरा प्रश्न यह था कि क्या यह सच नहीं है कि 20 लाख रुपये के यह अंश निर्बाध रूप से दिये जायेंगे और वह इस पर अन्त तक लाभ अर्जित करते रहेंगे और यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र में पहले किसी सहयोग सम्बन्धी समझौते में ऐसी शर्त की व्यवस्था की गई है?

श्री त्रि० ना० सिंह : सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार की कोई परियोजना नहीं है जहां किसी विदेशी कम्पनी ने वास्तव में शेयर खरीदे हों। परन्तु जहां कहीं तकनीकी जानकारी प्राप्त करनी होती है तो उसके लिये हमें भुगतान करना पड़ता है। हम इसी के लिये भुगतान कर रहे हैं। जो राशि हमने उन्हें देनी थी उसके उन्हें शेयर दे दिये गये हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस प्रश्न तथा इसके बारे में दिये गये उत्तर को जारी रखते हुए मैं जानना चाहूंगा कि अपनी तकनीकी जानकारी के लिये भुगतान की जानी वाली राशि के बदले में दिये जा रहे शेयरों से उन्हें अन्त तक लाभ कैसे अर्जित करने दिया जा सकता है? तकनीकी जानकारी तो इस प्रकार बहुत महंगी पड़ेगी। यदि हम उन्हें शेयर देंगे तो वह इन शेयरों पर कब तक लाभ उठाते रहेंगे?

श्री त्रि० ना० सिंह : मेरे विचार में यह एक बहुत ही अच्छी परियोजना है जिसके बारे में एक विदेशी कम्पनी के साथ समझौता किया गया है। आस्ट्रिया में वोस्ट स्वयं एक सरकारी क्षेत्र की संस्था है और यह एक सराहनीय बात है कि इस परियोजना में एक अन्य सरकारी क्षेत्र की तुलना में हमारे अधिक शेयर होंगे। मेरे विचार में समूचे रूप से यह शर्तें बहुत अच्छी हैं और मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इसे स्वीकार करे।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि अन्य देशों द्वारा चालू की गई ऐसी परियोजनाओं की लागत तथा अन्य पहलुओं की तुलना में इस परियोजना की क्या स्थिति है?

श्री त्रि० ना० सिंह : मेरे विचार में वोस्ट के लोग अत्यधिक अनुभवी हैं और यह परियोजना अन्य परियोजनाओं की तुलना में बहुत अच्छी है।

श्री बासप्पा: क्या इन सहयोगियों ने ब्योरेवार प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो इसे सभा पटल पर कब रखा जायेगा?

श्री त्रि० ना० सिंह : यह अभी मिलने वाला है।

युगांडा में चीनी उद्योग

+

*695. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री बागड़ी :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बासप्पा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कनकसबै :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युगांडा के चीनी उद्योग के विकास के लिये वहां की सरकार के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और इस योजना पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) योजना कब क्रियान्वित की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) (1) भारत सरकार भारतीय निजी पार्टियों से सहयोग करते हुए, युगांडा सरकार तथा युगांडा की पार्टियों से मिलकर युगांडा में चीनी निर्माण क्षमता का विस्तार, आरम्भ में 50,000 टन प्रति वर्ष करने के लिये लाभप्रद गन्ना फार्म और कारखाने स्थापित करने में सहयोग करेगी।

(2) युगांडा के अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित स्थानों के लिये सम्भाव्यता का अध्ययन करने की व्यवस्था करना और प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करना।

(3) युगांडा के नागरिकों को प्रबन्ध, प्रविधिक और प्रशासनिक पदों के लिये जोकि चीनी कारखानों, वर्कशापों और फार्मों में हैं, भारत में प्रशिक्षित करना।

(4) भारतीय सहयोग चीनी उत्पादन मशीनें और उपकरण और कारखाना इमारतों के निर्माण के लिये माल और भारत में की जाने वाली उन अन्य खरीदों को जो कि प्रायोजना के सम्बन्ध में हों, को संभरित करने के रूप में होगा। प्रायोजना की लागत और भारतीय विनियोजन की सीमा अभी निश्चित नहीं हुई है।

(ग) जनवरी 1965 में युगांडा को भेजे गये भारतीय प्रविधिक दल के प्रतिवेदन को युगांडा सरकार को भेज दिया गया है और और वह उस पर विचार कर रहा है।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या मैं जान सकता हूं कि अंश प्रतिशतता का आधार क्या होगा और इसका संचालन युगांडा के लोग करेंगे अथवा भारतीय ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : युगांडा में जो चीनी विकास निगम स्थापित किया जायगा वहीं इन कारखानों और सम्पदाओं का स्वामी होगा। सामान्य पूंजी इस प्रकार विभक्त होगी :

भारतीय सरकार तथा उस की नामांकित फर्में आदि . . .	45 प्रतिशत
युगांडा सरकार	45 प्रतिशत
युगांडा के निजी पूंजी लगाने वाले	10 प्रतिशत

निगम का प्रबन्ध निदेशकों के एक बोर्ड द्वारा किया जाएगा जो उसी अनुपात से भारत सरकार, युगांडा सरकार और वहां के निजी पूंजी लगाने वालों का प्रतिनिधि होगा। निगम के मुख्य प्रबन्धक को भारतीय पक्ष नामनिर्देशित करेगा जो सम्पदाओं पर कार्य आरम्भ होने से लेकर चीनी का उत्पादन आरम्भ होने के 6 वर्ष पश्चात तक कार्य करता रहेगा।

श्री रामेश्वर टांटिया : युगांडा में यह चीनी कारखाना लगाने के क्या कारण हैं जबकि अन्य देशों में हमें इस सम्बन्ध में सुविधायें उपलब्ध हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : हमारे अपने देश में तथा अन्य देशों में भी इसकी क्षमता है। सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिये।

श्री स० चं० सामन्त : क्या युगांडा के गन्ने में चीनी के तत्व का पता लगाया गया है ताकि यहां हमारे उत्पादन में यह सहायक हो सके ?

श्री मनुभाई शाह : यह 14.2 प्रतिशत है जो विश्व भर में सबसे अधिक है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार का विचार अफ्रीका के अन्य देशों के साथ भी सहयोग करने की इस योजना का विस्तार करने का है ?

श्री मनुभाई शाह : हमने 'सिरे लिमोन' में इस की जांच की है जहां एक कारखाना लगाने का हमारा विचार है। वास्तव में सभा पटल पर मैं ने एक रखा था जिसके अनुसार भारतीय ने अपने तकनीकी ज्ञान से अफ्रीका, एशिया, युगांडा, कोलम्बिया और आयरलैंड में 39 उद्योग संयुक्त प्रयत्नों से स्थापित किय हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या युगांडा में चीनी उद्योग का विकास केवल भारतीय सहायता से ही किया जाएगा अथवा चीन जैसी कुछ अन्य पार्टियां भी इस विकास में भाग लेंगी ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है।

श्री बासप्पा : चूंकि युगांडा में चीनी उद्योग के विकास की काफी क्षमता दिखाई देती है और बहुत से अन्य देश भी इसी ओर प्रयत्नशील हैं, इसलिये क्या सरकार वहां चीनी उद्योग आरम्भ करने का कार्य शीघ्रतापूर्वक करेगी ?

श्री मनुभाई शाह : भारत के साथ 9 अन्य देशों ने युगांडा में टेण्डर भेजे थे और वहां की सरकार ने ब्रिटिश, जर्मन, चकोस्लोवाक, जापान और अन्य देशों के मुकाबले में भारतीय टेण्डर स्वीकार किया।

Shri Yashpal Singh : Is the Government in a position to tell as to how much money will come into India as a result of our Engineers and mechanics being absorbed there ?

Shri Manubhai Shah : We shall submit a report about this as and when necessary.

श्री राम सहाय पाण्डेय : मंत्री महोदय ने अभी अभी सभा को बताया कि बहुत से अफ्रीकी देश भारतीय पार्टियों से सहयोग करने के इच्छुक हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कारखाना स्थापित करने के लिये क्या भारत से मशीनों के निर्यात पर कोई शर्त लगी हुई है ?

श्री मनुभाई शाह : साधारणत: हम विदेशी मुद्रा खुले आम बाहर जाने देने की स्थिति में नहीं हैं। इस लिये अधिकतर उद्योग इसी धारणा पर आधारित हैं कि हमारे यहां से पूंजीगत वस्तुएं और प्रविधिक ज्ञान का निर्यात हो ताकि विदेशी मुद्रा खुले आम देश से बाहर न जाए और बदले में हमें निर्बन्ध निर्यात मंडी प्राप्त होती है और साथ ही देश की मानवृद्धि भी होती है कि हम तकनीकी तौर पर अपने अल्प-विकसित भाइयों की उसी प्रकार सहायता करते है जैसे यह सहायता प्राप्त करते हैं ।

Shri Tulsidas Jadhav : You are setting up factories in Uganda and you have stated that there you are having 14 per cent recovery. Why do not you allow the people to start factories there who wish to establish them there ?

Shri Manubhai Shah : That is a different matter. We have to do the development work according to the target. This has nothing to do with this question. Whenever we get Foreign Exchange from the foreign countries, we do think of starting development work there also.

Shri K. N. Tiwari : The Minister has just stated in his reply that the question is under the consideration of the Uganda Government. I want to know when this will be ultimately finalized and work started.

Shri Manubhai Shah : The Prime Minister of Uganda came to India. At that time the matter was discussed with him. We hope Uganda Government would approve of this project. After the approval, within eighteen months, we would start a factory there.

Shrimati Ram Dulari Sinha : I want to know from the Honourable Minister whether under this scheme in regard sugar industry only sugar cane would be crushed or beet will also be crushed ?

Shri Manubhai Shah : The process of beet crushing is different, this will be regular crushing.

विश्रामपुर कोयला खान

*696. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री अ० व० राघवन :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की मध्य प्रदेश स्थित विश्रामपुर कोयला खान में चलने वाली एशिया की सबसे बड़ी कोयला निकालने वाली मशीन (ड्रेगलाइन) 3 जून, 1965 को खराब हालत में पाई गई;

(ख) क्या इस मशीन के बिजली के उपकरण दो पारियों के बीच की अवधि में बुरी तरह खराब पाये गये जिसके कारण मशीन बेकार हो गई;

(ग) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रबन्धकों ने मशीन की समुचित मरम्मत करवाने के लिये कोई प्रबन्ध किया है, और यदि हां, तो क्या मशीन ठीक हो गई है; और

(घ) क्या यह तोड़-फोड़ का परिणाम है और क्या अपराधियों पर मुकदमा चलाया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : हां, महोदय ।

(ग) निकर्षक यंत्र की पूर्णतया मरम्मत करने तथा उसे चालू करने के लिए कुछ मशीनी भागों का आयात करना है । इस संबंध में कार्यवाही शुरू कर दी गई है ।

(घ) यह शंका की जाती है कि वह अन्तर्ध्वंसात्मक कार्यवाही है और पुलिस तहकीकात जारी है । एक गिरफ्तारी की जा चुकी है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : चूंकि मशीन काफी महंगी है इस लिए मैं यह जानना चाहता हूं कि उसके खाली रहने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को कितनी हानि उठानी पड़ी है ?

श्री तिम्मय्या : लगभग 30,000 रुपये हैं, उसमें कुछ पुर्जे फिर से बदलने का मूल्य भी है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : जो लोग इस तोड़ फोड़ के लिए उत्तरदायी थे, उन्हें पकडने के लिए क्या ठोस पग उठाये जा रहे हैं ?

श्री तिम्मय्या : जैसा कि मैंने अभी हाल कहा है कि एक व्यक्ति तो गिरफतार किया जा चुका है। जिन कर्मचारियों पर संदेह है, उन्हें वहां से हटा दिया गया है और पुलिस जांच में काफी प्रगति हो रही है।

श्री दाजी : एक कर्मचारी तो गिरफतार किया गया है, परन्तु क्या कोई जांच हुई है और क्या सरकार को इस बात का पता है कि खानों में नियन्त्रण का पूर्ण अभाव है और यह तोड़ फोड़ इसी का परिणाम है ? जब तक वहां नियन्त्रण को कड़ा नहीं किया जाता, इस प्रकार की घटनायें होती रहेंगी। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बारे में कोई जांच की गयी है ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : अनुशासन हीनता की जाँच तो हम करते रहे हैं। चूंकि वहां छटनी हुई है, इस लिए निगम इस बारे में कार्यवाही कर रहा है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह तोड़ फोड़ करने वाले हमारे देश के ही राष्ट्रजन थे अथवा किसी अन्य देश के थे ? और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अब आगे के लिए खानों की सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ किया जा रहा है।

श्री संजीव रेड्डी : यह हमारे ही उन लोगों ने की जो कि वहां काम करते हैं। कुछ लोग बिल्कुल विकृत हुए है। कोई विदेशी व्यक्ति इस तोड़ फोड़ में नहीं है।

Shri A. S. Sehgal : What was the necessity of bringing this machine from the foreign countries, when we are competent enough to make repairs here.

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri P. C. Sethi) : This is a very costly machine. The cost price is 1,25,00,000 Rupees. The spare parts will also have to be imported.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : तोड़ फोड़ का यह पहला मामला नहीं है, क्या मंत्रालय का सुरक्षा कार्य ठीक ढंग से नहीं चल रहा। और क्या सरकार सुरक्षा बल बनाने का विचार कर रही है जो कि इन संयन्त्रो और मशीनों की रक्षा का कार्य करेगी ?

श्री संजीव रेड्डी : यहां, इस घटना की ओर गृह कार्य मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है। उन्होंने राज्य सरकार से सम्पर्क किया है और काफी उचित कार्यवाही इस दिशा में की जा रही है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The minister has stated that this work has been done by own people who were disgusted and disgrunted. I want to know whether those who have been arrested in this connection, are members of INTUC, which is the only recognized union in this Industry, whether this work has been done by the members of this union ?

श्री संजीव रेड्डी : इसके लिए अलग प्रश्न की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि वहां एक ही कार्मिक संघ है अथवा दो।

श्री बडे : केवल एक ही संघ वहां है। माननीय मंत्री प्रश्न का उत्तर देना टाल रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है क्या वह इस संघ का सदस्य है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा है कि इस समय उन्हें पता नहीं, इसके लिए अलग से प्रश्न प्रस्तुत कर दिया जाय।

श्री संजीव रेड्डी : हो सकता है कि माननीय सदस्य की जानकारी ठीक ही हो।

सरकारी कर्मचारियों को स्कूटरों का आवंटन

+

*697. **श्री यशपाल सिंह :** **डा० लक्ष्मीमल्ल संघवी :**
श्री बागड़ी : **श्री लखमू भवानी :**

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पुंज से स्कूटर आवंटित करने के नियमों में परिवर्तन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वास्तविक परिवर्तन किये गये हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) परिवर्धित नियमों के अनुसार केवल उन प्रार्थियों को ही स्कूटरों का नियतन किया जाएगा जिनका वेतन कम से कम 350 रु० माहवार है।

Shri Yashpal Singh : May I know whether this has come to the notice of the Government that sometimes an employee gets scooter thrice and there are others, who never get even one, if so, the steps taken by the Government to regularize this irregularity ?.

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : नहीं जी, नियमों के अन्तर्गत इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री दाजी : यह तो ठीक है परन्तु ऐसा होता है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इसका उल्लंघन होता है।

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : नहीं जी।

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government have thought over this proposal that quota of Cars and Scooters being given to the Ministers and M. P.s should be given to the public, and unless their demand is fulfilled the quota should not be given to Ministers and M.P.s.

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : केन्द्रीय सरकार के कोटे का आम पब्लिक के कोटे के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। वह तो बिलकुल अलग ही होता है। जो केन्द्रीय सरकार का कोटा है, उसमें से मंत्रियों, संसद् सदस्यों तथा सरकारी कर्मचारियों को कोटा मिलता है। इसमें से पब्लिक को भी अंश मिल सकता है।

श्री दे० जी० नायक : क्या इन स्कूटरों का कुछ लोग दुरोपयोग करते हैं ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि०ना० सिंह): हो सकता है कि दुरोपयोग हुआ हो, परन्तु यदि इस तरह का कोई मामला मेरे नोटिस में आयेगा तो निश्चय ही उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। अपने आप भी मैं कार्यवाही कर रहा हूं।

श्री दाजी : क्या यह बात सरकार के नोटिस में आई है कि लोग अपनी अवधि के दो वर्ष से पूर्व ही स्कूटर बेच देते हैं? सरकारी कर्मचारियों तथा सरकारी क्षेत्र के निकायों को दिये गये स्कूटर प्रायः काले बाजार में चले जाते हैं। क्या यह दोष सरकार के नोटिस में आया है और इसका कोई उपचार किया जा रहा है?

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : इस तरह कि कुछ शिकायतें हैं, यद्यपि कोई विशेष शिकायत नहीं यह ठीक है कि लोग दो वर्ष वाला नियम का पूरी तरह पालन नहीं करते। इस बारे में हम कुछ पग उठाने के बारे में विचार कर रहे हैं।

Shri Buta Singh : In view of the increasing demand for scooters, I would like to know, whether Government are considering to break this monopoly of Scooter manufacturers and allow other firms to manufacture them ?

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : कोई एकाधिकार नहीं है। स्थिति यह है कि स्कूटरों की खरीद पर से रोक हटा ली गयी है। नये आवेदन पत्र इसके लिए मांगे गये हैं। मैंने सदन को बताया है कि 174 आवेदन पत्र आ चुके हैं और अब उनकी छानबीन हो रही है।

Shri K. N. Tiwari : As stated by the Minister there are 174 applications lying pending. This is due to the shortage of scooters. When the licences would be granted to them so that the production of scooter may be done according to the requirements ?

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : 174 आवेदन पत्रों की छानबीन बहुत ही कठिन मामला है। इसके लिए समय लगेगा। इसके लिए एक तकनीकी समिति बना दी गयी है। वह उन पर विचार कर रही है। यह हो जाय तो सारा मामला इस सप्ताह तक सम्बद्ध समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

Shri Tulsidas Jadhav : There is a shortage of scooters in this Country. Why Government do not give permission to the manufacturers for increased production of scooters ?

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : कुछ आवेदन पत्रों का अभी तक निर्णय नहीं हुआ।

श्री राम सहाय पांडे : अधिक स्कूटर निर्माण करने की दृष्टि से क्या सरकार ने आवेदन पत्र मांगे है। यदि हां, तो इन आवेदन पत्रों पर कब तक निर्णय किया जायेगा?

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : मैंने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : चूंकि स्कूटरों की कमी है, इस लिए क्या सरकार ने तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष के लिए कोई कोटा निर्धारित किया है?

श्री विबधेन्द्र मिश्र : तीसरी योजना में स्कूटरों के संबंध में अलग से कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है।

श्री दी० चं० शर्मा : कम से कम 350 रुपये मासिक वेतन का आधार स्कूटर की अलाटमैन्ट के लिए क्यों रखा गया है? इस दिशा में लक्ष्य निर्धारित करने के क्या आधार हैं?

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : इससे पूर्व केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी स्कूटर के लिए आवेदन पत्र देने में स्वतन्त्र थे। इस तरह सभी लोगों की मांगे पूरा करना असम्भव होता था। अतः फरवरी में 17000 आवेदन पत्र निलम्बित थे। इसलिए सरकार ने अलाटमैन्ट के लिए कुछ नियम बनाये और 500 रुपये की सीमा निश्चित की गयी। फिर यह 500 रुपये का वेतन अधिक समझा गया। अब यह कम कर के 350 कर दी गयी है।

स्वदेशी इस्पात संयंत्र, रांची

\+

*698. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्णतः "स्वदेशी" इस्पात संयंत्र चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र की क्षमता तथा अन्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह कहां स्थापित किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : चतुर्थ योजना अवधि में पूर्णतः देश में संविरचित इस्पात संयंत्र स्थापित करना संभव नहीं हो सकेगा। फिर भी देशीय स्त्रोतों से अधिक से अधिक उपकरण प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह स्वदेशी सयंत्र भी बनाया जायेगा, और यह अन्य संयत्रों के मुकाबले में कैसा रहेगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह निर्माण स्थिति उत्तरोत्तर सुधार रही है। भिलाई में पहले हम 10 से 15 प्रतिशत देशी चीजें बना सकते थे। छठी धमन भट्टी तक हम 50 प्रतिशत तक पहुंच गये।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग निगम को इस संयन्त्र को बनाने का काम सौंपा गया है ? दुर्गापुर को जो सामान दिया जाता है, उसका 40 प्रतिशत जो कि दुर्गापुर को सम्भरण किया गया है अस्वीकृत कर दिया गया है। इस प्रकार के दोष आगे को न हो, इसके लिए सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

श्री प्र०चं० : सेठी : हिन्दुस्तान इंजीनियर निगम सब से प्रमुख निर्माता होगा जो कि सम्बद्ध सामान का निर्माण करेगा। इसके अतिरिक्त कुछ निर्माण गैर सरकारी क्षेत्र में भी होंगे। उस क्षेत्र में यह निर्माण 19,350 टन प्रतिवर्ष होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस बात की कोई प्रतिशतता का अनुमान लगाया गया है कि बोकारो में हो रहा कितना काम देश में हो सकता है।

श्री प्र० चं० सेठी : यह लगभग 35 प्रतिशत होगा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या निगम द्वारा निर्मित चीजों तथा आयात की हुई चीजों के लागत व्यय में कोई भेद रहता है और क्या मंत्रालय ने उन्हें कहा है कि देशीय चीजों का मूल्य आयात की हुई चीजों से अधिक नहीं होना चाहिए, यदि हां, तो इसके बारे में निगम की प्रतिक्रिया क्या रही है ?

श्री प्र० चं० सेठी : आरम्भ में जब निर्माण कर आरम्भ होगा उस समय एक रूपता लाना सम्भव नहीं है। बाद में निश्चय ही उसका मूल्य कम होगा।

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या इस संयंत्र की दृष्टि से सरकार कुछ तकनीकी कर्मचारियों को अन्य इस्पात कारखानों से निकालेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह मामला उद्योग मंत्रालय से सम्बन्ध रखता है।

भारी इंजीनियरी निगम, रांची

*699. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात संयंत्रों से पक्के क्रयादेश न मिलने के कारण भारी इंजीनियरी निगम, रांची के पूर्ण क्षमता पर सामान्य रूप से काम करने में बाधा पड़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस्पात संयंत्रों की स्वदेशी उपकरणों सम्बन्धी मांग, और उसकी पूरा करने के लिये भारी इंजीनियरी निगम की क्षमता में उत्तम समन्वय स्थापित करने के हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग और सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) भारी मशीन निर्माण संयंत्र के लिए निगम का इरादा 65,000 टन की क्षमता का होगा। यह कुल 80,000 क्षमता में से होगा। 1965-66 में क्षमता 3,600 टन की होगी ओर 1966-1967 में 13,600 हो जायेगी। फिर इनमें 3,550 और 10,038 टन की क्रमशः वृद्धि हो जायेगी। जब आवश्यकताओं का स्पष्ट संकेत मिल जायेगा, तो उसका आर्डर दे दिया जायेगा।

(ख) भारी इंजीनियरी निगम इस्पात संयन्त्र प्राधिकारियों के सम्पर्क में है। उद्योग विभाग का भी उससे पूरा समन्वय है। लोहा और इस्पात पूरा काम का आश्वासन दिया है। इसके अतिरिक्त इस्पात निर्माताओं और खरीद दारों से भी निगम का पूरा सम्पर्क है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या माननीय मंत्री का ध्यान हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग निगम के सभापति द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर आकृष्ट हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि निगम की क्षमता का विस्तार करने के कारण दर बढ़ गये है और इससे संयंत्र के विस्तार में काफ़ी कठिनाइयों का पैदा हो जाना सम्भव है ?

भारी इंजीनियरिंग और उद्योग मंत्रालय में उद्योग और सम्भरण मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : यह ठीक है कि हमें और अधिक मांग की अपेक्षा है। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमें इस्पात मंत्रालय का पूरा सहयोग मिल रहा है। अपेक्षा इस बात की है कि हम काफी वर्षों का कार्यक्रम पहिले ही बनाले। हमें एक दो वर्ष पूर्व ही आर्डर मिल जाने चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जितने आर्डर अबतक मिले है उसमें कितने प्रतिशत हिन्दुस्तान स्टील के है और कितने गैर-सरकारी इस्पात संयंत्रों के ?

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : मुख्यतः यह सरकारी क्षेत्र के ही इस्पात संयंत्रों से है।

Shri Yashpal Singh : May I know whether the Hon. Minister can tell our requirements of plants, the number of plants we have imported and how far Heavy Electricals of Hardwar has helped in this direction ?

Shri T. N. Singh : We can have only parts from the Steel plants of Heavy Electricals of Hardwar. Other articles, we are manufacturing at Ranchi.

श्री रंगा : जो कुछ हम निर्माण कर रहे है उसके लिए हमें बहुत समय पहिले आर्डर चाहिए। जो कुछ मंत्री महोदय ने कहा है, उसे देखते हुए लगता है कि उचित और अपेक्षित समन्वय प्राप्त नहीं हो रहा। हमारे माननीय मित्र सत्य बात को स्वीकार करने में संकोच क्यों कर रहे हैं। उन्हें कहना चाहिए कि उन्हें अपेक्षित उपभोक्ताओं से सहयोग नहीं मिल रहा। यद्यपि यह सारे उपभोक्ता सरकारी क्षेत्र में हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं जो कुछ कह रहा हूं वह पूरी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। हमें सम्भव सहयोग सभी दिशाओं से मिल रहा है। इस्पात मंत्रालय हमारा सबसे बडा उपभोक्ता है। बात यह है कि इस दिशा की कुछ कठिनाइयां है और उसके लिए हमें तैयार होना पड़ता है। इसके लिए समय लगता ही है।

जब तक विशिष्ट विवरण तैयार न हो जायें हम आदेशों का निर्वहन नहीं कर सकते। इस्पात मंत्रालय इस काम में लगा हुआ है परन्तु यह एक कठिन कार्य है और वे इस को शीघ्र निपटाने के लिये बहुत गम्भीरता से संलगन हैं।

श्री श्यामलाल सर्राफ : माननीय मंत्री की ओर से दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुये उपयोगी संयंत्रों, निर्माण करने वाले संयंत्रों तथा इस्पात मंत्रालय से मिलने वाले माल के समन्वय के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : इस बारे में मुझे यही कहना है कि हम ग्राहकों के प्रति बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि उन के प्रति होना चाहिये। हम यही तरीका अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार क्रयादेश प्राप्त करने के लिये अपना रहे हैं। हम लगातार उन से सम्पर्क बनाये रखते हैं और हर ऐसे उत्पादन की खोज में रहते हैं जो हम कर सकते हैं और उन्हें दे सकते हैं। इस से अच्छा फल प्राप्त हो रहा है।

Shri Bade : May I know whether it is a fact that there has been a delay in executing the orders received by the Heavy Engineering Corporation from the steel plants and that is why other steel plants are not giving the orders to this corporation ? The reason put forward is that there is labour trouble. Is it a fact ? I would like to know the number of pending orders which have not yet been executed or which were not executed in time ?

Shri T. N. Singh : I could not follow the question.

Shri Bade : The complaint is whether it is a fact that orders placed by steel plants with this corporation have not been executed and the supplies have not been made in time and that is the reason other steel plants are not placing their orders with this Corporation and they are not co-operating with them ?

Shri T. N. Singh : There is no such thing.

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : क्या इस्पात कारखानों से क्रय आदेशों का अभाव इस लिये है क्योंकि वर्तमान इस्पात के लगभग सभी कारखाने विदेशी सहयोग या विदेशी सहायता से बनाये गये हैं और वे देशी मशीनरी की अपेक्षा आयातित मशीनरी पर अधिक विश्वास रखते हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : उन संयंत्रों, जो कि रूस के सहयोग के अतिरिक्त दूसरे देशों के सहयोग से बनाये गये हैं, में अनुकूलता लाने में कुछ कठिनाई है । हम प्रयत्न कर रहे हैं । दुर्गापुर के मामले में अनुकूलता लाना सम्भव है। यदि यह ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। इसी प्रकार टाटा और रोड़केला के बारे में भी अनुकूलता लाया जाना सम्भव है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बारे में जो सहयोग है उस की प्रशंसा करते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि भारी इंजीनियरिंग निगम किस हद तक प्रस्तावित बोकारों इस्पात कारखाने की मांग को पूरा करेगी ?

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : बोकारो इस्पात कारखाने के बारे में, यदि मैं गलत हूं तो इस्पात तथा खान मंत्री मुझे ठीक करेंगे, रिपोर्ट तैयार नहीं है और कि प्रश्न रिपोर्ट तैयार होने के बाद उठाया जायेगा।

श्री कृ० चं० पंत : क्या भारी इंजीनियरिंग निगम के नमूना एकक में पर्याप्त लचकीलापन है ताकि यदि इस्पात संयंत्रों द्वारा क्रयादेश न मिले तो इस की क्षमता को अन्य संयंत्रों में मशीनों के उत्पादन की ओर मोड़ा जा सके ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं इस का दावा नहीं कर सकता कि वहां हमारे पास नमूनों की क्षमता पर्याप्त मात्रा में है परन्तु रांची में इस मनोरथ के लिये काफी बड़ी क्षमता का विकास किया गया है और वहां मांग पूरी करने के प्रयत्न कि जाये रहे हैं।

कोयला खानों के प्रबन्ध पर अधिकार

*700. **श्री ह० च० सोय :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की धोरी दुर्घटना के बाद, असुरक्षित तथा पुरानी खानों का प्रबंध जिनमें कोयला खानें भी सम्मिलित हैं, सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) नहीं, महोदय।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री ह० च० सोय : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस बात से अवगत है कि खान का निरीक्षण असावधानी से किया गया था और वह पर्याप्त नहीं था और कि धोरी दुर्घटना से पूर्व इस खान का निरीक्षण किया गया था और कहा गया था कि यह खान सुरक्षित है ?

श्री तिम्मय्या : यदि कोई खान अरक्षित मिलती है और वहां जिन्दगी को खतरा होता है तो खान अधिनियम में अन्तर्गत मुख्य निरीक्षक इस के विरूद्ध कार्यवाही करता है और ऐसी खानों को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री ह० च० सोय : प्रश्न यह था कि क्या घोरी दुर्घटना से पहले उस खान का नियमित निरीक्षण किया गया था और कि क्या निरीक्षण की रिपोर्ट यह थी कि खान सुरक्षित है ?

श्री तिम्मय्या : इस बात पर ध्यान देना श्रम मंत्रालय का काम है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जहां तक घोरी खान का सम्बन्ध है खान मालिकों की ओर से खान में काम करने के लिये अन्तिम सक्षमता का प्रमाणपत्र कब लिया गया था?

श्री तिम्मय्या : मुझे इस प्रश्न के लिये सूचना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री दी० चं० शर्मा।

श्री दी० चं० शर्मा : उठते हैं।

श्री हेम बरुआ : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रथम प्रश्न का उत्तर था कि श्रम मंत्रालय को इस पर ध्यान देना चाहिये। दूसरे प्रश्न का उत्तर था कि उन को सूचना चाहिये। इस से मालूम होता है कि मंत्रालय प्रश्नों का उत्तर देने के लिये तैयार हो कर नहीं आई। घोरी की दुर्घटना एक बड़ी दुर्घटना थी।

श्री दी० चं० शर्मा : मुझे कहा गया था परन्तु दूसरे सदस्य बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि एक माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिये खड़े हो जाते हैं तो मुझे क्या करना चाहिये? माननीय सदस्य को भी इस कठिनाई को जानना चाहिये। अब वह अपना प्रश्न कर सकते हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि किसी ऐसी परियोजना पर विचार कर रही है कि जो खाने पुरानी हैं और जो सुरक्षित हैं उन की सूची तैयार की जाये? यदि हां, तो सरकार इस प्रश्न को, इन दो प्रकार की खानों के मालिकों की तुलना में, किस प्रकार हल करना चाहती है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : क्या मैं इस बात को स्पष्ट कर सकता हूं कि जहां तक खानों के निरीक्षण का सम्बन्ध है यह खान अधिनियम की धारा 22(3) के अधीन श्रम मंत्रालय की देखभाल के अधीन किया जाता है? जब कि आर्थिक दृष्टि से जहां तक इन खानों के काम करने का सम्बन्ध है, हम प्रश्न के इस पहलू पर निःसन्देह ध्यान देंगे।

श्री हेम बरूआ : क्या इन दो मंत्रालयों में कोई समन्वय है?

इस्पात तथा खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : जी, हां।

उदयपुर में जस्ता पिघलाने का कारखाना

*704. **श्री कपूर सिंह** :
श्री सोलंकी :

क्या इस्पात और ~~खान~~ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर में भारत के जस्ता पिघलाने के प्रथम कारखाने के लिये 5 करोड़ रुपय के ऋण की प्रार्थना पर सरकार ने चिरकाल से कोई निर्णय नहीं किया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि ऋण न मिलने के कारण इस कारखाने के लिये आयात की गई मशीनों पर, जो इस समय बम्बई पत्तन में पड़ी हैं, भारी विलम्ब शुल्क दिया जा रहा है;

(ग) सरकार को प्राप्त हुई ऋण संबधी प्रार्थना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस ऋण की मंजूरी देने में क्या कठिनाई हैं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ग) : राजस्थान सरकार से मैसर्स मैटल कारपोरेशन आफ इंडिया का 3 करोड़ रु० का ऋण देने की एक प्रार्थना अगस्त 1963 में केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुई थी। अगस्त 1964 में कारपोरेशन ने 6 करोड़ रु० के रूपी ऋण की प्रार्थना की।

(ख) जी, महोदय।

(घ) चूंकि कुछ दिये गये ऋण को वापस करने में कारपोरेशन ने दोष किया है तथा वह मैचिंग साम्य (इक्विटी) प्राप्त नहीं कर सकी है, अतएव इस मात्रा का और ऋण दिये जाने पर ध्यानपूर्वक विचार करना आवश्यक है ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार इस के लिये कोई कार्यवाही कर रही है कि सरकार से उस ओर हुये विलम्ब के कारण निगम के काम में नुकसान न हो ?

इस्पात तथा खान मन्त्री (श्री सं ीव रेड्डी) : इस समय इस प्रश्न पर सरकार तेजी से विचार कर रही है । कुछ ही दिनों में कार्यवाही की जायेगी ?

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

पांच वे इस्पात संयंत्र का स्थल

अ० सू० प्र० 5. श्री पें० वेंकटासुब्बया : **श्री राधेलाल व्यास :**
श्री चांडक : **श्री दाजी :**
श्री भानु प्रकाश सिंह : **श्री बासप्पा :**

क्या **ईस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में पांचवे इस्पात संयंत्र की स्थापना के स्थल के बारे में सर्वोच्च स्तर पर बातचीत की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) क्या आंग्ल-अमरीकी सार्थ-संघ के प्रतिवेदन पर भी विचार किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : जी हा, पांचवे इस्पात संयंत्र के स्थान क बार म सरकार शाघ्र ही िणय करगी ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : आंग्ल-अमरीकी सार्थ-संघ ने, जो कि एक तकनीकी निकाय है, पांचवे इस्पात संयंत्र को विशाखापटनम में लगाने की निरुपाधि सिफारिश की है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस स्थिति के बारे में शीघ्रता से अन्तिम निर्णय करने में सरकार को क्या बाधा पड़ रही है ?

श्री प्र० चं० सेठी : प्रतिवेदन के प्राप्त होने के बाद इस पर विभिन्न पहलुओं से विचार किया गया था और विभिन्न मंत्रालयों से इस के बारे में परामर्श करना था । अब जबकि सब परामर्श समाप्त हो गये है यह विषय मंत्रिमंडल के सम्मुख है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि इस्पात का प्रतिरक्षा उत्पादन और दूसरे विषयों में एक महत्वपूर्ण स्थान होगा क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार विशाखापटनम में इस्पात संयंत्र लगाने के लिये शीघ्र निर्णय करेगी जो कि तकनीकी दल का एक सोचा समझा विचार है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जब मंत्रि मण्डल इस पर अन्तिम निर्णय देगा तो इन सब पहलुओं पर विचार किया जायेगा ।

श्री चांडक : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सार्थ-संघ ने मध्य प्रदेश में बैलाडीला के स्थान पर भी विचार किया था और यदि हां तो इस स्थान को क्यों रद्द किया गया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : तकनीकी दल ने उन छः स्थानों के सभी पहलुओं पर विचार किया था जिन के लिये उन को कहा था। उन्होंने उन सब स्थानों की जांच की और अपना प्रतिवेदन दिया।

श्री भानु प्रकाश सिंह : इस प्रतिवेदन को प्रकाशित किये जाने की निरन्तर मांग के बावजूद सरकार ने इस को प्रकाशित नहीं किया है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस के बारे में गोपनीयता क्या है और इस को कब सभा-पटल पर रखने का सरकार का विचार है ?

इस्पात तथा खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : बहुत देर पहले इस प्रतिवेदन को पुस्तकालय में रख दिया गया था। मेरे माननीय मित्र ने इस को पढ़ने का कष्ट नहीं किया है।

श्री राधेलाल व्यास : क्या यह सच है कि विशेषज्ञों का दल जिस ने अलग अलग स्थानों की जांच की थी समय पर बैलाडीला नहीं जा सका था और वहां अधिकारियों से नहीं मिल सका था और जब वह दल वहां गया तो अधिकारी पहले ही वहां से जा चुके थे ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं तो यही कह सकता हूं कि वह दल बैलाडीला भी गया था। जब वह दल वहां गया तो अधिकारी वहां नहीं थे। समय के बारे में कुछ गलतफहमी हो सकती है।

श्री दाजी : क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने विधान सभा में कहा था कि सार्थ-संघ की ओर से मध्य प्रदेश सरकार को पूर्ण अवसर नहीं दिया गया और कि सार्थ-संघ ने स्वयं कोयले और लोहे की लागत को ध्यान में रखते हुये इस बात की सिफारिश की थी कि बैलाडीला एक उपयुक्त और सस्ता स्थान है। क्या सरकार ने इस पर भी विचार किया है ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं ने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री और अन्य प्रतिनिधियों से बातचीत की थी। हम ने इस पर पूर्ण रूप से बातचीत की थी और इस की रिपोर्ट पुस्तकालय में रखी गई है। मुझे इस प्रतिवेदन पर टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य इस को पढ़ सकते हैं और अपनी राय बना सकते हैं।

श्री दाजी : मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि सार्थ-संघ ने उन के साथ पर्याप्त परामर्श नहीं किया था। यह शिकायत स्वयं मुख्य मंत्री ने विधान सभा में की है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है।

श्री संजीव रेड्डी : मैं नहीं जानता कि उन्होंने किस के साथ परामर्श किया था परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि वह दल वहां गया था। मध्य प्रदेश सरकार की शिकायत यह है कि उन के अधिकारी या तो एक दिन जल्दी या एक दिन विलम्ब से वहां पहुंचे थे। इस लिये इन के अधिकारियों और सार्थ-संघ के सदस्यों में संपर्क नहीं बन सका था। इस से अधिक मुझे मालूम नहीं है।

श्री बासप्पा : क्योंकि आंग्ल-अमरीकी सार्थ-संघ ने इस परियोजना की लागत का ठीक अनुमान नहीं लगाया है और कि उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने इस सारे प्रश्न की जांच करने के लिये कुछ विशेषज्ञ नियुक्त करने की प्रधान मंत्री से प्रार्थना की है तो क्या सरकार इस सारे विषय की जांच करने के लिये वित्तीय विशेषज्ञ नियुक्त करेगी ?

श्री संजीव रेड्डी : मेरा विचार है कि बहुत से विशेषज्ञों ने पहले ही इस का अध्ययन कर लिया है। फिर भी सारा विषय मंत्रिमण्डल के विचाराधीन है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या यह सच नहीं है कि भारत सरकार के कुछ मंत्रालयों ने इस सार्थ-संघ की पूर्वधारणाओं पर घोर आपत्ति की थी और उन्होंने इस सार्थ-संघ की सिफारिशों पर भी आपत्ति की है। यदि हां तो क्या माननीय मंत्री विभिन्न मंत्रालयों की पक्की राय को इस विषय पर कोई निर्णय लेने से पूर्व सदन-पटल पर रखेंगे ?

श्री संजीव रेड्डी : नहीं महोदय, बिल्कुल नहीं। मंत्रिमण्डल उस पर विचार कर रहा है। मंत्रालयों की सभी सिफारिशें सदन पटल पर कैसे रखी जा सकती हैं? मंत्रि मण्डल उन पर विचार करेगा और मंत्रि मण्डल की निश्चित राय सभा के सम्मुख रखी जा सकती है।

विद्या चरण शुल्क : मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं जान सकता हूं कि क्या विभिन्न मंत्रालयों द्वारा इस पर आपत्ति की गई थी?

श्री संजीव रेड्डी : नहीं महोदय। प्रत्येक मंत्रालय इस प्रश्न के अपने से संबंधित पहलू पर विचार प्रकट करता रहा है।

श्री रंगा : श्रीमन् जी, क्या हम मंत्री महोदय से यह आश्वासन ले सकते हैं कि इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की सम्मति के आधार पर ही निर्णय किया जायेगा और कोई राजनीतिक दृष्टिकोण इस में बाधा नहीं होगा?

श्री संजीव रेड्डी : सरकार इन्हीं दिशाओं में विचार कर रही है और उचित निर्णय लेगी।

श्री बडे : क्या यह सच है कि कुछ गलतफहमी के कारण मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी सार्थ-संघ के लोगों से नहीं मिल सके जिस के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश की सरकार अपने विचार सार्थ-संघ के सम्मुख नहीं रख सकी?

श्री संजीव रेड्डी : नहीं महोदय। फिर भी केन्द्र सरकार के सम्मुख मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अपना दृष्टिकोण रख दिया है। उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है। वह मुझ से और प्रधान मंत्री जी से भी मिल चुके हैं।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या मैं जान सकता हूं कि इस्पात मंत्रालय में इस दल को गोआ में छोटी लाईन के जोड़ के विषय में पथ भ्रष्ट करने के लिये कौन उत्तरदायी है? क्योंकि इस्पात संयंत्र के अतिरिक्त रेलवे मंत्री महोदय ने यह प्रस्ताव रखा है कि गोआ में छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदल देना चाहिये और केवल इसका ही इस दल पर विपरीत प्रभाव पडा है।

श्री प्र० चं० सेठी : दल को किसी ने पथ भ्रष्ट नहीं किया।

श्री राम सहाय पाण्डे : इस्पात संयंत्र को स्थापित करने के लिये, क्या मैं जान सकता हूं कि मध्य प्रदेश के बैलाडिला क्षेत्र में उच्चकोटि का लोह अयस्क प्राप्त हुआ है जो कि वहां इस्पात संयंत्र की स्थापना में बहुत सहायक है। दूसरे क्या यह सच नहीं है कि करोड़ों रुपये पूर्ण सर्वेक्षण के लिये खर्च किये गये हैं जो कि बैलाडिला के पक्ष में है?

श्री संजीव रेड्डी : ऐसा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य अपने क्षेत्रों में इस संयंत्र की स्थापना के लिये वकालत कर रहे हैं। इनकी गुणों के आधार पर जांच की जाय।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

नेपा अखबारी कागज मिल

*692. **श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपा अखबारी कागज मिल में कच्चे माल की बड़ी भारी कमी है;

(ख) क्या इस भारी कमी के और अधिक बढ़ जाने की संभावना है, क्योंकि मिल द्वारा उस आयोजित वन क्षेत्र में फिर से ऐसे वृक्ष नहीं लगाए गये हैं जिन से कच्चा माल प्राप्त होता है ; और

(ग) इस संकट को दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

भिलाई में ऊष्मसह वस्तुयें बनाने का कारखाना

*701. **महाराज कुमार विजय आनन्द** : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात संयंत्रों को ऊष्मसह वस्तुएं देने के हेतु भिलाई में एक ऊष्मसह वस्तुएं बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिये रूसी परामर्शदाताओं से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) क्या उस में की गई सिफारिशों को कार्यरूप देने के लिये कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : रूसी परामर्शदाताओं द्वारा दिये गये प्रायोजना प्रतिवेदन का अध्ययन किया जा रहा है । अध्ययन कर चुकने के पश्चात सरकार निर्णय करेगी ।

कोयला खनन मशीनों का निर्यात

*702. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये कोयला खनन मशीनों का निर्यात करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विदेशी बाजारों की मांग तथा इन मशीनों के प्रतिस्पर्धी मूल्यों का अनुमान लगा लिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : कोयला खनन मशीनों के वर्तमान उत्पादन स्तर द्वारा देश की आवश्यकताओं की पूर्ति अभी कठिनाई से हो पाती है । इनकी क्षमता में वृद्धि करने के लिय कदम उठाये गये हैं । उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो जाने पर विदेशी बाजारों इत्यादि की आवश्यकताओं का आकलन किया जायेगा ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

*703. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : भारतीय अभिकरणों ने कितने मामलों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में तकनीकी एवं आर्थिक अध्ययन किया है तथा उससे क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या** एल०टी०-4879/65]।

पाकिस्तान को कोयले का निर्यात

*705. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान को कोयले का निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग) : 1 सितम्बर 1963 को हुए भारत-पाकिस्तान व्यापार करार में की गयी व्यवस्था के अनुसार, भारत ने 1·30 लाख टन कोयला प्रतिमाह पाकिस्तान को मुक्त विदेशी मुद्रा के आधार पर संभरित करना स्वीकृत किया था। इसके बाद पाकिस्तान से हुए जुलाई 1964 और जनवरी 1965 में दो चावल सौदो के अनुसार यह समझौता हुआ था कि पाकिस्तान को कोयले का संभरण, उसके द्वारा भारत को संभरित होने वाले चावल के मूल्य के अनुपात में किया जायेगा। इन्हीं व्यवस्थाओं के अनुसरण में अभी हाल तक पाकिस्तान को कोयला निर्यात किया जाता रहा है। भारत से पाकिस्तान को सभी वस्तुओं का निर्यात करना, जिनमें कोयला भी सम्मिलित है, 10 सितम्बर, 1965 से वर्जित कर दिया गया है।

हेवी इलैक्ट्रिकल्स प्रोजेक्ट, रानीपुर

*706. **श्री रामानन्द शास्त्री :** **श्री कृ० चं० शर्मा :**

श्री हन्सार हरवानी : **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

श्री शिव नारायण :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हैवी इलैक्ट्रिकल्स प्रोजेक्ट, रानीपुर (हरिद्वार) में हजारों बोरी सीमेंट पत्थर के समान सख्त हो गया ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितनी बोरियों का सीमेंट खराब हो गया और इससे कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या इस मामले में जांच की गई है ;

(घ) यदि हा, तो इसके लिये कौन कौन जिम्मेवार पाये गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिये सरकार द्वारा क्या पग उठाये गये हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेंद्र मिश्र) : (क) 19 जुन, 1964 को अचानक तेज आंधी और वर्षा के कारण सीमेंट की कुछ बोरियों को रेलवे साईडिंग से उतारते समय क्षति पहुंची थी। छत की कुछ चादरें उड़ जाने के कारण सीमेंट के गोदाम में कुछ बोरीयों को भी क्षति पहुंची थी।

(ख) 590 बोरियां जिनका मूल्य लगभग 5,350 था।

(ग) से (ङ) : इसकी जांच पड़ताल अधिकारियों की एक समिति द्वारा की गई थी। यह क्षति और हानि दैवी आपत्ति से होने के कारण कोई भी व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी नहीं पाया गया।

4-डाउन कामरूप एक्सप्रैस रेलगाड़ी की दुर्घटना

*707. **श्री राम हरख यादव :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 जुलाई, 1965 की रात को पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे की 4-डाउन कामरूप एक्सप्रैस रेलगाड़ी की भीषण दुर्घटना हुई ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस दुर्घटना में जान और माल की कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं, । लेकिन उस रात नं० 3-अप असम डाक गाड़ी भीषण दुर्घटना में पड़ गयी थी ।

(ख) 23 जुलाई, 1965 को लगभग 21·42 बजे 3-अप असम डाक गाड़ी के चेलेंग हाट स्टेशन से गुजरने के फौरन बाद एक जोर का धमाका हुआ और गाड़ी का इंजन और उससे लगे 2 डिब्बे पटरी से उतर कर उलट गये और तीसरा डिब्बा पटरी से उतर गया । चौथे डिब्बे की कपलिंग को क्षति पहुंची ।

(ग) इस दुर्घटना में 11 व्यक्ति मारे गये । रेल-सम्पत्ति को लगभग 1,56,000 रुपये के नुकसान का अनुमान है ।

ट्रैक्टरों का निर्माण

*708. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री केम्पन :
श्री अ० ज० राघवन :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री वारियर :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री जेधे :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री लखमू भवानी :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्यम आकार के ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने के लिए रूस और चेकोस्लोवाकिया की सरकारों ने सहयोग देने की पेशकश की है ;

(ख) क्या इस विषय में कोई अन्तिम निर्णय किया जा चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) चेकोस्लोवाकिया की सरकार ने मध्यम आकार के ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिये सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना स्थापित करने के संबंध में भारत सरकार के साथ सहयोग का प्रस्ताव रखा है। मई, 1964 में भारत और चेकोस्लोवाकिया के बीच जिस आर्थिक सहयोग संबंधी दूसरे करार पर हस्ताक्षर किये गये थे उसके अन्तर्गत इस परियोजना के लिए उपबन्ध किया जा चुका है। फिलहाल सरकारी क्षेत्र में इसी प्रकार की परियोजना का कोई अन्य प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) : विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये 28 अगस्त, 1965 को चेकोस्लोवाकिया के मेसर्स मोटोकोव के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं। वर्ष 1966 के अन्त तक आवेदन तैयार हो जाने की आशा है। इस परियोजना में 12,000 ट्रैक्टर (20 अ० श०), 28,000 खेती में काम आने वाले औजार और दोनों ट्रैक्टरों के फालतु पुर्जे तथा उत्पादन के कुल मूल्य के 20 प्रतिशत तक उपकरणों का निर्माण करने की क्षमता स्थापित की जाने का विचार है।

राखा परियोजना के लिये तांबा

*709. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री ह० च० सोय :
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इस समय प्रतिवर्ष 16 करोड़ रुपयों की लागत का तांबा आयात करता है ;

(ख) क्या बिहार में राखा तांबा परियोजना के लिये भारत को सहायता देने के सम्बन्ध में पोलैंड के साथ करार करने की व्यवस्था की जा रही है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में पोलैंड के विशेषज्ञों से बातचीत की है और यदि हां, तो परियोजना को शीघ्र ही आरम्भ करवाने के लिये उन्हें सहमत कराने के बारे में क्या प्रगति हुई है?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 1964-65 में 25 करोड़ रुपयों से अधिक कीमत का तांबा व मिश्र धातु आयात किए गए थे।

(ख) नहीं, महोदय। तथापि यह परियोजना यू०एस०एस०आर० से सहायता लेने के लिए विचाराधीन है।

(ग) नहीं, महोदय।

हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाना, बंगलौर

*710. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बागडी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाना, बंगलौर, में जून, 1965 के दूसरे सप्ताह में तीन दिन तक तालाबन्दी रही ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) विवाद किस तरह निपटाया गया ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) इसका कारण 10 जून, 1965 को अधिकतर मजदूरों के द्वारा कारखाने में जा कर हड़ताल करना था ।

(ग) परस्पर बातचीत तथा मैसूर सरकार के श्रम आयुक्त की सहायता के द्वारा ।

पटसन का मूल्य

***711. श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री यशपाल सिंह :

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् के पटसन उद्योग सम्बन्धी अध्ययन दल ने सिफारिश की है कि पटसन मिलों को सीधे काश्तकारों से पटसन खरीदना चाहिये ताकि उन्हें (काश्तकारों को) उचित मूल्य मिल सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री से० वे० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र में उद्योग

***713. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में नये उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता का अनुमान लगाने के दृष्टि से देश के उद्योगों की आवश्यकताओं की जांच तथा उन का मूल्यांकन करने के लिये कोई स्थायी सरकारी संस्था है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या कोई ऐसी प्रस्थापना विचाराधीन है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री(श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : इस प्रयोजन के लिये न तो कोई एक एजेंसी ही है और न इस प्रकार की किसी एजेंसी की स्थापना करने का प्रस्ताव ही विचाराधीन है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक आवश्यकताओं की जांच करने तथा उसका मूल्यांकन करने की एक मिली-जुली प्रक्रिया है जिसमें विकास परिषदें, तकनीकी विकास का महा-निदेशालय, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय तथा योजना आयोग भाग लेते हैं। आवश्यकताओं का पता लगा लेने के पश्चात् ही सरकार द्वारा योजना आयोग के परामर्श से तथा अन्य आवश्यक साधनों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस बारे में निर्णय किया जायेगा कि सरकारी क्षेत्र में कितनी और गैर-सरकारी क्षेत्र में कितनी क्षमता स्थापित की जानी चाहिये ।

उत्तर रेलवे पर विद्युतीकरण

*714. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे की विद्युत्-कर्षण व्यवस्था कब पूरी हो जायेगी ;

(ख) विद्युतीकरण पर कितना परिव्यय होने का अनुमान है और इसके परिणामस्वरूप कोयले की खपत तथा लागत में कितनी बचत होने की संभावना है ; और

(ग) कोयले के द्वारा तथा बिजली के द्वारा गाड़ियों को चलाने में तुलनात्मक दृष्टि से किस व्यवस्था में खर्चा कम आयेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) मुगलसराय-इलाहाबाद (सूबेदारगंज) खंड का बिजलीकरण पूरा हो चुका है और इलाहाबाद (सूबेदारगंज)-कानपुर खंड का बिजलीकरण 1966 के मध्य तक पूरा होने की सम्भावना है । प्रायः चौथी योजना के मध्य तक टूण्डला तक बिजलीकरण करने के बारे में इस समय विचार किया जा रहा है ।

(ख) मुगलसराय-कानपुर खण्ड पर कुल अनुमानित खर्च 20.09 करोड़ रुपये और कानपुर-टूण्डला खण्ड का 16·64 करोड़ रुपये है जिसमें चल-स्टाक का 6.02 करोड़ रुपये भी शामिल है । प्रारम्भिक चरणों में अधिकांश सीधी माल गाड़ियां बिजलीकर्षण द्वारा चलायी जायेंगी । बाद में जब चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में बिजली के इंजनों का उत्पादन अधिक होने लगेगा, इन पर सीधी सवारी गाड़ियां भी चलायी जायेंगी । उस समय लगभग $11\frac{1}{2}$ लाख टन कोयले की सालाना बचत होगी जिसकी कीमत 5·5 करोड़ रुपये होती है ।

(ग) एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-4880/65** ।]

आयात प्रशुल्क अनुसूची

*715. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री श्रीनारायण दास :**

श्री प्र० चं० बरुआ : **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमा प्रशुल्क सम्बन्धी वर्तमान ढांचे की जांच करने के लिये सरकार द्वारा स्थापित की गई प्रशुल्क पुनरीक्षण समिति ने यह विचार व्यक्त किया है कि भारत में ब्रुसैल की प्रशुल्क प्रणाली में आवश्यक संशोधन करके उस के आधार पर बनाई गई आयात प्रशुल्क अनुसूची होनी चाहिये ;

(ख) कितने देशों ने, 15 दिसम्बर, 1950, के ब्रुसैल के अभिसमय में दी गई आदर्श प्रणाली को अपनाया है ;

(ग) क्या पुनरीक्षण समिति ने अन्तरिम प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शहा) : (क) से (घ) : सरकार को मई 1965 में दिये अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में प्रशुल्क पुनरीक्षण समिति ने यह सिफारिश की थी कि संशोधित भारतीय सीमा प्रशुल्क, ब्रुसेल्स प्रशुल्क प्रणाली को अपने देश के व्यापार ढांचे, विकास आवश्यकताओं तथा अन्य संबद्ध पहलुओं को दृष्टि में रख, आवश्यकतानुसार घटा बढ़ा कर लागू करे और जहां विस्तार का प्रश्न हो जैसे कि उप-शीर्षक खोलना तो उसे संशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण में खुल कर उल्लिखित किया जाये। ज्ञात हुआ है कि 80 से अधिक देशों और प्रदेशों में ब्रुसेल्स प्रशुल्क प्रणाली को अपने प्रशुल्कों के लिये आधार बना लिया है। प्रशुल्क पुनरीक्षण समिति ने प्रशुल्क सम्बन्धों में यह वर्गीकरण लागू करने के लिये जो कारण दिये हैं, उनमें प्रमुख ये हैं : (1) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा विमर्शों और प्रशुल्क वार्त्ताओं में इसका उपयोग अन्तर्राष्ट्रीय तुलनात्मक आधार पर होना ; (2) इस प्रणाली द्वारा उपलब्ध शुद्धि ; (3) अनेक प्रकार की व्याख्या के लिये इसमें उपलब्ध साधन ; और (4) मानकी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण तथा उसके द्वारा पुनरीक्षित भारतीय व्यापार वर्गीकरण से इसका सम्बन्ध। प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान प्रशुल्क वर्गों, और किस प्रकार पुराने पड़ गये हैं तथा इनके पुनरीक्षण की आवश्यकता क्यों है।

आयात अभिनवीकरण तथा आयात प्रातस्थापन समिति

*716. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री वारियर :
श्री प्रभातकार :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री हेडा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार बोर्ड द्वारा 14 जून, 1965 की उसकी 19 वीं बैठक में की गई सिफारिशें के परिणामस्वरूप नियुक्त की गई आयात अभिनवीकरण तथा आयात प्रतिस्थापन समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : यह समिति डा० वी० के० आर० वी० राव की अध्यक्षता में अभी हाल में ही बनायी गई है। समिति के विचाराधीन विषय और उसके संगठन की रूपरेखा सदन की मेज पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। संख्या एल०टी० 4881/65।**] इसका प्रतिवेदन बाद में इसी वर्ष प्राप्त हो जाने की आशा है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा कारों की बिक्री

*717. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राज्य व्यापार निगम ने आयातित पुरानी कारें बेचीं थी ;

(ख) यदि हां, तो 1965 में अब तक कितनी कारें बेचीं गईं ;

(ग) इन कारों की बिक्री से राज्य व्यापार निगम ने कितना लाभ कमाया ; और

(घ) किसी एक कार का अधिक से अधिक कितना मूल्य मिला और कम से कम कितना ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा प्राप्त की गयी आयातित कारों की बिक्री, सरकार द्वारा अनुमोदित प्राथमिकता वर्गों के अनुसार की जाती है। इस प्रकार न बिकने वाली कारों के लिये समय समय पर जनता से सीलबन्द टेण्डर आमन्त्रित किये जाते हैं। ऐसा अन्तिम टेण्डर जुलाई 1965 में 109 कारों के लिये आमन्त्रित किया गया था।

(ख) 1965 में 13 सितम्बर, 1965 तक बेची गयी कारों की संख्या 404 है।

(ग) यह सूचना देना जनहित में नहीं है। इन बिक्रियों में निश्चय ही कुछ लाभ रहा है।

(घ) अधिकतम मूल्य 1,11,100 रु० प्राप्त हुआ और न्यूनतम मूल्य 2,800 रु० प्राप्त हुआ है।

लोहे और इस्पात का निर्यात

*718. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 27 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 242 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोहे और इस्पात के निर्यात का काम राज्य व्यापार निगम को सोंपने की वांछनीयता का विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : लोहे और इस्पात का निर्यात अखिल भारतीय इस्पात निर्यातक संघ् के एक विशेष अभिकरण द्वारा किया जाता है। इसमें लो और इस्पात के सभी प्रमुख निर्माता, सरकारी क्षेत्र में हिन्दुस्तान स्टील के तीनों संयंत्र, संयुक्त संयंत्र समिति, भारत का स्टील री-रोलिंग मिल्स एसो० और भारत में लोहा और इस्पात के समस्त अनुभवी निर्यातक तथा सम्बद्ध मंत्रालयों द्वारा मनोनीत सरकारी प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। चूंकि इस विशेष अभिकरण में निर्यात होने वाले लोहा और इस्पात के उत्पादन तथा विक्रय से सम्बन्धित उपलब्ध विशिष्ट ज्ञान का पूर्ण प्रतिनिधित्व है और इसके द्वारा अच्छा फल भी प्रकट हो रहा है, इस लिये राज्य व्यापार निगम को लोहे और इस्पात के निर्यात का कार्य सौंपना आवश्यक नहीं समझा गया है।

हिन्दुस्तान मशीनी औज़ार कारखाना, पिंजोर

2311. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 7 मई, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3278 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पिंजोर स्थित हिन्दुस्तान मशीनी औज़ार कारखाने की कच्चे माल तथा पुर्जों सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : 1965-66 में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० के सभी मशीनी औजार कारखानों को, जिनमें पिंजोर का कारखाना भी सम्मिलित है, औजारों एवं कच्चे माल का आयात करने के लिये कुल 318.00 लाख रु० की विदेशी मुद्रा आवंटित की गई है। यह राशि उनकी समस्त मांग पूरी करती है।

झींगा (प्रान) मछली का निर्यात

2312. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झींगा मछली और उससे बनाई गई अन्य वस्तुओं के निर्यात द्वारा पिछले 1964-65 में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ;

(ख) केरल राज्य से कितने प्रतिशत ये वस्तुयें निर्यात की गई ;

(ग) क्या इन वस्तुओं का व्यापार सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा किया जाता है;

(घ) क्या सरकार को यह मालूम है कि निर्यात की जाने वाली झींगा मछली की किस्म गिरती जा रही है ;

(ङ) यदि हां, तो निर्यात की जाने वाली इन वस्तुओं की किस्म नियन्त्रण के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(च) क्या सरकार इन वस्तुओं के व्यापार के लिये एक व्यापार निगम बनाना चाहती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) 1964-65 में जमायी, डिब्बाबन्द और सूखी झींगा मछलियों के निर्यात से उपार्जित विदेशी मुद्रा का मूल्य इस प्रकार रहा है :—

वस्तु	मूल्य (लाख रु० में)
जमायी झींगा मछली	361.14
डिब्बाबन्द झींगा मछली .	68.46
सूखी झींगा मछली .	81.56
योग	511.16

(ख) इन के निर्यात में केरल राज्य का भाग क्रमशः 97 प्रतिशत, 94 प्रतिशत और 80 प्रतिशत के लगभग रहा है ।

(ग) इस समय इन का निर्यात व्यापार केवल निजी और सहकारी क्षेत्रों द्वारा ही किया जा रहा है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) भारत से निर्यात होने वाली झींगा मछली की किस्म सुधारने के लिये, एक निश्चित कदम उठाया गया है, जिसके अन्तर्गत 15-3-1965 से, जमायी हुई तथा डिब्बाबन्द झींगा मछलियों की निर्यात खेपों के लिये लदान-पूर्व अनिवार्य जांच और प्रमाणीकरण योजना आरम्भ की गयी है ।

सूखी हुई झींगा मछली के सम्बन्ध में, लदान पूर्व अनिवार्य जांच लागू करने की दिशा में एक आरम्भिक चरण स्वेच्छित जांच योजना, लागू कर के उठाया गया है, जोकि इस वस्तु से सम्बद्ध भारतीय मानक संस्था द्वारा निश्चित किये गये मानकों के आधार पर है और इसे केन्द्रीय मत्स्य टैक्नोलोजी संस्थान, एर्नाकुलम द्वारा अमल में लाया जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत, केन्द्रीय मत्स्य टैक्नोलोजी संस्थान, एर्नाकुलम, सम्बद्ध निर्यातक की प्रार्थना पर, निर्यात होने वाली सूखी झींगा मछली की खेपों की जांच करके उसके लिये प्रमाणपत्र देंगे ।

(च) जी, नहीं ।

काजू का निर्यात

2313. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काजू के निर्यात से गत वित्तीय वर्ष में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) इस निर्यात में से कितना प्रतिशत भाग केरल राज्य से किया गया;

(ग) क्या यह व्यापार सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा किया जाता है ;

(घ) क्या सरकार को शुल्क प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में काजू के व्यापारियों से शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) 29.06 करोड़ रु० ।

(ख) लगभग 90 प्रतिशत ।

(ग) निजी क्षेत्र द्वारा ।

(घ) और (ङ): माननीय सदस्य का आशय शायद फरवरी, 1965 में समस्त आयात पर लगाये गये 10 प्रतिशत के विनियमन कर से है । किन्तु काजू को इस कर के भुगतान से इस शर्त पर मुक्त रखा गया था कि आयातक एक ऐसा बांड भरेंगे कि आयात किये गये समस्त काजू की गिरी को पूर्ण रूप में निर्यात किया जायेगा । यह कर अब सभी वस्तुओं पर से हटा लिया गया है । काजू पर कोई निर्यात कर नहीं लगा है ।

केरल का भूतत्वीय सर्वेक्षण

2314. श्री अ० क० गोपालन : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष केरल का भूतत्वीय सर्वेक्षण करने के लिये क्या निर्धारित कार्यक्रम है ; और

(ख) इस कार्यक्रम की समय-सूची क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) पालघाट, त्रिचूर, कोट्टयम और किलोन जिलों में सुनियोजित भूभौतिकी मानचित्रण और प्रारम्भिक खनिज मूल्यांकन किया जायगा । इसके अतिरिक्त व्यधन द्वारा वाइनद सोना क्षेत्र का विस्तृत अनुसंधान, कोजीकोर एवं पालघाट क्षेत्र में कच्चे लोहे के संचयों का प्रारम्भिक अनुसंधान तथा तटीय क्षेत्रों में मिट्टी तथा गैरिक के अनुसंधान भी किए जायेंगे । कुट्टियाडी, इडिकी, साबरगिरि, कल्लड़, रेटियर, पल्लिवसल योजनाओं से सम्बन्धित अनुसंधान भी किये जायेंगे । एलप्पी और कन्नौर के बीच तटीय क्षेत्र में सुनियोजित भूगर्भ जल अनुसंधान भी किये जायेंगे ।

(ख) कार्य की अनुसूची निम्नलिखित है :—

(1) पालघाट और त्रिचूर में 375 वर्ग किलोमीटर से ऊपर, कोटायम में 375 वर्ग किलोमीटर और किलोन में 1:63,360 माप पर 750 वर्ग किलोमीटर में उचित ढंग से मानचित्रण और खनिज निर्धारण किया गया ।

(2) विनाद सोना क्षेत्र—1:63,360 और 1:31,680 माप पर 750 वर्ग किलोमीटर का मानचित्रण, 1:500 या 1:1000 माप पर 0.5 वर्ग किलोमीटर का, तथा 800 मीटर का व्यधन ।

(3) कोजिकोडी और पालघाट में कच्चे लोहे के अन्वेषण 500 वर्ग किलोमीटर में भूमीक्षण मानचित्रण और 1:8000 या 4000 माप पर 2 वर्ग किलोमीटर का विस्तृत मानचित्रण ।

(4) तटीय क्षेत्रों में मिट्टी तथा गैरिक (ओकर) । 1:500 तथा 1000 माप पर 1 वर्ग किलोमीटर के बड़े माप पर मानचित्रण तथा बेधनी (आगार) व्यधन ।

केरल में खनिज निक्षेप

2315. श्री अ० क० गोपालन :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में चीनी मिट्टी, चूने के पत्थर, इल्मेनाइट तथा ग्लास सैंड्स के विशाल निक्षेप पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो अनुमानत: कितने निक्षेप हैं ;

(ग) क्या कुछ उद्योगपतियों ने वहां अनुसंधान केन्द्र खोलने के लिये कोई सहायता मांगी थी ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के सामने रखा जायगा ।

औद्योगिक उपक्रमों को लाइसेंस दिया जाना

2316. श्री हमराज : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये कुल कितने लाइसेंस दिये गये ;

(ख) कितने लाइसेंसों का उपयोग किया गया ; और

(ग) कितने लाइसेंस रद्द कर दिये गये हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) 31 मार्च, 1965 तक की अवधि में नए औद्योगिक संस्थान स्थापित करने के लिए 3190 लाइसेंस दिए गए ।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

(ग) 31 मार्च, 1965 तक की अवधि में 701 लाइसेंस रद्द/वापिस किए गए ।

गैर-सरकारी रेलवे लाइनें

2317. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी रेलवे लाइनों का निरीक्षण कितने समय के पश्चात् किया जाता है ;

(ख) बिहार की गैर-सरकारी रेलों का निरीक्षण पिछली बार कब किया गया था ;

(ग) निरीक्षण करने वाले प्राधिकारी ने किन-किन कमियों पर प्रकाश डाला ; और

(घ) गैर-सरकारी रेलवे प्राधिकारियों ने इन कमियों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाए ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) सालाना ।

(ख) पिछली बार फरवरी, 1965 में कलकत्ता स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त ने बिहार की गैर-सरकारी रेल लाइनों का निरीक्षण किया था ।

(ग) और (घ) : निरीक्षण करने वाले प्राधिकारी ने अपने पिछले वार्षिक निरीक्षण के समय किसी बड़ी कमी की रिपोर्ट नहीं की थी बल्कि केवल कुछ छोटी-मोटी कमियों की ओर ध्यान दिलाया था । उन कमियों की जांच की गयी और उन्हें दुरुस्त करने के लिए यथोचित कार्रवाई की गयी है ।

चकोला स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स

2318. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चकोला स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, केरल में स्वचालित विद्युत् करघों ने काम करना बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) कितने कार्य दिवस बेकार हुए तथा इससे उत्पादन की कितनी हानि हुई है,

(घ) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ङ) : ज्ञात हुआ है कि चकोला स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स का बुनाई अनुभाग 19 जुलाई, 1965 से बन्द है, और इसके बन्द होने का कारण कपड़े का भण्डार इकट्ठा हो जाना है । इसमें बेकार हुए कार्य दिवस 31 हैं तथा लगभग 5 लाख मीटर कपड़े के उत्पादन की हानि हुई है । सरकार को इसके बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

गंगापुर-कोटा सेक्शन पर गुदला में दुर्घटना

2319. **श्री हेमराज** : क्या **रेलवे** मंत्री 18 जून, 1965 को पश्चिम रेलवे की दिल्ली-बम्बई मख्य लाइन पर गंगापुर-कोटा सेक्शन में गुदला में एक मालगाड़ी तथा रेलवे सामान की विशेष गाड़ी के बीच हुई टक्कर के बारे में 16 अगस्त, 1965 के अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इसके लिये कितने व्यक्ति उत्तरदायी ठहराये गये और उन्हें क्या दण्ड दिया गया ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : बम्बई स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की । उनकी रिपोर्ट अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुईहै ।

Yeotmal-Ellichpur Rail Line

2320. **Shri D. S. Patil :**
Shri Tulsidas Jadhav :
Shri Kamble :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to convert Yeotmal-Ellichpur metre gauge line into broad gauge line after the year 1967 ;

(b) if so, whether any survey has been conducted ; and

(c) if not, when the survey is likely to be conducted ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) It is a narrow gauge line and not a metre gauge line. There is no proposal at present under consideration for its conversion to another gauge.

(b) & (c). Do not arise.

कुठ की जड़ों का निर्यात

2321. **श्री हेमराज** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64, 1964-65 तथा 1965-66 के दौरान अब तक विदेशों को कुठ की जड़ों का निर्यात कितनी मात्रा में किया गया ;

(ख) इसके बदले में कितनी वस्तुएं प्राप्त हुई ; और

(ग) इन वस्तुओं से हुये लाभ का कितना भाग लाहोल तथा स्पिति सहकारी विपणन समिति, मनाली (पंजाब) को, जो इस वस्तु के वास्तविक उत्पादक हैं, दिया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) 1963-64, 1964-65 और 1965-66 (जून तक) में कुठ की जड़ों का जो निर्यात किया गया है उसकी मात्राएं क्रमश: 1000 कि०ग्रा०; 1.25 लाख कि० ग्रा०; और 62,000 कि० ग्रा० हैं ।

(ख) तथा (ग) : कुठ की जड़ें अधिकतर पंजाब के सीमावर्ती जिलों (लाहोल और स्पिति क्षेत्र) में पैदा होती हैं । इस क्षेत्र की यह एकमात्र अच्छा पैसा देने वाली फसल है और क्षेत्र के कबीलों की आर्थिक स्थिति इसी के निर्यात पर अधिकतर निर्भर रहती है ।

1962-63 में निर्यात घट जाने के कारण कुठ की जड़ों का निर्यात 30 नवम्बर, 1963 से भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० की मार्फत किया जाने लगा जिससे मूल्य स्थिर रहें और निर्यात भी निर्बाध गति से होता रहे जिससे लाहोल तथा स्पिति क्षेत्रों के कबीलों की आर्थिक अवस्था पर बुरा प्रभाव न पड़े ।

कुठ का निर्यात पंजाब राज्य लघु उद्योग निगम चण्डीगढ़ द्वारा किया जाता है जिसे इस कार्य के लिये राज्य व्यापार निगम का अभिकर्त्ता नियुक्त कर दिया गया है । निजी व्यापारियों को भी पंजाब राज्य लघु उद्योग निगम से सहयोग करते हुए कुठ के निर्यात में भाग लेने की अनुमति दी जाती है किन्तु शर्त यह होती है कि वे निर्यात का न्यूनतम मूल्य 1900 रु० प्रति मीट्रिक टन कायम रखें । इसमें लागत और भाड़ा राज्य व्यापार निगम निश्चित करता है ।

पंजाब राज्य लघु उद्योग निगम ने उत्पादकों से कुठ की जड़ें खरीदने का प्रबन्ध किया हुआ है । यद्यपि प्राप्त मूल्य लागत बीमा भाड़ा सहित 1900 रु० प्रति मी० टन होता है तथापि उत्पादकों को इसका मूल्य 90 रु० प्रति 40 कि० ग्रा० मिलता है जिसके अनुसार मूल्य 2250 रु० प्रति मी० टन पड़ता है । इसमें परिवहन, भण्डरण, तुलाई, बोरों में भराई, मार्ग के बीमे, माल छुड़ाने का शुल्क, सप्लाई में होने वाली कमी, पत्तन का तथा अन्य विविध खर्च शामिल नहीं है । जहाजी भाड़े तथा बीमे का व्यय अलग पड़ता है । इस प्रकार कुठ की जड़ों के निर्यात पर प्रति टन पीछे होने वाला शुद्ध घाटा लगभग 1030 रु० पड़ता है ।

कुठ की जड़ों के निर्यात से होने वाले घाटे को पूरा करने के लिये पंजाब राज्य लघु उद्योग निगम के लिये बदले के दो सौदे अब तक स्वीकृत किये जा चुके हैं । इनमें से प्रत्येक के अनुसार जहाज पर पड़ने वाले 10 लाख रु० मूल्य का निर्यात होगा । पहले सौदे के बदले में निगम को कत्था और सुपारी का आयात करने की अनुमति दी गई है । इनमें से प्रत्येक का लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्य 1 लाख रु० होगा । दूसरे सौदे के बदले में 1 लाख रु० की सुपारी के आयात की अनुमति होगी । यदि निर्यात में अब भी घाटा रहा तो अतिरिक्त आयात की अनुमति दी जायगी ।

नंगल स्टेशन पर माल डिब्बे

2322. श्री हेमराज : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में कांगड़ा जिले के लिये नंगल उर्वरक कारखाने से उर्वरक ले जाने के लिये नंगल रेलवे स्टेशन पर माल डिब्बों की कमी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

मिश्रित इस्पात कारखाना

2323. श्री राम हरख यादव : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जापान की सलाहकार संस्था के विशेषज्ञों के सहयोग से देश के किसी स्थान में कम धातु मिश्रित (लो अलोय) इस्पात का एक कारखाना स्थपित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिये उपयुक्त स्थान कौन-से हैं ; और

(ग) योजना पर लगभग कितना व्यय होगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : जापान की सलाहकार संस्था द्वारा भेजा गया एक सर्वेक्षण दल आजकल नैवेली-सेलम क्षेत्र में कम धातु मिश्रित इस्पात का एक छोटा कारखाना स्थापित करने की शक्यता का अध्ययन कर रहा है । अध्ययन के परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है ।

गाड़ियों और स्टेशनों के हिन्दी में नाम

2324. श्री लखमू भवानी : क्या **रलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निकट भविष्य में रेलवे में सभी गाड़ियों और स्टेशनों के नाम हिन्दी में हो जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) कुछ सवारी गाड़ियों के नाम पहले ही से हिन्दी में रखे गये हैं जैसे जनता एक्सप्रेस, तूफान एक्सप्रेस आदि और कुछ अन्य गाड़ियों के नाम उनके प्रस्थान और गन्तव्य स्टेशनों के नाम पर अथवा उस राज्य के नाम पर रखे गये हैं, जिससे होकर वे गुजरती हैं, जैसे दिल्ली-हवड़ा एक्सप्रेस, पंजाब मेल, आसाम मेल आदि । लेकिन कुछ गाड़ियों के नाम अंग्रेजी में रखे गये हैं और इस समय ऐसी गाड़ियों के नाम बदलने का कोई विचार नहीं है ।

रेलवे स्टेशनों के नाम के बारे में यह हिदायत है कि हिन्दी क्षेत्र के स्टेशनों के नाम-पट्ट अंग्रेजी और हिन्दी में और अहिन्दी क्षेत्र के स्टेशनों के नाम-पट्ट अंग्रेजी, हिन्दी और प्रादेशिक भाषा में प्रदर्शित किये जायें । वर्तमान पद्धति में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

Railway Stations on Allahabad-Faizabad Line

2325. Shri Rananjai Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of the places where new railway stations are being constructed on Allahabad-Faizabad Section ;

(b) the amount which will be spent on their construction ;

(c) the time by which trains will start stopping thereat ; and

(d) whether fast trains will also be introduced on that section in the near future ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Ramganj Bazar flag Station between Piparpur Kohndaur.

(b) Approximately Rs. 58,000.

(c) Nothing definite can be said at present.

(d) No proposal to run trains faster than the speed at which these are running at present is under consideration.

New Railway Stations on Lucknow-Sultanpur-Jaunpur Line

2326. Shri Rananjai Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of the places where new Railway stations are being constructed on the Lucknow-Sultanpur-Jaunpur section ;

(b) the amount which will be spent on the construction of each of these stations, separately ;

(c) the time by which the construction work of each of those stations will be completed, separately ;

(d) the time by which the trains will start halting on each of these stations separately ; and

(e) whether fast trains will also be introduced on that section in the near future?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Nil.

(b) to (d). Does not arise.

(e) There are no such proposals at present.

नौपदा गुनपुर छोटी लाइन (नैरोगेज)

2327. श्री सत्य नारायण : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में दक्षिण-पूर्व रेलवे की नौपदा-गुनपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान लाइन में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री : (श्री शाम नाथ) (क) जी नहीं।

(ख) लाइनों पर, जहां तक व्यावहारिक और उचित हो, अधिकाधिक सवारी और मालगाड़ियां चलाने के उद्देश्य से दक्षिण-पूर्व रेलवे रेल-पथ और चल-स्टाक के पुनःस्थापन के सवाल पर विचार कर रही है।

तकनीकी विकास विभाग सम्बन्धी प्रतिवेदन

2328. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) तकनीकी विकास महानिदेशालय की अध्यक्षता में नियुक्त अध्ययन दल ने महानिदेशालय संगठन, कार्य-प्रणाली तथा प्रक्रियाओं के बारे में अपना प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में संभरण और तकनीकी विकास मंत्री (श्री रघु रामय्या) : (क) और (ख) : संसद् सदस्य श्री एच० सी० माथूर की अध्यक्षता में तकनीकी विकास महानिदेशालय के लिए नियुक्त अध्ययन दल का प्रतिवेदन (भाग 1) सभा पटल पर 10 सितम्बर, 1965 को रख दिया गया था।

ओंगोल- हैदराबाद रेल सम्पर्क

2329. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने ओंगोल से नागार्जुन नगर होती हुई हैदराबाद तक रेलवे लाइन बनाने के लिये प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) ओंगोल-हैदराबाद रेल सम्पर्क की लम्बाई नागार्जुन सागर के रास्ते लगभग 350 कि०मी० होगी, जिसकी लागत 35 से 40 करोड़ रुपये के बीच होगी। विजयवाड़ा-गुडूर और विजयवाड़ा-काज़ीपेट खण्डों को दोहरा कर देने के फलस्वरूप परिचालन की दृष्टि से इस लाइन का कोई औचित्य नहीं है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रेल-सड़क संचार

2330. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बुन्देलखण्ड (उत्तर प्रदेश) के लोगों से इस क्षेत्र में रेल-सड़क संचार व्यवस्था में सुधार करने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : बुन्देलखण्ड क्षेत्र में नयी लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में कई अभ्यावेदन मिले हैं। चौथी योजना में जो नयी लाइनें शुरू की जायेंगी उनके सम्बन्ध में योजना आयोग और अन्य सम्बन्धित हितों के सहयोग से अभी अन्तिम निर्णय करना बाकी है। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि नयी लाइनों के निर्माण के लिए बहुत कम रकम रखी गयी है और इसमें सन्देह है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जिन नयी लाइनों के निर्माण के लिए सुझाव दिये गये हैं इस थोड़ी रकम के भीतर उनमें से किसी एक को भी चौथी योजना में शामिल करने के लिए पर्याप्त प्राथमिकता मिल सकेगी।

2. इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राज-पथ को छोड़कर अन्य सड़कों के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राज-पथ का विकास करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई विशेष अभ्यावेदन नहीं मिला है।

दिल्ली में उत्तर रेलवे द्वारा घर पर सामान पहुंचाने की व्यवस्था

2331. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रेलवे प्रशासन द्वारा घरों पर सामान पहुंचाने की योजना सफल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां तक ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : अप्रैल, 1961 में दिल्ली और नयी दिल्ली में उन पार्सलों (न कि माल) को घर पर पहुंचाने के लिए एक योजना शुरू की गयी थी जिन पर 'फार स्ट्रीट डिलीबरी शब्द अंकित हों। मई, 1965 से उन पार्सलों को भी घर पहुंचाने की व्यवस्था की गयी है जिन पर पाने वाले का पता साफ-साफ लिखा हो और जिन्हें भेजने वाले ने अपने नाम बुक नहीं किया हो। अप्रैल, 1961 से जून, 1965 तक इस योजना के अन्तर्गत 7600 पैकेजों की सुपुर्दगी दी गयी। चूंकि यह योजना अपने इस रूप में बहुत लोकप्रिय नहीं हुई है, इसलिए यह विचार है कि इस योजना को उन पार्सलों पर भी कुछ शर्तों के साथ लागू किया जाय जिन्हें भेजने वाले अपने नाम से बुक करते हैं।

Boarding of Night Trains at Wayside Stations

2332. **Shri Bagri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that during the night the passengers who want to get into the trains particularly Mail trains on small stations have to face great difficulty when the doors are not opened ; and

(b) if so, the steps Government propose to take in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, a few such complaints have been received.

(b) Guards, Conductor Guards, TTEs and Station staff have instructions to assist Passengers joining the train at intermediate stations in securing accommodation. These instructions will be reiterated to the concerned staff.

Express Trains on Motihari-Patna Mahendrughat Sections

2333. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it takes the passengers at least 8 hours to travel from Motihari Railway station (N. E. Railway) to Patna-Mahendrughat which is a distance of only 100 miles ; and

(b) if so, whether Government propose to run Mail/Express trains on these lines ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). The journey between Motihari and Mahendrughat (Patna) involves rail journey between Motihari and Palezaghat and steamer journey between Palezaghat and Mahendrughat.

98 Dn. provides a direct service from Motihari to Palezaghat. In addition 4 pairs of connected services are also available between these points. For the convenience of through passengers, through service coaches from Narkatiaganj/ Motihari to Palezaghat are also available by 92 Dn/81 Up.

The average overall journey time, at present from Motihari to Mahendrughat (Patna) is 8 hours 29 minutes which include 1 hour 5 minutes for steamer journey from Palezaghat to Mahendrughat and 2 hours 19 minutes waiting at Muzaffarpur, Sonepore and Palezaghat for crossings, maintenance of connections transference of through coaches, engine changing etc.

In the time-table to come into force from 1-10-65, the minimum overall journey time from Motihari to Mahendrughat will be 7 hours 41 minutes by 94 Dn. and connected services. Also the overall journey time of the direct train *viz.* 98 Dn. and of 92 Dn/81 Up carrying coaches will be reduced by 34 and 36 minutes respectively.

The existing services available between Motihari and Palezaghat/Mahendrughat have been found to cater adequately to the quantum and pattern of traffic offering. There is no justification for running Mail/Express trains on the section either by way of additional services or by acceleration, by elimination of halts, of the existing services.

Trains Between New Delhi and Ghaziabad via Nizamuddin.

2334. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri S. C. Samanta :**
Shri : P. C. Borooah : **Shri Subodh Hansda :**
Smt. Savitri Nigam :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration to run some trains between New Delhi and Ghaziabad *viz* Nizamuddin;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) when this railway line will be opened to traffic ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :(a) to (c). A "Goods avoiding lines" project is in hand to provide a double line link connecting Sahibabad with Tughlakabad on the one hand and New Delhi on the other over a second Yamuna Bridge. This will provide a direct link between New Delhi and Ghaziabad over the second Yamuna Bridge taking off from the proposed link from a place between New Delhi and Hazrat Nizamuddin and not at Hazrat Nizamuddin.

The project is expected to be completed by 30-6-66. With the completion of the project and provision of additional terminal facilities at New Delhi, the question of diversion of some trains from Ghaziabad to New Delhi *via* the second Yamuna Bridge will be duly considered.

There is no proposal to run any train between New Delhi and Ghaziabad *via* Hazrat Nizamuddin.

Amenities to III Class Passengers

2335. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri Subodh Hansda :**
Shri S. C. Samanta : **Dr. Mahadeva Prasad :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the measures proposed to be taken in Fourth Plan for providing increased amenities to the Third Class passengers ; and

(b) the measures at present being taken to provide adequate fans and lighting facilities in Third Class compartments?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) As the Railways' Fourth Five Year Plan has not yet been finalised measures proposed to be taken during the Fourth Plan for providing increased amenities to railway users, including III Class passengers, cannot at present be specified. However, as against the Third Plan allotment of Rs.15 crores, Railways' tentative Fourth Plan provides for an outlay of Rs. 20 crores for amenities to passengers and other Railway users.

(b) Instructions exist to fit fans in all III Class Coaches having a residual life of more than 5 years. As regards lights, 2 light points are provided in each bay of the III Class bogie, which are considered adequate.

कोयला धोने वाले कारखानों के सहायक उत्पाद

2336. **श्री सुबोध हंसदा :** **डा० पु० ना० खां :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल ने अपने दुर्गापुर तथा बंदेल तापीय बिजली घरों के लिये भजुडीह कोयला धोने वाले कारखाने के सहायक-उत्पादों को काम में लाने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इन सहायक-उत्पादों को, जिनमें राख (एश) की मात्रा काफी अधिक है, सरकार का कैसे काम में लाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख) : भोजुदी की कोयला धावन-शाला के उप-पदार्थों को दुर्गापुर ऊष्म शक्ति केन्द्र में प्रयोग करने से पश्चिमी बंगाल सरकार ने इंकार कर दिया है जिसका कारण यह है कि इस पंचमा (मिडलिंग) में राख की मात्रा 42 से 45 प्रतिशत है जबकि ये वाष्पित्र इस प्रकार के बनाये गये है कि इनमें 36 प्रतिशत राख वाली पंचमा का ही प्रयोग हो सकता है।

जो पंचमा बंदल विद्युत केन्द्र में खपत हो रही है उसके प्रश्न पर अगले साल तक उत्पादन स्थिर हो जाने पर विचार किया जायगा।

(ग) इसी दौरान में यह भी जांच की जा रही है कि क्या इस ऊंची राख वाली पंचमा (मिडलिंग) में कच्चा कोयला मिलाकर इस प्रकार उसमें राख की समस्त यात्रा कम करने से, इस संयुक्त को ऊष्म शक्ति एककों के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है।

हरिद्वार में ढलाई-गढ़ाई कारखाना

2337. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरिद्वार में प्रस्तावित ढलाई-गढ़ाई कारखाना स्थापित करने के सबंध में सहयोग प्राप्त करने के लिये बातचीत करने के लिये तीन व्यक्तियों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने कुछ देशों का दौरा किया ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सयंत्र को स्थापित करने के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) कौन कौन से देश सहयोग के लिये राजी हो गये हैं और किन शर्तों पर ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : एक जापानी तथा एक फ्रांस की फर्म के द्वारा सहयोग के लिए प्रस्ताव पेश किए गए हैं और इस समय उन पर विचार किया जा रहा है।

Fire in a Railway Bogie at Jeonathpur Station

2338. Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Kindar Lal :
Shri Ram Harkh Yadav :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a bogie of Mughal Sarai-Lucknow passenger train caught fire at Jeonathpur Station on the 25th May, 1965 and as a result thereof goods in the bogie were completely gutted;

(b) if so, the causes thereof;

(c) the extent of loss sustained in the fire; and

(d) the action taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes. On 25-5-65, the parcel van attached to 357 Up Moghalsarai-Lucknow passenger train was noticed emitting smoke when the train was entering Jeonathpur railway station. On examination the flames were seen coming out from the van. As a result of the fire, the contents of the van were almost damaged and burnt.

(b) The *prima facie* cause of the fire was due to a spark from a passing engine on the adjoining line while the wagon was standing attached to 357 Up. The fire was purely accidental.

(c) The loss to the parcel van is estimated at Rs. 1,000/- and to the contents at Rs. 47,000/-.

(d) The Fire Brigade was requisitioned from Varanasi immediately and the fire fighting arrangements available at the station were utilised. 1317 locomotives out of 1716 on the Northern Railway have been provided with Spark Arrestors.

उत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति

2339. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री किन्दर लाल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न विभागों में अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये;

(ख) क्या वे रक्षित कोटे के पदों पर नियुक्त किये गये ;

(ग) उक्त अवधि में विभिन्न श्रेणियों में कितने पद रक्षित किये गये;

(घ) क्या उन सभी पदों पर नियुक्तियां की गई हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) उन पदों पर नियुक्तियां करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) दर्जा III—103; दर्जा IV—132।

(ख) जी, हां ।

(ग) दर्जा III—121; दर्जा IV—187 ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) उपयुक्त उम्मीदवारों का न मिलना ।

(च) आरक्षित रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार किया जाता है । जिस क्षेत्र में भर्ती होती है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति संघों और रोज़गार दफ्तरों से भी सम्पर्क स्थापित किया जाता है ।

पूर्वोत्तर रेलवे लेखाविभाग

2340. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कनिष्ठ लेखापालकों, वरिष्ठ लेखापालकों और लेखा अधिकारियों की कुल कितनी संख्या है जो रेलवे बोर्ड कार्यालय में प्रतिनियुक्त (डेपुटेशन) पर हैं और पूर्वोत्तर रेलवे लेखा विभाग में जिनका धारणाधिकार (लियन) पांच वर्षों से भी अधिक के लिये रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि उनके मूल वेतन के 15 प्रतिशत प्रति मास की दर से उन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) कोई भी नहीं ।

(ख) और (ग) : भाग (क) के उत्तर को देखते हुए भाग (ख) के उत्तर का सवाल नहीं उठता लेकिन, यह स्पष्ट किया जाता है कि रेलवे बोर्ड कार्यालय में लेखा अफसरों और लेखापालों के पदों के लिए विशेष वेतन के रूप में क्रमश: 150 रुपये और मूल वेतन का 15 प्रतिशत नियत है क्योंकि रेलों पर ऐसे पदों की तुलना में इन पदों का कार्यभार अधिक दूभर और उत्तरदायित्वपूर्ण है ।

इटावा के पास रेलगाड़ी की टक्कर

2341. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री 5 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 705 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि जांच समिति का प्रतिवेदन सरकार को संभवत: कब तक प्राप्त होगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : जांच समिति की रिपोर्ट मिल गयी है । इस रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई ।

मेजा स्टेशन के निकट गाड़ी में डकैती

2342. **श्री हुकम चन्द कछवाय** :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद तथा चोपन स्टेशनों के बीच मेजा स्टेशन के निकट उत्तर रेलवे के इलाहाबाद मुगलसराय सैक्शन पर एक गाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 6 जून, 1965 की रात्रि को डकैती हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां । लेकिन यह घटना 5/6-6-1965 की रात को मेजा रोड स्टेशन के निकट इलाहाबाद-मुगलसराय खण्ड पर हुई न कि इलाहाबाद-चोपन खण्ड पर ।

(ख) 5-6-65 को चोपन के सवारी एवं माल डिब्बा निरीक्षक 2 वी एम ए गाड़ी से इलाहाबाद से वाराणसी के लिए रवाना हुए। जब गाड़ी मेजा रोड स्टेशन पहुंची तो चल टिकट परिक्षक ने निरीक्षक को सलाह दी कि डिब्बे को अन्दर से बंद कर लें क्योंकि वे अकेले यात्रा कर रहेथे। निरीक्षक ने डिब्बे को अन्दर से बंद कर लिया। जब गाड़ी चली तब दो अज्ञात युवकों ने निरीक्षक से दरवाज़ा खोलने की प्रार्थना की। दरवाज़ा खुलने पर वे दोनों अन्दर आ गये। थोड़ी देर बाद उन लुटेरों ने दो बड़े चाकुओं से निरीक्षक पर हमला कर दिया, उनके हाथ बांध कर उनके मुह में तौलिया ठूंस दिया और उन्हें घसीट कर शौचालय में बंद कर दिया। इस बीच गाड़ी ऊंचडीह रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। निरीक्षक ने किसी तरह अपने हाथ खोल लिये और उन लुटेरों का विरोध करने का प्रयास किया। इस पर उन लुटेरों ने निरीक्षक को चाकू से घायल कर दिया। अपराधी एक बैग, एक सूटकेस, एक घड़ी और 500 रुपये नकद लेकर चम्पत हो गये। मिर्ज़ापुर में घायल रेल कर्मचारी की मरहम-पट्टी की गयी।

(ग) सरकारी रेलवे पुलिस इलाहाबाद ने भारतीय दंड संहिता की धारा 394 के अन्तर्गत मामला दर्ज कर लिया है और इसकी छान-बीन की जा रही है। ऊंचडीह के स्टेशन मास्टर ने पास के एक खत से बैग बरामद किया जिसमें फाइलें थीं। अब तक सरकारी रेलवे पुलिस, इलाहाबाद ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है।

खड़गपुर में यान्त्रिक कारखाने

2343. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर में दक्षिण पूर्व रेलवे यान्त्रिक कारखानों में प्रोत्साहन योजनाओं का नया तरीका लागू करने के परिणामस्वरूप 1964-65 में औसत उत्पादन में काफी वृद्धि हुई ;

(ख) क्या कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करके कारखाने नई वस्तुओं का उत्पादन आरम्भ करने में सफल हुए हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को अन्य रेलवे पर लागू करने का है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) प्रोत्साहन-योजना लागू करने के फलस्वरूप दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर कारखाने के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(ख) कारखाने में नियमित रूप से किये जाने वाले काम का बोझ बढ़ गया है। इसमें दक्षिण-पूर्व रेलवे के डीज़ल रेल इंजनों के ओवरहालिंग का काम भी शामिल है। कारखाने में जो अतिरिक्त क्षमता पैदा की गयी है उसका अधिकांश भाग डीज़ल रेल इंजनों की ओवरहालिंग में खप जाता है और शष उपलब्ध क्षमता का उपयोग दूसरे सामान तैयार करने, जैसे ट्रक के खोल तैयार करने के लिए किया जाता है।

(ग) इसी तरह की प्रोत्साहन योजना अन्य सभी रेलों के बड़े-बड़े कारखानों में लागू की जा चुकी है।

कपड़ा मिलें

2344. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले छः महीनों में कुछ कपड़ा मिलों के कार्य की जांच कराई है ;

(ख) यदि हां, तो उन मिलों के क्या नाम हैं; और

(ग) जांच करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) : सरकार ने पिछले छः महीनों में, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अनुसरण में नीचे दी गयी चार वस्त्र मिलों की जांच करवायी है :—

1. मै० सावतराम रामप्रसाद मिल्स लि०, अकोला ।

2. मै० कृष्ण कुमार मिल्स लि०, महुवा ।

3. मै० औरंगाबाद मिल्स लि०, औरंगाबाद ।

4. मै० हीरा मिल्स लि०, उज्जैन ।

(ग) जांच कराने के कारण इस प्रकार हैं :—

(1) अलाभकारी ढंग से कार्य करना और उसके फलस्वरूप होने वाली उत्पादन में हानि ;

(2) मिल बन्दी की सम्भावना, जिससे कामगारों में होने वाली बेरोजगारी ।

मिश्रित इस्पात कारखाना, दुर्गापुर

2345. **श्री दाजी :**
श्री मुहम्मद इलियास :
श्रीमती विमला देवी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कृष्णपाल सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री 7 मई, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3293 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर मिश्रित इस्पात कारखाने के लिये संयंत्र तथा मशीनें सप्लाई करने वाले विदेशियों द्वारा प्रतिकर के लिये की गई मांग पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : दूर्गापुर मिश्र इस्पात प्रयोजना के लिए संयंत्र और मशीनें सप्लाई करने वाले विदेशियों ने सरकार से प्रतिकर की कोई मांग नहीं की है ।

जैसा कि 7 मई, 1965 को प्रश्न संख्या 3293 के उत्तर में बताया जा चुका है प्रायोजना प्राधिकारियों ने, जिनसे यह मांग की गई थी, इस मांग को स्वीकार नहीं किया है ।

तम्बाकू का निर्यात

2346. **श्री कोल्ला वैंकया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 के प्रथम छः महीनों में विभिन्न देशों को धुआं रहित वरजीनिया तम्बाकू की विभिन्न किस्मों की कितनी कितनी मात्रा निर्यात की गई;

(ख) 1963-64 और 1964-65 की धुआं रहित और स्वदेशी तम्बाकू की विभिन्न किस्मों को कितनी कितनी मात्रा के निर्यात के लिये विदेशों से ऋयादेशों की प्रतीक्षा की जा रही है ; और

(ग) इस तम्बाकू के निर्यात के लिये मण्डी ढूंढने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) दो विवरण संलग्न हैं जिनमें 1965 के पहले 6 महीनों में किया गया धुआं रहित वरजीनिया तम्बाकू का निर्यात वर्गानुसार तथा देशानुसार दिखाया गया है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-4882/65।**]

(ग) अनबिके भण्डार को सीधी बिक्री अथवा अदलाबदली की व्यवस्था द्वारा निकालने के लिये राज्य व्यापार निगम की मार्फत प्रयत्न किये जा रहे हैं जो विदेशी खरीदारों से बराबर सम्पर्क बनाये हुए हैं ।

मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा जस्ते के पिंडों का आयात

2347. **श्री विद्या चरण शुक्ल :** **श्री वाडिवा :**
श्री अ० सिं० सहगल : **श्री चांडक :**
श्री ज्या० प्र० ज्योतिषि :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने तकनीकी विकास के महानिदेशक द्वारा मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को 100 मीट्रीक टन जस्ते की सिलों (जिंक इनगांट्स) का आयात करने के लिये अनापत्ति पत्र दिये जाने के लिये कोई प्रार्थना की थी,

(ख) यदि हां, तो प्रार्थना कब की गई थी; और

(ग) क्या इस बीच अनापत्ति-पत्र दे दिया गया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में संभरण और तकनीकी विकास मंत्री (श्री रघुरामय्या) : (क) जी हां ।

(ख) 20-4-1965 ।

(ग) जी हां ।

गुजरात में सोने के निक्षेप

2348. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में काफी मात्रा में सोने के निक्षेप मिलने की सम्भावनायें बहुत उज्वल हैं;

(ख) क्या उन क्षेत्रों में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) नहीं, महोदय ।

(ख) हां, महोदय ।

(ग) भारतीय भौमिकी विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षणों के फलस्वरूप पंचमहल में गोधरा, जुनागढ़ में सुरेखा नदी और नावानगर में सतपुर के नजदीक सोना प्राप्त हुआ है । प्राप्ति की जांच की गई है और उसका आर्थिक दृष्टि से अमहत्वपूर्ण होना सिद्ध हुआ है ।

क्षेत्र ऋतु में 1965-66 में खेरालू के समीप महसाना में रूपन नदी की रेत का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है ।

5—37 Lok shabha/65

मध्य रेलवे कार्यालयों का सिकन्दराबाद को स्थानान्तरण

2349. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक नया दक्षिण-मध्य रेलवे जोन बनाने का निर्णय करने के बाद मध्य रेलवे के कितने कार्यालय सिकन्दराबाद को स्थानान्तरित किये गये है; और

(ख) नये जोन के हैदराबाद में कुशलता से कार्य करने के लिये अपेक्षित सभी कार्यालयों को वहां स्थानान्तरित करने अथवा स्थापित करने में रेलवे बोर्ड को कितना समय लगेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) कोई नहीं।

(ख) अब से लगभग एक वर्ष।

जम्मू और काश्मीर में शाल उद्योग

2350. **श्री हेडा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चे माल की कमी के कारण जम्मू और काश्मीर राज्य में शाल उद्योग को नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कमी उद्योग के लिये विदेशी मुद्रा के नियतन में कटौती करने के कारण हुई है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में इस उद्योग से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई तथा कितनी विदेशी मुद्रा को इसकी आवश्यकता पड़ी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) गत तीन वर्षों में शाल उद्योग से अर्जित हुई विदेशी मुद्रा इस प्रकार है : 1962-63 —5.61 लाख रु०; 1963-64—35.06 लाख रु० और 1964-65—4.89 लाख रु०। जम्मू और काश्मीर राज्य के शाल उद्योग को लगभग 48 लाख रु० की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है।

रेलवे सराफ

2351. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे में सराफों के कर्तव्य, जिसमें नोटों, चैकों, वाउचरों जमा-पत्रों तथा सिक्कों की जांच जिससे की जाली एवं घिसे हुए नोटों, सिक्कों आदि का पता लग सके और भुगतान में अन्य अनियमितताओं का पता लग सके, और साथ ही कुल मूल्य निकालने के लिये नोटों को गिनना भी सम्मिलित है, रिजर्व बैंक के सराफों के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व से बहुत अधिक है;

(ख) क्या रिजर्व बैंक के सराफों का विहित वेतनमान 150-420 रुपये है;

(ग) रेलवे सराफों का सामान्य वेतन मान क्या है तथा उनकी अधिकतम तरक्की क्या है ;

(घ) क्या सीमा शुल्क विभाग के सराफों के लिए हाल में 30 रुपये का विशेष वेतन मंजूर किया गया है ; और

(ङ) क्या रेलवे के सराफों की स्थिति सुधारने के लिये उनको सीमा शुल्क विभाग की तरह 30 रुपये का विशेष वेतन देने तथा 55 प्रतिशत तरक्की देने का प्रस्ताव रेलवे के विचाराधीन है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) उच्चतर वेतन वाले केन्द्रों, अर्थात् बम्बई, कलकत्ता, नयी दिल्ली, कानपुर, मद्रास, अहमदाबाद, बेंगलूर और हैदराबाद में रिजर्व बैंक के सराफों का वेतन मान 155-5-165-8-181-10-211-कु० रो०-10-221-12-305-15-365-कु० रो०-15-380-20-420 रुपये है और दूसरे केन्द्रों में इनका वेतन मान 145-5-165-8-181-10-191-कु०रो०-10-221-12-305-15-320-कु०रो०-15-380 है ।

(ग) रेलवे सराफों का नेमी वेतन-क्रम 110-3-131-4-155-कु० रो०-4-175-5-180 रुपये है ।

उच्चतर ग्रेडों में सराफों के पदों का विवरण इस प्रकार है :—

वेतन मान (रुपये)	पदों का प्रतिशत वितरण
110–180	65
150–240	25
210–320	10

(घ) केवल बम्बई कस्टम हाउस के सराफों को 110-3-131-4-155-कु० रो०-4-175-5-180 रुपये के वेतन मान में उनके वेतन के अतिरिक्त 30 रुपये का विशेष वेतन दिया जाता है । इन सराफों को यह विशेष वेतन काफी अरसे से, अर्थात् 1931 से पूर्व के वेतन मान में भी मिलता आ रहा है ।

(ङ) जी नहीं ।

यूरोप में निर्यात संवर्द्धन सार्थ-संघ (कांसार्शियम)

2352. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोप में निर्यात सवर्द्धन सार्थ-संघ (कांसर्शियम) स्थापित करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कब और कहां स्थापित किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मनमाड और लासलगांव स्टेशनों पर पेय जल

2353. **श्री मा० ल० जाधव :**
श्री जेधे :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के मनमाड और लासलगांव स्टेशनों पर पेय जल की भारी कमी है ;

(ख) क्या रेलवे प्राधिकारियों को इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो पेय जल की पर्याप्त सप्लाई के लिये कोई स्थायी हल निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) मनमाड और लासलगांव स्टेशनों पर जिन श्रोतों से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गयी है, वे साफ मोसम में पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। हां, गर्मी के महीनों में इन स्टेशनों पर पानी की कमी उस समय जरूर महसूस होती है, जब पानी के श्रोतों में पानी की कमी हो जाती है क्योंकि ये दोनों स्टेशन उस क्षेत्र में स्थित हैं जहां वर्षा कम होती है।

(ख) जी हां ।

(ग) **मनमाड**:—घरेलू काम के लिए पानी पहुंचाने की स्थिति में उस समय सुधार होने की सम्भावना है जब इगतपुरी-भुसावल खण्ड में बिजलीकरण का काम पूरा हो जायेगा क्योंकि उस समय वह पानी घरेलू काम के लिए दिया जायेगा जिसे अभी इंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य सरकार ने प्रतिदिन 2.25 लाख गैलन पानी सप्लाई करने का आश्वासन दिया है। पानी की यह सप्लाई आगे चलकर 3.00 लाख गैलन हो जायेगी। यह योजना मनमाड नगरपालिका के लिए क्रियान्वित की जानी है।

लासलगांव:—इस स्टेशन के वर्तमान श्रोत अर्थात् कुएं से स्टेशन की पानी सम्बन्धी आवश्यकताओं को पुरा करना सम्भव है लेकिन गर्मी के महीनों में वर्षा की कमी के कारण कुछ कठिनाइयां जरूर महसूस होती है। इन महीनों में पानी सम्बन्धी जो कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं उन्हें दूर करने के लिए निफाड स्टेशन से चल-टंकियों में पानी मंगाकर यहां पानी की सप्लाई की जाती है। चूंकि यह स्टेशन कम वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित है और वहां पानी का ऐसा कोई दूसरा जरिया भी नहीं है जिस पर निर्भर रहा जा सके, इसलिए यही एक ऐसा तरीका है जिससे स्टेशन की पानी सम्बन्धी आवश्यकताओं को जल्दी पूरा किया जा सकता है।

प्याज की ढुलाई के लिये वैगनों की अपर्याप्त व्यवस्था

2354. **श्री मा० ल० जाधव** :
श्री जेधे :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे में प्याज की ढुलाई के लिये वैगनों की अपर्याप्त व्यवस्था की शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्याज जल्दी खराब होने वाली वस्तु है सरकार का विचार प्याज को "घ" श्रेणी के स्थान पर "ग" श्रेणी में रखने का है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) प्याज के लदान के लिए अपर्याप्त मालडिब्बों की सप्लाई के विरुद्ध और इस यातायात को ढोने की अग्रता की श्रेणी अधिमान्य यातायात अनुसूची में "डी" से बढ़ाकर "सी" करने के सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन मिले थे।

(ख) 1 जनवरी, 1965 से 31 अगस्त, 1965 की अवधि में 4,942 मालडिब्बे प्याज का लदान हुआ। प्याज जैसी खराब होने वाली वस्तुओं की ढुलाई सुनिश्चित करने के लिए जो अग्रता नियत है, वह पर्याप्त है और उसकी श्रेणी को अधिक बढ़ाने का औचित्य नहीं है।

बीकानेर में ऊनी मिल

2355. **श्री कर्णी सिंहजी** :
श्री प० ला० बारूपाल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बीकानेर में एक ऊनी मिल खोलने के लिये लाइसेंस देने में कितना समय लगेगा जिस के लिये राजस्थान सरकार ने पहले ही प्रस्ताव किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : राजस्थान सरकार का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

कनाडा को निर्यात

2356. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाडा को भारत से निर्यात में वृद्धि करने के सम्बन्ध में उस देश के साथ प्रारम्भिक बातचीत हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : जी, हां । हमारे व्यापार को बढ़ाने के बारे में कनाडा सरकार के साथ कुछ बातचीत हुई है जिसमें माल का ढेर रोकने सम्बन्धी शुल्क जैसी बाधाएं हटाने के विषय में विशेषतः चर्चा हुई है । कनाडा सरकार इस मामले पर बड़ी सावधानी से विचार कर रही है ।

यूरोपीय देशों को भारतीय वैगनों का विक्रय

2357. **श्री रघुनाथ सिंह :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व तथा पश्चिम यूरोप के देशों में बिक्री के लिये भारतीय रेलवे माल डिब्बों के संयोजन (असेम्बिलग) के लिये यूगोस्लाविया में एक बड़ा कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर दोनों सरकारें विचार कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : युरोप को निर्यात होने वाले रेलवे वैगनों के भाड़े में कमी करने के लिये, इनका निर्यात अर्द्ध-जोड़ी हुई स्थिति में करने और किसी योरपीय बन्दरगाह में इनका संयोजन किये जाने की सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है । इस मामले पर अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

दिल्ली के कारखानों में कच्चे माल का दुरुपयोग

2358. **श्री बागडी** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चे माल के दुरुपयोग को रोकने के लिये अलीपुर ब्लाक में दिल्ली उद्योग निदेशालय द्वारा हाल में मारे गये छापे से यह पता चलता है कि बहुत से कारखानों में कोई काम नहीं किया जा रहा था ;

(ख) यदि हां, तो उन कारखानों के नाम क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) : दिल्ली प्रशासन में भ्रष्टाचार निवारण अभियान के सिलसिले में उद्योग निदेशक ने उन विभिन्न औद्योगिक संस्थानों का हाल ही में निरीक्षण किया जो नियंत्रित तथा आयातित कच्चे माल का प्रयोग करते हैं । इस प्रकार का एक निरीक्षण अलीपुर ब्लाक में 15 जुलाई, 1965 को किया गया । इस ब्लाक के आठ एककों में दो एकक ऐसे पाए गए जहां काम नहीं हो रहा था । इन एककों की स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है ।

(क) **मैसर्स अल्पना इंडस्ट्रीज** :–इस मामले में मशीनें लगाई जा चुकी थी लेकिन वह काम नहीं कर रहीं थी । इस फर्म के पास एम० एस० स्टील वायर का कोटा है । फर्म का कोटा स्थगित कर दिया गया है तथा और आगे कार्यवाही जांच कार्य पुरा होने पर की जाएगी ।

(ख) **मैसर्स काली कृष्ण इंडस्ट्रीज** :–इस मामले में कारखाना स्थल पर कुछ मशीने, कच्चा माल, तथा एक मजदूर पाए गए लेकिन वहां किसी किस्म का काम नहीं हो रहा था । फर्म की कुछ खामियों को दूर करने के लिए कहा गया है इस मामले में अन्तिम कार्यवाही जांच कार्य के पुरा होने पर ही की जाएगी ।

दिल्ली के कारखानों के लिये कच्चे माल का कोटा

2359. **श्री बागडी** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के विभिन्न कारखानों को कच्चे माल के लाइसेंस तथा कोटे दिये गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन ने इन औद्योगिक एककों का हाल ही में सर्वेक्षण किया है जिससे यह पता चलता है कि जिन कारखानों को लाइसेंस तथा कोटे दिये गये थे वे उन क्षेत्रों में नहीं है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (घ) : कच्चे माल का कोटा तथा कच्चे माल के लिये आयात लाइसेंस जारी करने की सिफारिशें दिल्ली के विभिन्न कारखानों को दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी की जाती है । इस प्रकार की सहायता कुल लगभग 2,500 एककों को दी जा रही है । दिल्ली प्रशासन ने हाल ही में 163 एककों का निरीक्षण किया और कच्चे माल के इस्तेमाल में की गई अनियमितताओं के लिये 62 एककों के नाम कारण नोटिस जारी किया है । जब तक इन मामलों पर अन्तिम निर्णय नहीं कर लिया जाता, दिल्ली प्रशासन ने इन एककों को लाइसेंस/कोटा मंजूर करना रोक रखा है ।

कोयला धोने के कारखानों की क्षमता

2360. **श्री ब० कु० दास** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती लक्ष्मी बाई :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अभी तक स्थापित कोयला धोने के कारखानों का अभिकल्पित तथा अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ;

(ख) इन कारखानों में साफ करने के लिये कितना कच्चा कोयला डाला गया तथा साफ हो कर कितना कोयला रह गया ;

(ग) प्रत्येक कोयला धोने के कारखाने में किन किस्मों का कोयला साफ किया जा रहा है ; और

(घ) क्या यह सच है कि कोयला धोने के कुछ कारखानों जैसे दुग्धा, जो एच० एच० तथा (iii) किस्मों का कोयला साफ करने के लिये बनाये गये थे, केवल बड़िया किस्म का कोयला ही ले रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख) : चाही गई सूचना संलग्न परिशिष्ट में दी हुई है। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०4883/65 ।]**

(ग) सामान्यतः प्रद्रावक (वाशैरी) द्वारा कोयले की कई श्रेणियों के सम्मिश्रण को धोया जाता है परन्तु उन में अपेक्षाकृत निम्नकोटि के कोयले का आधिक्य होता है ।

(घ) दुग्धा प्रद्रावक (वाशैरी) मे केवल ग्रेड एच० एच० (ग्रेड ii) के कोयला को निकालने की मन्शा नहीं है । जैसा कि ऊपर (ग) में कहा गया है सभी प्रद्रावकों (इसमें दुग्धा भी शामिल है) की मन्शा का कोयले की विभिन्न श्रेणियों के सम्मिश्रण को धोने की है जिसमें ग्रेड एच० एच० (ग्रेड ii) भी शामिल है । परन्तु कुछ प्रद्रावक उच्च कोटि के कोयले का अधिक परिमाण प्रयोग कर रही है क्योंकि ऐसा कोयला इस समय उन्हें उपलब्ध है । चतुर्थ योजना में अधिक प्रद्रावकों के स्थापित होने के बाद कच्चे कोयले का परिमाण बढ़ जायगा और प्रयोग किये जाने वाले कुल कोयले में उच्च कोटि के कोयले कि प्रतिशत मात्रा प्रद्रावकों को मौलिक योजना में निर्धारित स्तर पर पहुंच जाने की आशा है ।

बोलानी ओर्ज माइन्ज

2361. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पुरा करने के लिये बोलानी ओर्ज माइन्ज के विस्तार कार्यक्रमको व्यवहारिक रूप दे दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसे कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है ; और दुर्गापुर इस्पात कारखाने को 16 लाख टन लौह अयस्क सप्लाई करने का लक्ष्य कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में काम में तेज़ी लाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : मेसर्स बोलानी ओर्ज लिमिटेड दुर्गापुर इस्पात कारखाने को पहले ही 16 लाख टन वार्षिक के करीब कच्चा लोहा सप्लाई कर रहे हैं। 16 लाख पिण्डक टन विस्तार के पश्चात इस्पात कारखाने की आवश्यकता की पुर्ति के लिए, बोलानी ओर्ज की विस्तार योजना को पहले ही अन्तिम रूप दिया जा चुका है । विस्तार योजना में भट्टियों के लिए प्रति वर्ष 20 लाख टन पिण्ड और 10 लाख टन परिष्कृत बारीक लौह खनिज के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है । विदेशी मुद्रा की लागत वाशिंगटन के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा दिए गए ऋण से पूरी की जाएगी । ऋण मिलने तक रेल यातायात, बिजली, पानी इत्यादि की आवश्यकताओं की सभी प्राथमिक छानबीन पूरी कर ली गई है और अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण अधिकारियों को उपकरणों के आयात के लिए टेण्डर भेज दिए गए हैं । अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा ऋण के लिए शीघ्र अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं । उत्पादन-लक्ष्य के मार्च, 1968 तक प्राप्त होने की संभावना है ।

बोकारो कर्मचारियों के लिए मकानों की व्यवस्था

2362. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात कारखाने के कर्मचारियों के लिए 1000 स्थायी मकानों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या निर्माण कार्य पूर्णतः मितव्ययता तथा उपयोगिता के आधार पर चल रहा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) बोकारो में 992 स्थायि मकानों के निर्माण कार्य में सन्तोषजनक प्रगति हो रही है। आशा है सितम्बर से दिसम्बर 1965 तक ये मकान निवास के लिए उत्तरोत्तर तैयार होते चले जायेंगे ।

(ख) जी, हां ।

बोकारों में परियोजना स्थल की सफाई

2363. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत में विभिन्न परियोजना स्थलों से मिट्टी हटाने वाली मशीनों को, जहां उनकी अब आवश्यकता नहीं है बोकारों में भूमि की सफाई सम्बन्धी कार्य के लिये प्राप्त करने की वांछनीयता पर मितव्ययता और विदेशी मुद्रा बचाने की दृष्टि से विचार किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) एक करोड़ 30 लाख रुपये के उपकरण के लिए रूस को आर्डर देने के क्या कारण थे ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : बोकारो में स्थल तैयार करने के लिए बहुत सा मिट्टी का काम करना पड़ेगा । यह काम दो वर्ष के अन्दर पूरा होना चाहिए जिससे इस्पात कारखाने का निर्माण कार्य अनुसूची के अनुसार आरम्भ किया जा सके । काम की मात्रा और कड़ी समय-अनुसूची को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि मिट्टी हटाने वाली मशीनें पूर्णतः कार्यक्षम होनी चाहिए। दूसरी प्रायोजनाओं की ऐसी मशीनों से, जो उनकी अपनी आवश्यकताओं से अधिक हैं, बोकारों की आवश्यकताओं से अधिक है, बोकारों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकेगी क्योंकि बहुत समय तक इस्तेमाल होती रहने के कारण उनको इतने बड़े कार्य के लिए उपयुक्त बनाने में उनको पूरी तरह साफ करने और सुधारने में काफी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ।

(ग) सोवियत संघ द्वारा उद्धृत कीमतें अपेक्षाकृत कम हैं और उनकी अदायकी की शर्तें भी काफी आकर्षक हैं ।

बोकारो इस्पात कारखाने के लिये भूमि

2364. **महाराजकुमार विजय आनंद** : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारों इस्पात कारखाने के लिये पर्याप्त भूमि अर्जित कर ली गई है;

(ख) क्या भूमि अर्जन कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है; और

(ग) कुल कितनी भूमि निःशुल्क मिली तथा अर्जित भूमि के लिये कितना प्रतिकर दिया गया ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) अब तक 3428 एकड़ वन और "खस" भूमि जिस पर राज्य सरकार का अधिकार था निःशुल्क प्राप्त की जा चुकी है। 31 अगस्त, 1965 तक अर्जित भूमि का कुल 15.42 मिलियन रुपये प्रतिकर दिया गया। इस अवधि में 15.94 मिलियन रुपये जमा भी किए गए हैं।

वैगन सम्भरण की कमी

2365. **श्री म० ना० स्वामी :**

श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने राज्यों से बाहर चावल ले जाने के लिये वैगनों की कमी के विरुद्ध शिकायत की है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) इस बारे में आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से तारीख 30–8–65 का एक तार मिला था ।

(ख) शिकायत सही साबित नहीं हुई, क्योंकि 31 अगस्त, 1965 को रेलवे के पास केवल एक हफ्ते से भी कम लदान के बराबर मालडिब्बों की मांग बाकी थी । इसके अलावा, रेल प्रशासन द्वारा भारत के खाद्य निगम और राज्य सरकार के साथ मिलकर तैयार किये गये कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल के लिए ब्लाक रेकों द्वारा थोक में चावल की ढुलाई के लिए उन दिनों पर्याप्त मांगें उपलब्ध नहीं थीं । आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से कहा गया है कि वे और अधिक चावल के लदान के लिए मालडिब्बों की उपयुक्त मांग भेजें ।

आन्ध्र प्रदेश में फासफेट के निक्षेप

2366. **श्री कोल्ला वेंकैया :**

श्री म० ना० स्वामी :

श्री लक्ष्मी दास :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में विजय नगर के आसपास पाये गये फासफेट के निक्षेप भंडारों के विदोहन का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) नहीं, महोदय । तथापि इस क्षेत्र में दो गैर-सरकारी पक्षों ने एपाटइट खनन करने का काम शुरू कर दिया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चादर कांच का निर्यात

2367. **श्री हेडा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है की चादर कांच निर्माताओं ने निर्यात में होने वाली हानि को पूरा करने के लिये सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) इस विषय पर अभी विचार हो रहा है ।

कपड़े का निर्यात

2368. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूती कपड़े का निर्यात में 1964 के पहले छः महीनों की तुलना में लगभग 3.5 करोड़ रुपये घट गया है और इसका कारण मुख्यतः ब्रिटेन को होने वाले निर्यात में पांच करोड़ रुपये की कमी हो जाना है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) और (ख) : 1965 के पहले 6 महिनों में हुए सूती कपड़े के निर्यात में 1964 की इसी अवधि की तुलना में 2.81 करोड़ रु० की कमी हो गई है। ब्रिटेन के लिए निर्धारित कोटा को पूरा करने की दृष्टि से हाल में ही सभी किस्मों के सूती कपड़ों के सम्बन्ध में मुक्त लाइसेंस प्रणाली जारी कर दी गई है।

अन्य देशों को होने वाले सूती कपड़े के निर्यात को अक्षुण्ण बनाये रखने और, यदि सम्भव हो तो उसे बढ़ा भी लेने के लिए निर्यातकों को सब प्रकार की सहायता दी जा रही है।

भारत में हांग कांग की टीम का आगमन

2369. **श्री रघुनाथ सिंह :** **श्री वसुमतारी :**

श्री रा० बरुआ : **डा० महादेव प्रसाद :**

श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में हांग कांग का एक दल कपड़े की पोशाकों तथा संबंधित उद्योगों में भारत और हांग कांग के बीच सहयोग की संभावना के संबंध में भारत आया था; और

(ख) यदि हां, तो उसकी यात्रा का क्या परिणाम निकला?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) और (ख) : हांग कांग से एक कपडा शिष्टमण्डल सामान्य हितों के अनेक विषयोंपर भारतीय अधिकारियों और कपडा औद्योगिकों के साथ बातचीत करने के लिए हाल में ही भारत आया था। दोनों देशों के कपड़ा उद्योगों की समस्याओं पर आपस में विचार विनिमय हुआ। इसमें निर्यात के बारे में विशेषतः चर्चा की गई ।

इंजीनियरी इकाईयां

2370. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में इंजीनियरी इकाइयों की अपनी वर्तमान संयंत्रों तथा मशीनों से उत्पादन के अपने ढांचे में विभिन्नता लाने की अनुमति देने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कहां तक तथा किस आधारपर ; और

(ग) इससे चालू वर्ष की शेष अवधि में इन उद्योगों के समस्त उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : इंजीनियरी के क्षेत्र में औद्योगिक एककों को विद्यमान संयंत्र और मशीनों से ही 'नई वस्तुओं' के उत्पादन में विविधता लाने की स्वतन्त्रता दे दी गई है बशर्ते कि ऐसा करने के लिये और अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की आवश्यकता न पड़े और यह भी कि (1) तैयार की जाने वाली वस्तुएं "निषिद्ध" सूची में न हों; (2) वे वस्तुएं लघु क्षेत्र के लिए रक्षित न कर दी गई हों; और (3) जिन वस्तुओं के लिए लाइसेंस दिया जा चुका है उनके उत्पादन में काफी कमी न की जाये; (4) प्राथमिकता वाली तथा अत्यावश्यक वस्तुओं के स्थान पर कम प्राथमिकता वाली और अनावश्यक वस्तुओं का उत्पादन न किया जाये अपितु अधिक लाभकर वस्तुओं का उत्पादन किया जाये।

(ग) सरकार को आशा है कि जुलाई 1965 के अन्त में जिन उपायों की घोषणा की गई थी उनसे देशी उपकरणों और कच्चे माल पर आधारित औद्योगिक उत्पादनों का और अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

उद्योगों में कम पूंजी लगाने वाले व्यक्तियों को रियायतें तथा प्रोत्साहन

2371. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों में कम पूंजी लगाने वाले व्यक्तियों को रियायतें तथा प्रोत्साहन देने के लिए हाल ही में नई योजनाएं बनाई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी नई रियायतें देने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

"हिन्दुस्तान मशीन टूल्स"

2373. **श्री तन सिंह** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "हिन्दुस्तान मशीन टुल्स" के घड़ी विभाग ने अपना उत्पादन 50 प्रतिशत कम कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे आयात अथवा निर्यात पर क्या प्रभाव हुआ है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : विदेशी मुद्रा की वर्तमान कठिन परिस्थिति में कच्चे माल और पुर्जों का आयात करने के लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के घड़ी यूनिट की सम्पूर्ण मांग पूरी करने के लिए विदेशी मुद्रा दे सकना सम्भव नहीं है। इस कारण घड़ियों के उत्पादन में काफी कमी हुई है।

(ग) पूरी घड़ियों का आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स अपने उत्पादन के कुछ अंश का निर्यात करने का प्रयास कर रहा है जिससे वह निर्यात प्रोत्साहन की सहायता से और अधिक घड़ियों का निर्माण कर सके।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2374. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उद्योगवार तथा वर्षवार आगामी पांच वर्षों के लिए निर्यात लक्ष्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये इस प्रकार के कोई निर्यात लक्ष्य अलग से निर्धारित नहीं किये गये हैं। फिर भी, जिन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विषय में निर्यात सम्भावनाएं विद्यमान हैं, उनमें आगामी कुछ वर्षों में अधिकतम निर्यात उपार्जन करने के लिए कदम उठाये गये हैं।

तकनीकी योजना सेल

2375. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरी विभाग में एक तकनीकी योजना सेल बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस का गठन तथा कार्य क्या है; और

(ग) क्या सेल का ढांचा अन्य मंत्रालयों में इसी प्रकार के सेल्स के समान है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) : मशीनी उद्योग से सम्बधित एक तकनीकी योजना सेल का केन्द्र एक विशेष अधिकारी तथा उसकी सहायता के लिए आवश्यक सचिवालय के साथ स्थापित कर दिया गया है। इस संगठन के विस्तार के लिए सुझाव विचारधीन है। यह सेल चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए सुझावों और प्रायोजनाओं को जांच कर रहा है। इस संगठन का उद्देश्य भारी इंजिनियरिंग उद्योग की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करना है तथा इसका गठन अन्य मंत्रालयों में इसी प्रकार के संगठनों के आधार पर नहीं किया गया है।

Bridges on Central Railway

2376. Shri J. P. Jyotishi : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the bridges which were damaged on the Central Railway between Khandwa and Bina stations in May, 1965 due to rains;

(b) when these bridges were constructed; and

(c) when improvements were made in these bridges?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) No bridge on Khandwa-Bina Section of Central Railway was damaged in May, 1965 due to rains.

(b) & (c). Do not arise.

Export Promotion

2377. Shri J. P. Jyotishi : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the various facilities announced by Government during the Third Five Year Plan period so far for the private sector establishments engaged in the promotion of exports;

(b) the extent of concessions given in foreign exchange and the rebate in taxes allowed to these establishments during the above period ; and

(c) the increase in the net National Income and the additional amount in foreign exchange earned by Government as a result of these concessions?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) The concessions available for the promotion of exports are uniformally applicable to private sector as well as public sector establishments. A statement of the concessions currently available to export establishments is attached (Statement 1). [**Placed in the Library. See No. LT-4884/65.**]

(b) Apart from facilities of travel, market surveys, delegations, etc. (involving expenditure in foreign exchange), which extend to exporting as well as other establishments, the extent of concessions allowed by way of import entitlements against exports is as indicated in the Statements 2 to 4 attached. The extent of rebate in taxes allowed against export earnings is as follows :—

(i) Rebate at one-tenth of the amount of income-tax and super-tax attributable to income derived from exports out of India in the case of all assessees, other than foreign companies which have not made the prescribed arrangements for declaration and payment of dividends within India, is allowed as an export incentive. In addition to this rebate, a further rebate of tax, calculated on an amount equal to 2 per cent of the export turnover is allowed to a manufacturer who either himself exports, or where the first purchaser from him exports any articles manufactured by the former in any of the industries (other than certain specified industries) listed in the First Schedule to the Industries (Development and Regulation) Act; and

(ii) In addition to the above, tax credit certificates are allowed against exports of commodities listed in Statement 5 (attached) at rates specified against each;

(c) It is difficult to estimate the increase in net National Income as a result of the concessions allowed since the National Income is computable in terms of the money value of production and services irrespective of such production and services being used for internal consumption or sale abroad. However, the increase in exports during the last few years is as follows :—

1961–62	Rs. 679 crores
1962–63	Rs. 714 ,,
1963–64	Rs. 794 ,,
1964–65	Rs. 815 ,,

Tapti Textile Mill, Burhanpur (M.P.)

2378. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Lahri Singh :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Yudh Vir Singh :
Shri Bade :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Vishram Prasad :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about two years ago, a loan of Rs. 52 lakhs was given by the Central Government to the Burhanpur Tapti Mill Ltd., Burhanpur in Madhya Pradesh for the installation of new machinery;

(b) whether it is a fact that a loan of about Rs. 25 lakhs has been given to this very Mill and for the same purpose by the Government of Madhya Pradesh ;

(c) whether it is also a fact that the said amount has not been used by the Mill for the purchase and installation of machinery ; and

(d) if so, the action taken by Government for this irregularity?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) No, Sir. A loan of Rs. 34·62 lakhs was, however, sanctioned to the Mill in 1963 by the National Industrial Development Corporation Ltd. to be utilised for the purchase of machinery required for modernisation and rehabilitation of the Mill.

(b) Government are not aware of any direct loan having been given to the Mill by the State Government. The Madhya Pradesh Finance Corporation are, however, understood to have granted the Mill a loan of Rs. 10 lakhs half of which was to be utilised for payment of freight, customs duty, erection charges etc. in connection with modernisation of the Mill.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

नेफा के खनिज संसाधन

2379. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में पिछले वर्ष नेफा में एक क्रमबध्द तथा वैज्ञानिक तकनीकी व आर्थिक सर्वेक्षण आरम्भ किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने नेफा में उपलब्ध विभिन्न खनिज संसाधनों से लाभ उठाने के लिये सरकार को कोई ठोस सुझाव दिये हैं; और

(ग) उन से लाभ उठाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, महोदय ।

(ख) और (ग) : सर्वेक्षण अभी प्रगति पर है इस दशा में विदोहन के ठोस प्रस्ताव बनाना सम्भव नहीं है ।

रेलवे क्लर्कों के वेतन क्रम

2381. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे के प्रथम श्रेणी के क्लर्कों का वेतन क्रम 130-300 रुपये से बदलकर 210-425 रुपये करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

बायलर मेकर चार्जमैन

2382. **श्री मधु लिमये :**

श्री यशपाल सिंह :

श्री दिनेन भट्टाचार्य :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे पर नारकेल-डांगा के लोकों शेड में डिवीजनल बायलर मेकर चार्जमेन और श्रेणी "ए" के बायलर मेकर चार्जमेन के पदों की संख्या में कुछ कमी की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वास्तविक कार्यभार के आधार पर इस शेड की कर्मचारियों की आवश्यकताओं का कोई अनुमान लगाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। केवल डिविजनल बायलर मेकर चार्जमन की कोटि में ।

(ख) जी हां ।

(ग) विद्युतीकरण के परिणामस्वरुप इंजनों की संख्या में कमी हो जाने के कारण 370-475 रु० के वेतनमान में डिविज़नल बायलर मेकर चार्जमैन के पद और 335-425 रु० के वेतनमान में बायलर मेकर चार्जमैन ग्रेड "ए" के पद में से 370-475 रु० के वेतनमान में डिविज़नल बायलर मेकर चार्जमैन का पद खत्म कर दिया गया है ।

पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग

2383. **श्री हेमराज :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि वेल्लित तथा निकल अनोड्ज के आयात पर प्रतिबन्ध लगानेसे पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, और यदि हां, तो इससे किन किन उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या सरकार को पंजाब के छोटे पैमाने के उद्योग से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) : देश में वेल्लित तथा "निकल अनोड्ज" का निर्माण शुरू कर दिये जाने के कारण चालू वर्ष में इस वस्तु के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। प्रतिबन्ध लगाये जाने के फलस्वरुप पंजाब के छोटे पैमाने के बिजली से पालिश करने वालों के पास से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है । बताया जाता है कि "निकल अनोड्ज" के आयात पर प्रतिबन्ध लगाये जाने से पुर्जे जोड़ कर साइकिले बनाने वालों, साइकिले और सिलाई मशीनों के पुर्जे बनाने वालों तथा उन हल्के इंजीनियरिंग उद्यागों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा है जिन्हें बिजली से पालिश करने के लिये निकल अनोड्ज की आवश्यकता पड़ती है । संबंधित तकनिकी अधिकारियों के परामर्श से इन विभिन्न अभ्यावेदनों की जांच की जा रही है ।

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में खोज कार्य

2384. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भतत्वीय सर्वेक्षण ने सिफारिश की है कि मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर में मोहपानी स्थान के कोयला-क्षेत्र के इर्दगिर्द के इलाके में विस्तृत रूप से गहन खोज की जाये; और

(ख) विभाग कब तक खोज-कार्य पुरा कर लेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के सामने रखा जायेगा ।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

2385. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 7 मई, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3334 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के एसोसियेटेड इलेट्रिकल इंडस्ट्रिज लिमिटेड के निदशक द्वारा दिये गये सामयिक प्रतिवेदन का अध्ययन कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें दिये गये सुझाओं और सिफारिशों में से (एक) कौन कौन से सुझाव और सिफारिशें स्वीकार हुई हैं; (दो) कौन-कौनसी सिफारिशें आदि अस्वीकार हुई हैं; और (तीन) कौन कौन सी अभी विचाराधीन हैं; और

(ग) प्रत्येक मामले में अस्वीकृति के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : प्रतिवेदन में उत्पादन बढ़ाने और निर्माण तथा अन्य विभागों में पर्याप्त अनुभवी कर्मचारियों की नियुक्ति करने के बारे में सुझाव दिये गये है । कम्पनी के प्रबन्धकों ने ये सभी सुझाव स्वीकार कर लिये हैं तथा उन्हें यथासम्भव कार्यान्वित किये जाने के लिये उपाय किये जा रहे हैं।

खान अधिनियम का लागू किया जाना

2386. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी :
श्री वारियर :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खान विभाग में खान अधिनियम लागू नहीं किया गया है, हालांकि यह खान सम्बन्धी विभाग है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस अधिनियम को लाग् करने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) नहीं, महोदय।

(ख) और (ग) : उत्पन्न नहीं होते।

भारतीय खान विभाग के कर्मचारियों को क्षेत्रीय संस्थान भत्ता

2387. **श्री दाजी :**

श्री वारियर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खान विभाग अपने कर्मचारियों को क्षेत्रीय संस्थान भत्ता देता है; और

(ख) यदि हां, तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को, जो उन्हीं परिस्थितिओं में काम करते हैं जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी काम करते हैं, यह भत्ता न देने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) ब्यूरो में काम करने वाले सभी लोगों को क्षेत्रीय संस्थान भत्ता (फील्ड एस्टेब्लिशमेंट एलाउन्स) स्वीकृत नहीं है। जो अधिकारी वर्ग इस भत्ते के योग्य हैं तथा जिन दशाओं में यह स्वीकार किया जाता है, यह अनुबद्ध विवरण में दिखाया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4885/65।**]

(ख) चूंकि यह भत्ता अधिकारियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बिना सहायताके क्षेत्र में काम करने के दौरान दिया जाता है इसलिए चतुर्थ श्रेणी वर्ग को इस प्रकार का भत्ता स्वीकार करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय खान विभाग के मस्टर रोल पर काम करने वाले कर्मचारी

2388. **श्री दाजी :**

श्री वारियर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अगस्त 1965 को भारतीय खान विभाग के मस्टर रोल पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या क्या थी;

(ख) ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है, जो क्रमशः तीन वर्ष तथा पांच वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं; और

(ग) इन कर्मचारियों को किस दर पर मजूरी दी जाती है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-शीघ्र सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी।

"मोपेड्ज" का निर्माण

2389. श्री वारियर :

श्री वासुदेवन् नायर :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य ने भारत में "मोपेड्ज" के निर्माण के बारे में सरकार को परियोजना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Export of Cotton Cloth to Uganda

2390. Dr. Mahadeva Prasad : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the demand for Indian cotton cloth has increased in Uganda; and

(b) if so, the steps taken by Government to meet the same?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) and (b). There is reported to be an increased demand in Uganda for Indian cotton cloth. The Cotton Textiles Export Promotion Council has informed the trade about the prospects for Indian textiles in the Uganda market and has advised the interested parties to send their representatives to Uganda for securing business.

रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण

2391. श्री जसवन्त मेहता :

श्री अल्वारेस :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने चौथी पंचवर्षीय योजना में किसी जोन में रेलों का विद्युतीकरण करने के लिये अस्थायी रूप से कोई प्राथमिकता निर्धारित की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के विभिन्न जोनों में रेलों का विद्युतीकरण करने के लिये कितनी प्रस्तावित रकम नियत की गयी है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग) : बिजली गाड़ियां चलाने का औचित्य केवल उन्हीं मार्गों पर है जहां यातायात का घनत्व बहुत अधिक है। चौथी योजना में सम्भावित कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित दुहरी लाइन वाले मुख्य मार्गों के खण्डों पर ब्यौरेवार परियोजनात्मक अध्ययन किये जा रहे हैं :—

1.	राउरकेला—दुर्ग	दक्षिण-पूर्व रेलवे
2.	कानपुर-टुंडला	उत्तर रेलवे
3.	विरार—साबरमती	पश्चिम रेलवे
4.	मद्रास—विजयवाडा	दक्षिण रेलवे
5.	इटारसी—भुसावल	मध्य रेलवे
6.	सीतारामपुर—किउल—मुगलसराय	पूर्व रेलवे
7.	मद्रास—अरकोणम्	दक्षिण रेलवे
8.	टूंडला—दिल्ली	उत्तर रेलवे

इन कार्यक्रमों पर लगभग 150 करोड़ रुपये लागत आने की सम्भावना है।

बिजली गाड़ियां चलाने से सबन्धित कार्यक्रमों का तारतम्य बनाये रखने के लिये राउरकेला-दुर्ग और कानपुर-टुंडला परियोजनाओं पर अग्रिम कार्रवाई की जा चुकी है। बिजली इंजनों की लागत को छोडकार इन पर 33.4 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। ये खण्ड उन खण्डों के साथ लगे हैं जिनका तीसरी योजना में विद्युतीकरण हो चुका है। योजनाओं के प्रारम्भिक अध्ययन से भी यह पता चला है कि चौथी योजना के प्रारम्भिक वर्षों में इन खण्डों पर प्रत्याशित यातायात की बढ़ती ऐसी होगी कि यदि विद्युतीकरण समय रहते शुरू न किया गया तो विद्युतीकरण सम्बन्धी कामों को क्रियान्विति से गाड़ियों के संचलन में बहुत अधिक बाधा पड़ने की सम्भावना है। विद्युतीकरण के कार्यक्रमों का वास्तविक आकर इस बात पर निर्भर करेगा कि चौथी योजना में इस काम के लिए अन्तिम रूप से कितनी राशि का विनिधान होता है। तो भी ऐसी आशा है कि सात नहीं तो छः परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया जायेगा। ब्यौरेवार परियोजनात्मक अध्ययन में इन कार्यक्रमों के आर्थिक और इंजीनियरींग पहलुओं की जांच के साथ-साथ इन बातों पर भी विचार किया जायेगा कि यातायात किस प्रकार का होगा और विद्युत-शक्ति किस समय तक मिल सकेगी। इस अध्ययन के पूरा होने पर ही यह निर्णय किया जा सकेगा कि कौन से एक या दो कार्यक्रमों को स्थगित करना चाहिए, जिनपर चौथी योजना के बाद की अवधि में विचार किया जाये।

चीनी सेन्ट्रीफ्यूगल लाइनर्स

2392. श्री जसवन्त मेहता :
श्री अल्वारेस :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में परफोरेटेड चीनी सेन्ट्रीफ्यूगल लाइनर्स के निर्माण की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ;

(ख) 1964-65 में चीनी कारखानों के लिए कितने परफोरेटेड चीनी सेन्ट्रीफ्यूगल लाइनर्स आयात किये गये ;

(ग) उपरोक्त अवधि में चीनी सेन्ट्रीफ्यूगल लाइनर्स के निर्माण के लिए कितने लाइसेंस दिये गये; और

(घ) कितने प्रार्थनापत्र नामंजुर कर दिये गये हैं तथा उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) क्योंकि परफोरेटेड चीनी सेन्ट्रीफ्यूगल लाइनर पूरे चीनी मिल का केवल एक मामुली सा पुर्जा है अतः इसकी स्थापित क्षमता का अलग से कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। लेकिन लघु उद्योग क्षेत्र में इसका काफी मात्रा में उत्पादन हो रहा है।

(ख) क्योंकि भारतीय वाणिज्य वर्गीकरण में इस उपकरण को अलग से सम्मिलित नहीं किया गया है अतः 1964-65 में इसके आयात के आंकडे उपलब्ध नहीं है।

(ग) कोई नहीं।

(घ) 1964-65 में चीनी के सेन्ट्रीफ्यूगल लाइनर के लाइसेंस के लिए कोई प्रार्थनापत्र अस्वीकृत नहीं किया गया।

नई रेल लाइनों का निर्माण

2393. श्री जसवन्त मेहता :

श्री अल्वारेस :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने चौथी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न जोनों में नई छोटी तथा बड़ी लाइनों के निर्माण के लिये अस्थायी प्राथमिकता निर्धारित की है ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने राज्य सरकारों से नई लाईनों के निर्माण के लिए प्राथमिकता निर्धारित करने के सम्बन्ध में सुझाव मांगे है;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड को विभिन्न राज्यों से चौथी पंचवर्षीय योजना में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में प्राथमिकता निर्धारित करने के लिये सुझाव मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो सुझावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग) : चौथी योजना में जो नयी लाइने बनायी जायेंगी उनके ब्यौरे को अभी आयोजना आयोग और दूसरे सम्बधित हितों की सलाह से अन्तिम रूप देना बाकी है। रेलवे बोर्ड ने दूसरी और तीसरी दोनों योजनाओं के लिए नयी लाइनों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से सुझाव मांगे थे। इस तरह जो सुझाव प्राप्त हुए पिछली दो योजनाओं में उपलब्ध रकम और साधनों को देखते हुए उनमें से केवल कुछ प्रतिशत को ही स्वीकार करना सम्भव हो सका। चूंकि राज्य सरकारों द्वारा इससे पहले भेजे गये सुझावों में से बहुत से सुझावों पर अभी तक अमल नहीं किया जा सका है और साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि सीमित मात्रा में रकम उपलब्ध होने के कारण चौथी योजना में बहुत कम मील दूरी में नयी लाइनें बनायी जा सकेंगी। इसलिए रेलवे बोर्ड ने यह विचार किया है कि चौथी योजना के लिए राज्य सरकारों से नये सुझाव मंगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लगभग सभी राज्य सरकारों ने चौथी योजना में नयी लाइनें बनाने के लिए अपनी ओर से ही अपनी सिफारिशें भेजी हैं। चौथी योजना को अन्तिम रूप देते समय इन सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जायेगा।

(घ) एक बयान नत्थी है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4886/65।]**

चाय अनुसन्धान कार्य

2394. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अगस्त, 1965 के "हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड" में 'सरकारी देरी का चाय अनुसन्धान कार्य पर बुरा असर पड़ता है' नामक शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बीच इन आरोपों की जांच की है,

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला, और

(घ) इस प्रयोजन के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) : इन आरोपों के विषय में जांच की जा रही है । प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उचित कदम उठाये जायेंगे ।

चाय का निर्यात

2395. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1965 को समाप्त होने वाले ऋतु काल में उन देशों को, जिन के भारत सरकार से रुपयों में भुगतान करने के समझौते हैं, चाय के निर्यात में निरन्तर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्यात पिछले चार वर्षों के दौरान इसी ऋतु काल में हुए निर्यात की तुलना में अधिक है या कम; और

(ग) जून 1965 को समाप्त हुए ऋतु काल में अन्य देशों को, विशेषकर ब्रिटेन तथा अमरिका को किया गया निर्यात, पिछले चार वर्षों के इसी काल के दौरान हुए निर्यात की तुलना में अधिक है या कम ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) से (ग) : विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4887/65 ।]**

Chief Controllers on Northern Railway

2396. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railway Board has made it an essential qualification that a candidate for the post of Chief Controller in the Transportation and Traffic Department should have passed P-17 course;

(b) if so, the number of those Chief Controllers serving on the Northern Railway who have not passed P-17 course ; and

(c) the action proposed to be taken in respect of officials who are already in service?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No, but the General Manager under his own powers has prescribed this qualification on the Northern Railway.

(b) Four.

(c) Two persons have already been exempted from passing the said course. The question of granting exemption to the remaining two employees is under consideration.

रेलवे फाटक

2397. **डा० महादेव प्रसाद :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के पहले छः महीनों में प्रत्येक खण्ड में बिना चौकीदार वाले कितने रेलवे फाटकों पर चौकीदारों की व्यवस्था की गई है ;

(ख) इसी अवधि में कितने रेलवे फाटकों पर स्वचालित सिगनल तथा बैरियर प्रणाली का प्रबन्ध किया गया है; और

(ग) ऐसे कितने रेलवे फाटक हैं जिन पर चौकीदारों/उक्त उपकरणों का प्रबन्ध करना बाकी है?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग): एक बयान नत्थी है जिसमें सबसे हाल की स्थिति बतायी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 4888/65।**]

Slate-Pen Factories

2398. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state :

(a) the number of slate-pen factories in Gujarat, Madhya Pradesh and Rajasthan ;

(b) the quantity of slate-pens being produced in them ;

(c) whether the production is sufficient to meet the demand in the country;

(d) whether any assistance has been given to those factories by Government;

(e) if so, the details thereof; and

(f) the number of persons employed in those factories?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry & Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) to (f) . The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

दस्तकारी निर्यात संवर्द्धन समिति

2399. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बनाई गई दस्तकारी निर्यात संवर्द्धन समिति ने हाल ही में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है ।

Price of Newsprint

2400. Shri Bade :

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the price of imported newsprint was fixed by the State Trading Corporation in 1962-63 at £60 equivalent to Rs. 802·80 Paisa, per metric ton ;

(b) whether Government have received any complaints that the import agents are black-marketing by charging more than Rs. 802·80 Paisa per ton; and

(c) if so, the action taken against them?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) The price of imported Scannews newsprint sheets during 1962-63 was concluded with foreign suppliers at £ Stg. 60 per metric ton c.i.f. Indian ports.

(b) & (c). A complaint was received from a licensee against his letter of authority holder alleging that the latter is black-marketing. Since the dispute is between the licensee and the letter of authority holder, the question of taking any action by the Government does not arise. However, we are looking into the matter.

रेलवे कुलियों तथा फेरी वालों का राष्ट्रीय संघ

2401. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कुलियों तथा फेरी वालों के राष्ट्रीय संघ ने ज्ञापन दिया है जिसमें कि उन्होंने मांग की है प्रत्येक बार सामान ले जाने का भाड़ा 0.25 पैसे से बढ़ा कर 0.40 पैसे और फेरी वालों का कमीशन 0.12 पैसे से बढा कर 0.25 पैसे किया जाये तथा कुलियों और फैरी वालों के बच्चों के लिए शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाओं की व्यवस्था की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इस मामले पर विचार हो रहा है और समुचित कार्रवाई की जायेगी ।

महासागर से खनिज सम्पत्ति

2402. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री लैव जैखेविख द्वारा लिखित लेनिन पुरस्कार से पुरस्कृत "दि बाइलाजी आफ सीज आफ दी यू० एस० एस० आर०" नामक पुस्तक की ओर दिलाया गया है जिस में लेखक ने कहा है कि महासागरों में कोक अथवा ग्लोब के रूप में सोना चांदी, निकेल, कोबाल्ट, मोलिब्डिनम, फैरोमैंगनीज ककरीशन, खनिज पदार्थ जिन में लोहे और मैंगनीज की बहुत अधिक मात्रा होती है पाये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार महासागरों के तलोंसे खनिज पदार्थ निकालने का है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख): सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के सामने रखा जायेगा।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में

RE : CALLING ATTENTION NOTICE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सैनिक संस्थानों को हटा लेने के बारे में भारत को भेजे गये चीनी नोट के बारे में कई माननीय सदस्यों से ध्यान दिलाने वाली सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इस दौरान मुझे पता चला है कि प्रधान मंत्री महोदय आज 3.30 बजे म० प० एक वक्तव्य दे रहे हैं। प्रधान मंत्री के वक्तव्य के समय इन पर विचार किया जा सकता है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन नियम

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : मैं कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन नियम, 1965 की एक प्रति, जो दिनांक 19 जून, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 860 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4876/65।]**

केरल बाट तथा माप (प्रवर्तन) नियम, 1958 में संशोधन

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : मैं राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित केरल बाट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1958 की धारा 43 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 12563/64/एम 1/आर डी की एक प्रति, जो दिनांक 19 मई, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल बाट तथा माप (प्रवर्तन) नियम, 1958 में एक संशोधन किया गया, सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4877/65।]**

लाइसेंसधारी नमक उत्पादकों को ऋणों का अनुदान (संशोधन) नियम, 1965

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : मैं नमक उपकर अधिनियम, 1953 की धारा 6 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत लाइसेंसधारी नमक उत्पादकों को ऋणों का अनुदान (संशोधन) नियम, 1965 की एक प्रति, जो दिनांक 31 जुलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1074 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4878/65।]**

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENT'S ASSENT TO BILL

सचिव : मैं चालू अधिवेशन में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1965, जिस पर 16 अगस्त, 1965 को सभा में पिछली बार प्रतिवेदन देने के पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी, सभा पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा अपनी 13 सितम्बर, 1965 की बैठक में पारित किये गये गोवा, दमन तथा दीव [सिविल प्रक्रिया संहिता और माध्यस्थम (आरबीट्रेशन) अधिनियम का विस्तारण] विधेयक, 1965 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश मिला है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के अनुसरण में मुझे लोक-सभा को यह बताने का निदेश मिला है कि राज्य-सभा अपनी 14 सितम्बर, 1965 की बैठक में समवाय (संशोधन) विधेयक, 1965 से, जो लोक-सभा द्वारा अपनी 26 अगस्त, 1965 की बैठक में पारित किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"

गोवा, दमण तथा दीव [सिविल प्रक्रिया संहिता और माध्यस्थम (आरबीट्रेशन) अधिनियम का विस्तारण] विधेयक, 1965 (राज्य सभा द्वारा पारित रूपमें)

GOA, DAMAN AND DIU (EXTENSION OF THE CODE OF CIVIL PROCEDURE AND THE ARBITRATION ACT) BILL, 1965 (as passed by Rajya Sabha)

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में गोवा, दमण तथा दीव [सिविल प्रक्रिया संहिता और माध्यस्थम (आरबीट्रेशन) अधिनियम का विस्तारण] विधेयक, 1965 सभा पटल पर रखता हूं।

संसद् सदस्यों द्वारा सीमान्त क्षेत्रों के दौरे के बारे में

RE : VISIT OF MEMBERS OF PARLIAMENT TO BORDER AREAS

अध्यक्ष महोदय : कल सभा ने यह मत व्यक्त किया था कि इस सभा के अथवा दोनों सभाओं के कुछ सदस्य सीमान्त क्षेत्रों में भेजे जायें। इस बारे में मैंने प्रतिरक्षा मंत्री से बातचीत की है और यह फैसला किया है कि इस समय 12 सदस्य भेजे जायें—8 इस सभा के और 4 राज्य सभा के। ये व्यक्ति शनिवार और रविवार के लिये आज रात को जा सकते हैं। इनके नामों की घोषणा मैं थोडी देर में करूंगा।

श्री रंगा (चित्तूर) : यदि यह दौरा केवल एक दिन का है तो हम 12 सदस्य कल भेज सकते हैं और 12 परसों।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों की सीमा पर हो रही वास्तविक लड़ाई देखने की बड़ी इच्छा है और यह एक अच्छी बात है। लेकिन इसके लिये हमें अग्रिम क्षेत्रों का दौरा करने वाले व्यक्तियों के लिये सुरक्षा व्यवस्था को भी देखना है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : उन क्षेत्रों का दौरा करने वालों के लिये कोई विशेष व्यवस्था न की जाय।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था तो करनी ही पडेगी। जब गणमान्य व्यक्ति वहां जाते हैं तो जिला अधिकारी उनकी देखभाल में व्यस्त रहते हैं। सेना के कुछ अफसरों को भी उनकी सुरक्षा-व्यवस्था करनी पडती है। कुछ समय बाद हम सदस्यों का एक अन्य दल वहां भेजेंगे, अतः सदस्यों को अपनी ओर से वहां जाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये, क्योंकि सेना के लिये व्यवस्था करना बडा कठिन हो जाता है। जिन सदस्यों का वह निर्वाचन-क्षेत्र है उन्हें तो जनता का मनोबल बनाये रखने के लिये अपने निर्वाचन-क्षेत्रों में जाना ही पडेगा।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : Mr. Speaker Sir, I submit that members from every group should be included in the first group of members visiting border areas. It should not be there that four members are included from the Congress party.

Mr. Speaker : This will be difficult. Four members will be from Congress and four from opposition groups. All the group cannot be represented at one time.

Shri M. L. Dwivedi (Hamirpur) : If we visit there now, it will have difficulty for our security forces. So, I submit that this group should not be sent at present.

श्री नाथ पाई : आपको सदस्यों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिये ताकि विभिन्न दलों के प्रतिनिधि वहां जा सके।

Shrimati Sahodarabai Raj (Damoh) : Ladies should also be sent there.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सदस्यों को अपने साथ जवानों के लिये कुछ उपहार ले जाने चाहियें। संसद् के सभी सदस्यों को इसके लिये एक दिन का भत्ता, अर्थात् 31 रुपये, दे देने चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह तो संसद् सदस्यों पर है। मैं श्री बनर्जी का आभारी हूं कि उन्होंने यह सुझाव दिया है।

श्री जी० भ० कृपालानी (अमरोहा) : हमारी सेनाओं को क्या पता है कि कौन सदस्य किस दल का है। वे तो यह जानते हैं कि ये संसद् सदस्य हैं। अतः आप जितने चाहें व्यक्ति भेजें, वे संसद् के प्रतिनिधि हैं, वे राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं। इसमें दलों का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा) : नामों की घोषणा करने का कोई लाभ नहीं है। आप जिसको भी चाहें, भेज दें।

अध्यक्ष महोदय : तब मैं केवल उन्हीं सदस्यों को सूचित कर दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण पश्चिम) : कुछ दिन पूर्व हमने सुना अथवा अखबारों में पढा कि एक राजनीतिक दल के एक प्रमुख नेता को अग्रिम क्षेत्रों का दौरा करने के लिये भेजा गया। मैं अनुरोध करता हूं कि संसद्-सदस्यों के इस दल को वास्तव में अग्रिम क्षेत्रों तक ले जाया जाये न कि अमृतसर से ही वापस ले आया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : क्या गैर-कांग्रेसी सिख सदस्यों को इस दल में शामिल नहीं किया जायगा ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar) : Our representative of Haryana should also be sent.

अध्यक्ष महोदय : इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। मैं 12 सदस्यों को मनोनीत करके उन्हें सूचित कर दूंगा। 12 सदस्यों से अधिक के लिये व्यवस्था नहीं हो सकती।

Shri Achal Singh (Agra) : Members should take some gifts to offer to jawans.

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद कार्य मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : आपकी अनुमति से, मैं यह बताना चाहता हूं कि 22 सितम्बर, 1965 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये इस सभा का सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :—

(1) आज के सरकारी कार्यक्रम की किसी अवशिष्ट मद पर विचार।

(2) निम्न विधेयकों पर विचार तथा पास करना :—

भारतीय प्रतिरक्षा निर्माण कार्य (संशोधन) विधेयक, 1965।

न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 1964।

गोवा, दमण और दीव (सिविल प्रक्रिया संहिता और मध्यस्थता अधिनियम को लागू करना) विधेयक, 1965, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

प्रेस काउन्सिल विधेयक, 1965 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1965 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(3) भारतीय नारियल समिति और भारतीय तिलदन समिति के विघटन का प्रस्ताव करने वाले संकल्पों पर चर्चा।

(4) निम्न विधेयकों पर विचार तथा पास करना :—

जन्म तथा मृत्यु का पंजीयन विधेयक, 1964, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 1965।

(5) रासायनिक उर्वरकों के सम्भरण तथा उत्पादन के बारे में पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री के वक्तव्य पर जो कि 27 अगस्त, 1965 को सभा की पटल पर रक्खा गया था, श्री पें० वेंकटासुब्बया तथा अन्य सदस्यों के प्रस्ताव पर बुधवार 22 सितम्बर को 2 बजे म० प० चर्चा।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : The Minister of Parliamentary Affairs has not said about backward classes. Whenever the matter is taken up, at least 15 hours should be allotted for the discussion.

श्री रंगा (चित्तूर) : बैठक का समय 10 बजे म० पू० से 4 बजे म० प० तक का बहुत अच्छा और सुविधाजनक है। अत: मेरा सुझाव है कि आप अगले सत्र के लिये भी यही समय जारी रखने की वांछनीयता पर गंभीरता पर विचार करें।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैंने चार बातें कहनी हैं। पहली तो यह कि उन चार मंत्रालयों की मांगों पर विचार नहीं हो सकेगा जिन पर इस सत्र में विचार के लिये आपने आश्वासन दिया था।

दूसरे, पिछले शुक्रवार को मैंने सुझाव दिया था कि इस सत्र में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार किया जाये। मैं नहीं समझता कि इस सूची में उसको शामिल किया गया है।

तीसरे, आपने आश्वासन दिया था कि आप इस मामले की जांच करायेंगे कि नई दिल्ली की सेंट्रल जेल से एक पत्र को लोक-सभा सचिवालय पहुंचने में पांच दिन कैसे लगे।

चौथे, संसद् कार्य मंत्रीने पिछले शुक्रवार को कहा था कि सत्र की अवधि बढाई नहीं जाएगी। मैं उनसे यह प्रार्थना करता हूं कि वह प्रधान मंत्री और अन्य साथियों से विचार कर के यह सुनिश्चित करें कि अन्त: सत्र अवधि में युद्ध की स्थिति के बारे में विरोधी दलों के सदस्यों से सम्पर्क बनाए रखा जाएगा और उनसे परामर्श किये बगैर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : चीन की धमकी के बाद यह आवश्यक हो गया है कि वैदेशिक मामलों पर विचार किया जाय। इसके लिये एक दिन नियत किया जाय। हम केवल इसके राजनीतिक पहलू पर विचार करना चाहते हैं और यह पता लगाना चाहते हैं कि क्या इसका कोई राजनीतिक हल निकल सकता है या नहीं।

दूसरे, सभा की कार्यवाही एक सप्ताह तक या पन्द्रह दिनों तक चलती रहे। यदि धन का प्रश्न है तो मेरा सुझाव है कि सदस्य दैनिक भत्ता न लें। लेकिन हमें यहां रहना चाहिए।

तीसरे, हम मूल्यों पर चर्चा नहीं कर रहे है। हमें आश्वासन दिया गया था कि खाद्यान्न के मूल्यों के बारे में सरकार इस बारे में कदम उठाएगी कि कुछ जमाखोर और चोर बाजारिये स्थिति से लाभ न उठाएं और मूल्य न बढाएं। यदि विचार संभव नहीं है तो इस बारे में एक वक्तव्य दिया जाए कि सरकार इन बारे में क्या कदम उठाएगी।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : पाकिस्तान और चीन के साथ अपने चिन्ताजनक सम्बन्धों को देखते हुए समझ में नहीं आता कि सरकार 24 तारीख को संसद् का अधिवेशन अनिश्चित काल के लिये कैसे स्थगित कर रही है। अत: यह बडा आवश्यक है कि इस पर प्रधान मंत्री जी कोई निश्चित निर्णय करें।

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमन्द) : यदि सभा को 24 तारीख को ही स्थगित किया जाना है तो अन्त: सत्र अवधि बहुत थोडी होनी चाहिये। सभी की बैठक शीघ्र बुलाई जाये न कि 1-1/2 महीने बाद। यदि सभा स्थगित नहीं की जाती है तो बडा अच्छा है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : पिछले सप्ताह सभा स्थगित करने के बारे में जो घोषणा की गयी थी, आज स्थिति उससे बिल्कुल भिन्न है। चीन की चुनौती एक टाइम-बम है। इससे स्थिति और भी गंभीर हो गयी है। अत: इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाये। मैं सभा की बैठक जारी रखना इसलिये चाहता हूं कि हम यहां पर उपस्थित रह सकें। यह बडा अच्छा हो कि ठीक निर्णय किये जायें और उनको देश का पूरा समर्थन मिले।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : In view of Indo-Pak conflict and the ultimatum of China, the sittings of the House should be continue.

Secondly, a discussion should also be held on the Indo-Pak conflict and relations. There has not so far been any discussion regarding war between India and Pakistan and threat from China.

श्री भागवत झा आज़ाद (भागलपुर) : इस सभा की बैठकें जारी रहने दी जाएं। सारी सभा इस बात का समर्थन करती है।

यह कहा गया है कि सदस्यों को अपने निर्वाचन-क्षेत्रों में जाना है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हममें से कुछ हमेशा अपने निर्वाचन-क्षेत्रों में जाते रहते हैं। दूसरे आप सदस्यों को सीमान्त क्षत्रों में भी भेज रहे हैं। इसमें कुछ समय लगेगा। शायद यह काम पन्द्रह दिन तक चलता रहे। यह आवश्यक नहीं कि सभी 700 सदस्य यहां रहें लेकिन यहां पर बैठी संसद् का, जो राष्ट्र को प्रतिनिधि है, समर्थन बडा शक्तिशाली समर्थन है। अत:यह आवश्यक है कि यह संसद् चलती रहे।

दूसरे मैं पहले भी यह कह चुका हूं कि 'ग्रेट ब्रिटेन' द्वारा समय समय पर बिछाए जा रहे जाल के बारे में इस सभा में विचार करने का अवसर दिया जाये। अत: इस बारे में विचार के लिये समय दिया जाना चाहिये।

श्री कर्णी सिंहजी (बीकानेर) : मैं प्रार्थना करता हूं कि संसद् का अधिवेशन आपातकाल में चालू रहे। 1962 में भी चीनी आक्रमण के समय प्रतिपक्षी सदस्यों के अनुरोध पर संसद का अधिवेशन एक सप्ताह के लिये बढा दिया गया था। यदि इसमें अतिरिक्त व्यय का प्रश्न है तो मुझे विश्वास है कि इस सभा के सदस्य इस अवधि में कम पैसा ले लेंगे।

यह सच है कि सरकार दृढ है और हमारा उसमें पूरा विश्वास है। लेकिन सरकार और संसद की मिल कर और भी दृढ आवाज हो सकती है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : इस सभा में जो कार्यवाही हुई है उससे सेना का और राष्ट्र का मनोबल ऊंचा हुआ है। अत: इस नाजुक समय में संसद् का महत्व समझा जाये और जब तक लडाई चलती रहे तब तक संसद् का अधिवेशन जारी रहना चाहिये। इस कठिन स्थिति में एक बात यह भी है कि चीन भी मैदान में कूदना चाहता है और इस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिये और सभा को स्थगित नहीं करना चाहिए।

श्री जी० भ० कृपलानी (अमरोहा) : मैं तो यह कहूंगा कि हम दिल्ली में रहें। हर रोज की बैठक से सरकार के काम में बाधा पडती है। जब आप या सरकार उचित समझें, बैठक बुला लें।

इस अन्त: सत्र अवधि में, इस सत्र की समाप्ति से अगला सत्र आरम्भ होने तक, हमें भत्ता नहीं लेना चाहिए।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : यदि संसद् का सत्र चालू रहता है तो इससे सरकार को नैतिक समर्थन मिलता है और बाज दफा उनका पथ-प्रदर्शन भी होता है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि इससे सरकार के रोजमर्रा के काम में बाधा भी पड सकती है।

जहां तक दैनिक भत्ता छोडने का सम्बन्ध है, ऐसे भी बहुत से सदस्य हैं जिनका निर्वाह इस भत्ते से ही होता है। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : I submit that if our Parliament continues, it will boost moral of our people and it will have effect on Pakistan. Parliament should continue to be in Session as long as this fighting continues.

Shri G. S. Musafir (Amritsar) : Mr. Speaker Sir, the House should be adjourned as soon as possible and it should not be continued in any case. We should have confidence in our Government. If Govt. want they can consult opposition members. If necessary, the meeting can be summoned at any time.

It will have good effects on Pakistan only when she will see that all members are busy in serious matters than in Session.

At this time the necessity is that Members of Parliament meet people of border areas and boost their moral and give their opinion to the Government after assessing the situation. They can send their opinion even if the Parliament is not in Session.

श्री सत्य नारायण सिंह : इस समय इस सत्र की अवधि बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। यदि कोई महत्वपूर्ण बात हुई तो उसके बारे में प्रतिपक्षी दलों को सूचित कर दिया जायगा। सभी बातों को प्रधान मंत्री और सरकार के समक्ष रख दिया जायेगा और जैसा निर्णय होगा उसकी सूचना दे दी जायेगी।

इलायची विधेयक—जारी

CARDAMOM BILL—*Contd.*

श्री मा० ल० जाधव (मालेगांव) : इलायची के उत्पादन को बढ़ाने के लिये छोटे किसानों को वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता और उर्वरक आदि दिये जाने चाहिये। इलायची की फसल को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिये अनुसन्धान कार्य किया जाना चाहिये और खेती की लागत में कमी करने पर विचार किया जाना चाहिये।

थोड़ी मात्रा में उपज करने वालों की सहकारी समितियां बनाई जानी चाहिये ताकि वे बड़े पैमाने पर पैदा करनेवालों से प्रतिस्पर्धा कर सकें और उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके। बिचोलिये व्यापारियों को इस व्यापार से निकाल कर उनका काम इन समितियों को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। यदि कभी इलायची की कीमतें गिर जायें तो सरकार को मूल्यों को स्थिर करने में सहायता देनी चाहिये। इलायची के उत्पादन में भारत का संसार में एकाधिकार है और हमें इस एकाधिकार को बनाये रखने में प्रयत्नशील रहना चाहिये।

इलायची से जो वस्तुएं बनाई जा सकती है, जैसा कि सेंट आदि, उनके बनाने पर भी विचार किया जाना चाहिये ताकि उत्पादकों को और अधिक लाभ हो सके।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : मेरे माननीय मित्र श्री वारियर ने कहा कि इलायची के दाम गिरते जा रहे हैं। परन्तु वास्तव में आप देखें तो पता लगेगा कि इसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। 1962-63 में इलायची 11,300 प्रति टन की दर से निर्यात की गई थी, 1963-64 में 17,870 रु० प्रति टन की दर से और 1964-65 में 16,000 रु० प्रति टन की दर से यद्यपि 1964-65 में फसल खराब हो जाने के कारण कुछ कम मात्रा निर्यात की गई थी ।

उन्होंने आगे चल कर सुझाव दिया कि सरकार को अगिया घास की तरह इलायची को खरीदना चाहिये। 1962-63 में जब कीमतें गिर गई तो हमने हस्तक्षेप किया और निम्नतम और उच्चतम मूल्य निर्धारित किये। परन्तु अब चूंकि कीमतें निर्धारित मूल्यों से काफी बढ़ी हुई है इसलिये सरकार को दखल देने की ज़रूरत नहीं है।

कुछ माननीय सदस्यों ने इलायची के श्रेणीकरण के लिये कहा। कृषि उपज श्रेणीकरण तथा विपणन अधिनियम, 1937 के अन्तर्गत 30 अप्रैल 1962 को इलायची वर्गीकरण तथा विपणन नियम बनाये गये थे। अब इस 'आग चिन्ह' लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त हमने इसपर किस्म नियन्त्रण अधिनियम लागू कर दिया है। 1 जनवरी, 1963 से इलायची के जहाज़ पर लदान से पूर्व उसका निरीक्षण किया जाता है।

हाल ही में जो इलायची प्रतिनिधि मण्डल विदेशों के दौरे पर गया था उसने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि विदेशों में भारतीय इलायची को बहुत बढ़िया समझा जाता है।

श्री वारियर ने कहा कि इलायची पैदा करने वालों में बड़ी प्रतिस्पर्धा है और बढ़ी हुई कीमतों का लाभ उत्पादकों को न हो कर व्यापारियों को होता है। इस संबंध में प्रतिनिधि मण्डल ने सुझाव दिया है कि उत्पादन इलायची निदेशालय और विदेशों में हमारे व्यापार प्रतिनिधियों के सेवाओं से लाभ उठा सकते हैं।

कई माननीय सदस्यों ने इलायची की फसल के रोगों पर अनुसन्धान करने के लिये कहा। काहे (mosaic) नाम की एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं ढूंढा गया है।

हम इस रोग पर अनुसन्धान करवाना चाहते है और इसके लिये किसी विश्वविख्यात विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त करने पर विचार कर रहे हैं।

माननीय सदस्यों ने काश्तकारों को वित्तीय सहायता देने के बारे में भी कहा है। खंड 9 में इलायची की काश्त के तरीकों में सुधार करने के लिये वित्तीय सहायता देने और सहकारी समितियां बनाने का उपबंध किया गया है।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : क्या सरकार इलायची के संबंध में आयात करने वाले देशों से मुंहमांगे दाम लेने की स्थिति में है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : हम ऐसा नहीं कर सकते। यह मांग और संभरण पर आधारित है।

श्री हेडा (निज़ामाबाद) : अधिनियम के अन्तर्गत जो बोर्ड बनाया जायेगा क्या वह कॉफी बोर्ड के तरीके पर काम करेगा ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : कॉफी का देश में बड़े पैमाने पर उपभोग किया जाता है। परन्तु, इलायची को 75 प्रतिशत पैदावार निर्यात की जाती है। इसका स्थानीय उपभोग बहुत कम है इसलिये इसके लिये 'पूलिंग' व्यवस्था की जरुरत मैं नहीं समझता।

श्री मलाइछामी (पेरियाकुलम) : खंड 9(घ) के अन्तर्गत सरकार इलायची के विक्रय और निर्यात को विनियमित करना चाहती है। वे क्या उपाय है जिनके द्वारा सरकार इलायची के विक्रय को विनियमित करना चाहती है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें इसपर विचार करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संघ के नियन्त्रण के अधीन इलायची उद्योग के विकास के लिये व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। /*The motion was adopted.*

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंड वार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। /*The motion was adopted.*

खंड 2 विधेयक में जोड दिया गया /*Clause 2 was added to the Bill.*

खंड 3 विधेयक में जोड दिया गया / *Clause 3 was added to the Bill.*

अध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 4 को लेते हैं।

श्री मणियंगाडन (कोट्टयम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4,—पंक्ति 24 के पश्चात, निम्नलिखित रखा जाय—

"(6) The Board shall elect from among its members a Vice-Chairman who shall exercise such of the powers, and perform such of the functions of the Chairman as may be prescribed or as may be delegated to him by the Chairman."

"(6) बोर्ड अपने सदस्यों में से एक उप-सभापती को चुनेगा, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों को निभायेगा जो कि निर्धारित किये जायें अथवा जो सभापती द्वारा उसको सौंपे जायें।"

श्री सें० वें० रामस्वामी : मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 4,—पंक्ति 24 के पश्चात, निम्नलिखित रखा जाय—

"(6) The Board shall elect from among its members a Vice-Chairman who shall exercise such of the powers, and perform such of the functions of the Chairman as may be prescribed or as may be delegated to him by the Chairman."

"(6) बोर्ड अपने सदस्यों में से एक उप-सभापटी को चुनेगा जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों को निभायेगा जो कि निर्धारित किये जायें अथवा जो सभापति द्वारा उसको सौंपे जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4, संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खंड 4, संशोधित रुप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause* 4, *as amended, was added to the Bill.*

अध्यक्ष महोदय : खंड पांच के संबध में एक सरकारी संशोधन है।

श्री सें० वें० रामस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 26,—

"Section 9" ["धारा 9"] के स्थान पर "Section 8" ["धारा 8"] रखा जाय ।

श्रीमन् एक छोटा सा संशोधन और है, उसे भी इसके साथ कर लिया जाये ।

"invalidated merely" ["केवल अमान्य कृत"] के पश्चात "by" (द्वारा) जोड़ दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 4, पंक्ति 26,—

"Section 9" ["धारा 9"] के स्थान पर "Section 8" ["धारा 8"] रखिये ।

(ii) "invalidated merely"["केवल अमान्य कृत"]के पश्चात "by" (द्वारा) जोड़ दिया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause* 5, *as amended, was added to the Bill.*

खंड 6 विधेयक में जोड दिया गया ।/*Clause* 6 *was added to the Bill.*

खंड 7

अध्यक्ष महोदय : खंड 7 पर एक सरकारी संशोधन है ।

संशोधन किया गया ।/*Amendment made.*

पृष्ठ 5, पंक्ति 20,—

"from to time" ["से समय तक"] के स्थान पर "from time to time" ["समय समय पर"] रखा जाय (2)

[श्री सें० वें० रामस्वामी]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खंड 7 संशोधित रुप में, विधेयक में जोड दिया गया।/*Clause 7 as amended was added to the Bill.*

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।/*Clause 8 was added to the Bill.*

खण्ड 9

श्री मणियंगाडन : मैं अपना संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूं:

श्री सें० वें० रामस्वामी : मैं इसे स्वीकार करता हूं।

संशोधन किया गया।/*Amendment made.*

पंक्ति 6 के पश्चात निम्नलिखित रखा जाय :

"(jj) undertaking, assisting or encouraging scientific, technological and economic research."

["(जेजे) वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसन्धान आरम्भ करने को सहायता अथवा प्रोत्साहन देना;"](7)

[श्री मणीयंगाडन]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।/*Clause 9, as amended, was added to the Bill.*

खंड 10 से 19 विधेयक में जोड़ दिये गये।/*Clause 10 to 19 were added to the Bill.*

अध्यक्ष महोदय : खंड 20 पर एक सरकारी संशोधन है।

संशोधन किया गया।/*Amendment made.*

पृष्ठ 11, पंक्ति 21,—

"the seizure" ["अभिग्रहण"] के स्थान पर "and the seizure" ["और अभिग्रहण"] रखा जाय।(3)

[श्री सें० वें० रामस्वामी]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 20 संशोधित रुप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खंड 20, संशोधित रूप में विधेयक मे जोड़ दिया गया।/*Clause* 20, *as amended was added to the Bill*

खंड 21 से 33 विधेयक में जोड़ दिये गये। /*Clauses* 21 *to* 33 *were added to the Bill.*

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये। /*Clause* 1, *the Enacting formula and the title were added to the Bill.*

श्री सें० वे० रामस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री हेडा (निजामाबाद) : कॉफी बोर्ड का कृषि के विकास तथा आन्तरिक तथा वैदेशक मंडियों पर प्रभावशाली नियन्त्रण है। माननीय मंत्री ने केवल निर्यात पर ही जोर दिया है। हमें पद नहीं भूलना चाहिये कि देश के भीतर मंडियों में काफी की भारी कमी है।

श्री स० चं० सामन्त : एक ओर तो वस्तु समितियों को समाप्त किया जा रहा है और सम्पूर्ण नियन्त्रण सरकार अपने हाथ में ले रही है। दूसरी ओर हमसे कहा जाता है कि हम एक नये इलायची बोर्ड कि नियुक्ति के लिए, जिसमें उत्पादकों, मजदूरों और सरकार के प्रतिनिधि हों, अपनी स्वीकृति दें; अतः मै जानना चाहता हूं कि इस विधेयक को पारित किये जाने के पश्चात उस बोर्ड का क्या बनेगा।

श्री सें० वे० रामस्वामी : श्री हेडा ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। बोर्ड के गठन के पश्चात उन सब पर विचार किया जायेगा। श्री सामन्त ने जो प्रश्न उठाया है। मैं समझता हूं कि वह खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रुप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

नाविक भविष्य निधि विधेयक

SEAMEN'S PROVIDENT FUND BILL

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नाविकों के लिए भविष्य निधि संस्थित किये जाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[श्री राज बहादूर]

हमारे नाविकों के लिये सामाजिक बीमे का प्रश्न काफी समय से अनिश्चित पड़ा था । 1936 में भारतीय श्रम संगठन न इस संबंध में एक प्रस्ताव स्वीकार किया था । सरकार ने इसके 9 वर्ष बाद समस्त मामले पर विचार करने के लिये एक तदर्थ समिति नियुक्त की। उस समिति की बैठक 4 अगस्त 1945 को हुई। डा० लोरा बदवार तथा बी०पी० अडरकर ने भी इस संबंध में 1945 में अपने प्रतिवेदन दिये। उन्होंने सुझाव दिया कि इसके लिये भर्ती के तरीकों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। 1954-55 में कलकत्ता और बम्बई में नाविक नियोजन कार्यालय स्थापित किया गया।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

4 जुलाई, 1956 को राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं संबंधी एक उपसमिति नियुक्त की। उसने 1959 में अपना प्रतिवेदन दिया। 1964 में राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड ने इसको सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया। कितना लाभ दिया जाये, इस प्रश्न पर कर्मचारियों और मालिकों में कुछ मत भेद था। इसलिये इस प्रश्न पर जांच करने के लिये एक त्रिपक्षीय समिति नियुक्त की गई। नाविकों और जहाज मालिकों ने राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड के इस निर्णय का बहुत स्वागत किया कि उसे नाविकों को समाजिक सुरक्षा देने की बात सिद्धांत रूप मे स्वीकार है।

दोनो पक्ष इस बात पर सहमत हो गये कि सारी योजना को प्रथम जुलाई 1964 से चालू किया जाय। यह बात एक मत से स्वीकार की गयी थी कि अंशदायी भविष्य निधि योजना लागू की जाय और उस निधि से नियोजकों तथा कर्मचारियों दोनों से उनके अंशदान इकट्ठे किये जा रहे हैं। वास्तव में देखा जाय तो यह योजना चालू हो गयी है। अंशदान के दर के बारे में भी सर्व सम्मति से समझौता हो गया था। समझौते की शर्तों के अनुसार 1 अप्रैल 1968 तक अंशदान की दर के बारे में मूल मजूरी के 6 प्रतिशत और तत्पश्चात 8 प्रतिशत की सिफारिश की गयी। आजकल क्योंकि दशमलव प्रणाली चालू हो गयी है, अतः 6 प्रतिशत को लागू करना अधिक सुविधाजनक रहेगा। इसके अतिरिक्त यह भी हम जानते हैं कि विदेशी पोत स्वामियों द्वारा पहली बार एक योजना स्वीकार की जा रही है। मेरा मत यह है कि यह एक बहुत ही अच्छी योजना है। इस तरह की अद्वितीय योजना अभी तक किसी भी देश में लागू नहीं की गयी।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि त्रिपक्षिय सम्मेलन में उन सभी मामलों को जिनके कारण मतभेद उभर सकते थे, बहुत ही मैत्री पूर्ण ढंग से निपटा लिया गया। इसके लिये सभी सम्बधित पक्षो विशेषतः विदेशी जहाज मालिकों को धन्यवाद दिया जाना चाहिये। उनका व्यवहार भी काफी सराहनीय रहा। इसी संदर्भ में जहां तक उपदान का सम्बन्ध है, समझौते के अनुसार 1-1-1954 से प्रत्येक वर्ष में की गयी सेवा के बारे में यह 15 दिन की मूल मजूरी के बराबर होगा। मजूरी के बारे मे यह है कि इसकी दर जिसके आधारपर इसका हिसाब लगाया जाना है, 1 जून 1964 को किसी नाविक द्वारा अर्जित अथवा प्राप्त की गई मजूरी होगी।

मेरा निवेदन यह है कि इस सारी योजना को स्वीकार कर लेने से लगभग 50,000 नाविकों को लाभ होगा। आरम्भ में जहाज मालिकों की वित्तीय बध्दता 10 लाख रूपये के लगभग प्रतिवर्ष होगी। इसके पश्चात यह बढकर अर्थात 1-4-1968 के बाद 84 लाख रुपये हो जायेगी इसमें से अधिकांश राशि विदेशी मुद्रा में होगी। एशिया में प्रथम तथा ब्रिटन को छोड़ कर हमारा राष्ट्र शायद संसार में सबसे आगे है, जिसके नाविकों को यह लाभ पहंचाय जा रहा है। हमारे नाविक इसके प्राग भी है।

यह भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विधेय क के उपबन्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के नमूने पर तैयार किये गये हैं। मुझे यह बात कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि हमारे नाविक अत्यधिक सराहनीय सेवा कर रहे हैं। वे हमारे नागरिकों का एक ऐसा समुदाय है जिनपर हम गर्व कर सकते हैं। आज की आपतकालीन स्थिति में भी उन्होंने देश का साथ देने की दृढ प्रतिज्ञा की है। इससे हमें प्रतिरक्षा कार्यों में काफी सहायता मिलती है। हमारे पत्तनों पर बहुत ही दक्षता से कार्य हो रहा है। अतः मैं सदन से इस विधान पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकता दक्षिण-पूर्व) : जहां तक इस विधेयक के सिद्धांत का सम्बन्ध है मैं उसका स्वागत करता हूं। वैसे मेरे विचार में तो जो लाभ नाविकों को अब दिया जा रहा है वह उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। फिर भी सन्तोष की बात है कि अब उन्हें यह मिल रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रस्तुत विधेयक एक सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विधान है, अतः इसे सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत रखा जा सकता है। मेरे विचार में यह विधेयक उसी मंत्रालय द्वारा लाया जाना चहिए था। हमारे 50,000 नाविकों ने बहुत ही शानदार काम करके दिखाये हैं।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि नाविकों का काम बहुत ही जोखिम वाला काम है। इस प्रकार की जोखिम का सामना भूमि तथा तटवर्ती क्षेत्रपर काम करने वाले मजदूरों को भी नहीं करना पडता। इस के अतिरिक्त यह भी एक ठोस यथार्थ है कि उनके काम का स्वरुप ऐसा है जो उन्हें अपने आम पारिवारिक जीवन से बहुत दूर ले जाता है। वे उस सुख से वंचित हो जाते हैं। इन कारणों के आधार पर हमारे देश के नाविक केवल अन्य श्रमिकों के साथ किये जाने वाला व्यवहार अथवा उन्हें दिये जाने वाले लाभ प्राप्त करने के ही नहीं प्रत्युत वे सचमूच इससे भी कही अधिक सुविधायें प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसी दृष्टि से ही मैं यह आग्रह करता हूं कि उनके साथ विशेष रूप से उदारता पूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिये। यदि इसी दृष्टि-कोण को अपनाकर हम विधेयक पर विचार करें तो हम यह देखेंगे कि हम इन नाविकों के लाभ के लिये जो कुछ भी थोड़ा बहुत उपाय कर रहे है, वह उन्हें बहुत ही देर के बाद उपलब्ध हो रहा है।

भविष्य निधि के लिए जहां तक अंशदान का प्रश्न है, वह उस मजूरी पर आधारित है जो अंशदान कर्ता अर्जित करता है। हमें यह बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि भारतीय नाविक को आज भी विदेशी जहाज में काम करने वाले समान पद वाले नाविकों की अपेक्षा सब से कम वेतन दिया जाता है। लगभग बीस वर्ष की बात है; एक ऐसी सिफारिश की गयी थी कि किसी नाविक की न्यूनतम मजूरी 16 पौंड प्रतिमास होनी चाहिए। इस अवधि के बाद भी हम जो मजूरी बढ़ा रहे हैं, उसके बाद भारतीय नाविक की मजूरी 14 पौंड 6 शिलिंग होगी। कितनी आश्चर्य की बात है।

ब्रिटिश नाविक को इस समय 60 पौंड प्रति मास वेतन मिल रहा है। इसलिए, इस आधार पर इन सुरक्षा लाभों की गणना करना बहुत कम है। इसके पश्चात् विधेयक में संशोधन करके भविष्य निधि अंशदानों का गणना करने के संबंध में समयोपरि भत्ते को विशेष रूप से मजूरी से अलग निकाल दिया जा रहा है। समयोपरि भत्ते के मामले में भी, जहां तक नाविकों का संबंध है, दरें बहुत कम है। नाविक की परिभाषा में, जैसा कि विधेयक में दी गई है, कई वर्गों को निकाल दिया गया है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। यदि सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करनी है, तो फिर उन वर्गों को अलग क्यों निकाल दिया जा रहा है तथा उससे वंचित किया जा रहा है? माननीय मंत्री महोदय को इन मामलों पर विचार करना चाहिए क्योंकि इससे बहुत असन्तोष फैल रहा है।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं के रूप में नाविकों ने जो कुछ कमाना होता है, वह अन्य श्रमिकों की तुलना में कम समय में कमाना होता है। नाविक भविष्य निधि के सम्बन्ध में अंशदान की दर न केवल अन्य श्रमिकों के समान होनी चाहिये अपितु उनसे अधिक होनी चाहिए। परन्तु विधेयक में उन्हें कुछ कम दिया गया है। भविष्य निधि तथा उपदान की एकीकृत योजना लागू की जानी चाहिए थी और भविष्य निधि के अंशदान की दरें प्रथम प्रक्रम में 8 प्रतिशत और द्वितीय प्रक्रम में दस अथवा बारह प्रतिशत होनी चाहिए थी क्योंकि इस धंदे की विशेषताओं के कारण नाविकों के लिए वृद्धि अवस्था में अल्पराशि के अतिरिक्त निर्वाह के लिए कुछ नहीं रह जायेगा। यथासम्भव शीघ्र, एक उपदान योजना लागू की जानी चाहिए जिससे नाविकों द्वारा की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए कम से कम एक मास के वेतन की व्यवस्था की जा सके। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यदि कोई विदेशी नोपरिवहन कम्पनी विधि का उल्लंघन करे तो दंड कैसे लागू किया जायेगा, तथा दोषी नियोजकों से धन की वसूली कैसे की जायेगी। मुझे आशा करनी चाहिए कि इन दोषों को दूर करने का पूरा प्रयास किया जायेगा और नाविक को उनका हक प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस के बावजूद मेरा ख्याल यह है कि इस विधेयक में कुछ ऐसी बातें है जिन के कारण नाविकों को अपेक्षित लाभ प्राप्त नही हो सकेगा। मैं कुछ ऐसी यथार्थ बातें सदन के समक्ष रखूंगा जो कि मैंने अपने विदेशों के दौरे में देखी हैं। मैंने यह भी अनुभव किया है कि ऐसे भारतीय नाविक बहुत थोड़े ही है जिन्हें मौटे तौर पर इस विधेयक का जिन नाविकों को लाभ पहुंचेगा उनकी संख्या लगभग 50,000 है।

बहुत सीमा तक हमारे अपने जहाजों में नियोजित नाविकों की संख्या बहुत कम है। उन नाविकों की संख्या लगभग 50,000 होगी जिनको इस विधेयक से लाभ होगा। उनमें से बहुसंख्याक नाविक विदेशी जहाज़ों में कार्य कर रहे हैं तथा अन्य देशों के मजदूरों की तुलना में इनको बहुत कम वेतन दिया जाता है। इस बात को समझना कठिन है कि सरकार को विदेशी जहाजी संस्थाओं द्वारा हमारे मजदूरों को शोषण क्यों करने दिया जाना चाहिए। हमारे मजदूरों में एकता से, सरकार द्वारा एक साहसी समर्थन से तथा उन नाविकों की सहायता करके हम कुछ प्राप्त कर सकने में एक अधिक अच्छी स्थिति में होंगे क्योंकि कई जहाजी संस्थायें परिश्रमी तथा बुद्धिमान भारतीयों को रखना चाहते हैं।

हमारे देश में यह बहुत ही सुव्यवस्थित उद्योग है तथा हम बहुत ही अच्छे उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं। फिर भी हमारी सरकार मजदूरों को वह उच्चतम मजूरी नहीं दे रही है जोकि विदेशों में स्थापित ऐसे ही उद्योगों में लगे मजदूरों को दी जाती है। सरकार के आर्थिक कार्य विभाग अथवा योजना आयोग अथवा किसी आयोग को उन कारणों पर विचार करना चाहिए जो इसके लिए उत्तरदायी हैं। भविष्य निधि योजना का स्वागत है। फिर भी चूंकि रुपये का मूल्य बहुत ही कम हो गया है, यह स्पष्ट नहीं है कि इस की दर 8 प्रतिशत के स्थान पर, जो कि कई अन्य भविष्य निधि योजनाओं के मामले में रखी गई है, 6 प्रतिशत ही क्यों होनी चाहिए। यदि हमारी भारतीय फर्में इतनी अधिक दर देने में असमर्थ हैं तो ब्रिटीश तथा अन्य कम्पनियों को, जो भविष्य निधि में अधिक हिस्सा डाल सकती हैं, ऐसा करने दिया जाना चाहिए।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। कुछ भी हो, कुछ तो इस दिशा में किया गया है जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : There is a saying, 'better late than never'. Our Hon. Minister is a man of progressive views, so he has taken the right step in the right direction. We are aware of the deplorable conditions of our seamen. This is a strange thing that the payment of Provident Fund is not being done on the uniform rates. This is matter which the Minister should give serious

consideration. After the Bill has been passed by the house, we will have to consider the question of Bonus. I have not been able to understand the demand for pension, as there is no provision for that in the big factories. But this question of gratuity is very important. It should be given due attention.

I hope that after this Bill is passed, all the suggestions that have been put forward before this house, will be seriously looked into, and on the basis of there suggestions a comprehensive Bill will be presented before the house. This will give some relief to the seamen. The seamen have done wonderful work. They should be given good encouragement so that they may work earnestly. The risk of their life is there, in view of that, I feel 6 or 8 is not sufficient. They should also get some share in the profit.

श्री हिम्मत सिंहका (गौंडा) : नाविकों का काम बड़ा कड़ा है, अतः उन्हें सुविधायें भी दी जानी चाहिए। इस दृष्टि से मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मेरा मत यह है कि अंशदान की दर के बारे में आलोचना करने का कोई लाभ नहीं है। मेरे विचार में अंशदान की दर के बारे में आलोचना करने का कोई लाभ नहीं है। कारण यह है कि यह दर किये गये दर अनुसार है। इसके अतिरिक्त यह बात भी किसी को भूलना नहीं चाहिए कि अधिकतर नियोजक विदेशी कम्पनियां है। उन कम्पनियों पर सरकार का अधिक नियंत्रण नहीं है। उन्हें किसी विशेष योजनाओं को लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कारण, हम जानते हैं कि वे विवेकशील हैं। उन्हें मानना है। इसी प्रकार यदि कोई किसी कम्पनी के रूप में एजेन्ट है तो वह अवैध नहीं है। क्योंकि इस तरह वह खंड 17 (3) के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आ जायेगा। अतः इस सम्बन्ध में कोई भ्रांति नहीं रहनी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि कलकत्ता आसाम की ओर जाने वाले बहुत नाविक विदेशी हैं। वे पाकिस्तानी हैं। सन्देह है कि वे किसी समय भी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं।

अतः यह बड़ी चिन्ता की बात है। उनके स्थानपर भारतीय नागरिकों को रखने के लिए बहुत जल्दी कदम उठाये जाने चाहिए। अब भी कलकत्ता पत्तन में 12,000 विदेशी हैं और यदि वे हमारे कलकत्ता पत्तन को नष्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इससे हमारे लोगों को काफी रोजगार मिलेगा और हमारी आशंका दूर होगी।

हमारी जहाजरानी का अभी शैशवकाल है। अतः इसे विदेशी देशों के स्तर पर लाने के लिए सभी प्रकार की मदद की आवश्यकता है। हमारी टन क्षमता कुछ अन्य देशों की कुल टन-क्षमता का एक या दो प्रतिशत है। हमें अपनी टन-क्षमता को बढ़ाना होगा और अपने जहाजों पर भारतीय नागरिकों को रखना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

यह बड़ा आवश्यक विधेयक है। निम्न श्रेणी के कर्मचारी चाहे वे रेलवे में हो, विमान कम्पनि में या जहाजरानी में, बड़े दलित स्थिति में हैं। उनका कोई ख्याल नहीं करता और उनकी कोई देखभाल नहीं करता।

पहले नाविकों के साथ कुत्तों का सा व्यवहार किया जाता था। अब भारत सरकार ने कई भारतीय जहाजरानी कम्पनियों को सहायता दी है।

[श्री जोकीम आल्वा]

भारतीय रुपये की क्रय-शक्ति काफी कम हो गयी है। ब्रिटेन के पौंड की क्रय-शक्ति पिछले दस वर्षों की अपेक्षा 80 प्रतिशत है। जापान के येन की क्रय शक्ति 70 प्रतिशत है और फ्रैंक की क्रय-शक्ति 64 प्रतिशत है।

समझ में नहीं आता कि जहाजरानी व्यापार कुछ बड़े धनिकों के ही हाथ में क्यों है। जहाजरानी व्यापार कुछ नये उद्योगपतियों के लिये जिनका व्यापार तथा उद्योग में एकाधिकार नहीं है, रहने दिया जाय। यह उन व्यक्तियों के लिये है जो उनमें कार्य कर रहे हैं।

नाविकों को दी जा रही 8 प्रतिशत भविष्य निधि पर्याप्त नहीं है। यह 10 प्रतिशत तो होनी ही चाहिए। नाविकों के लिए एक अच्छा कमरा और स्नानागार होना चाहिए जिसको वह अपना घर समझ सकें क्योंकि वर्ष में दस महीनों तक उन्हें वहीं रहना पड़ता है।

आज नाविकों की संख्या 50,000 है और एक सौ वर्ष के बाद यह संख्या 10 लाख हो जायगी। तब तक हमारे जहाजों में सैकड़ों गुना वृद्धि हो जायगी। वर्ष 2,000 तक हमारा टन-भार 250 लाख टन हो जाना चाहिए। हमारे पास पनडुब्बियां होनी चाहिए अन्यथा हमारा वाणिज्यिक नौपरीवहन और नौ-सेना को शक्तिशाली पड़ौसी देशों से खतरा होगा।

छोटे पैमाने की जहाज-कम्पनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को संभवतः 25 से 40 रुपये महीना वेतन मिलता है। उनके हितों का भी संरक्षण करना पड़ेगा। इन नाविकों की सेना की शर्तों को सुधारा जाये और विशेषतः जब बेरोजगार हों तो उनकी देखभाल की जाय। विदेशी जहाजरानी कम्पनियां जो सदियों से काफी लाभ कमा रही हैं, उनसे कहा जाय कि वे नाविकों का वेतन दुगुना करें और उनके प्रति न्याय करें। हम भारत के नागरिकों को और नौपरिवहन मंत्रालय को इस प्रकार के प्रस्ताव करने तथा यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि हमारे नाविकों की अच्छी देखभाल की जाये।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 आदि का संशोधन)—जारी

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Articles 1, 2, 3, 4 etc.)—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जाएगा।

अब सभा 3 सितम्बर 1965 को श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :—

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnaur) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, the main object of the Bill is to set up in the country a unitary form of Government instead of federal type of Government.

Fissiparous and separatist tendencies have increased in States and they want to live independently.

After the formation of linguistic States, there has been a demand for redrawing the boundaries of certain States on the basis of religion and caste.

There are disputes between two States on petty matters and sometimes much things assume serious dimensions.

There is an undesirable spectacle of a particular group in a State to stick to power at any cost which proves harmful to the unity of the nation. Take for example the case of Uttar Pradesh. Not only that, such tendency is prevailing everywhere.

We are united at the time of some foreign attack on us but we become again disunited after the danger is over. The necessity is to be united for all times. We should create such atmosphere here.

The States are spending recklessly; the Central Government or the Union Finance Minister has failed to check it. There is no uniform progress in the country. I want that disputes between States must end. In the absence of some link between Centre and a State, there is inordinate delay in taking decisions on important matters and the people and the country has to suffer.

We made a great mistake in deciding to form States on linguistic basis. Our late Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru had also said once in the other House that by forming States on linguistic basis our integrity will be in danger. Likewise we are again making mistake by making fourteen languages the medium in U.P.S.C.

We should consider as to how a proper atmosphere is created and the country's integrity is safeguarded. The one way to act in this direction is to have a unitary Government so that we have a powerful centre for India as a whole. A structure should be set up under which existing small boundaries of States disappear and the whole country is divided into five zones. The supreme authority should rest in Parliament and the Central Cabinet should run the administration of the whole country. There should be some root of zonal councils or organisations for maintaining the integrity and all powers should be vested in them and a unitary Government should be established.

We should create such atmosphere that all should think with one point of view. Their mode of thinking should be one.

I think that in spite of the different ways of living and the different customs and languages that we have in different parts of India, there is an inseparable bond of cultural unity throughout the country and we have to maintain that unity.

At the time of setting up of States Reorganisation Commission there were 28 States. They suggested that these should be reduced to 16. But today the tendency to seek division of the country in small units is on the increase. Now there are about 25 States. Such tendency should be nipped in the bud in the interest of the unity and integrity of the country.

We should omit the Article in the Constitution regarding Kashmir which has made it almost a show room. For the security of our borders we should set up a strong State comprising of Jammu and Kashmir, Punjab and Himachal Pradesh. If proper time comes, Rajasthan should also be mergered with it. Then no enemy would even dare to cast an evil eye on our territory.

At least matters such as education, which has an important role to play in promoting national unity, must be brought under the direct control of the Central Government.

[Shri Prakash Vir Shastri]

For maintaining the integrity and solidarity of the country a unitary form of Government is very necessary.

I do not insist that my proposals should be accepted in toto but the principles behind the proposals should be accepted.

There are certain surplus States in regard to food production but they give foodgrains to their neighbouring deficit States at high prices. So the whole matter needs to be considered with the prevailing atmosphere so that Centre is strong and the central administration is more effective.

In the present emergency the Central Government have taken over rights of States. So why this necessity arose. Because the Central Government thinks that they should have more powers in comparison to States. I want that some permanent provision is made in this respect. That is the object of my Bill. The only way is to set up a unitary form of Government instead of federal type of Government.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री च० का भट्टाचार्य (रायगंज) : इस विधेयक पर एक सैद्धांतिक अध्ययन के रूप में विचार किया जाना चाहिए हालांकि इससे बहुत से व्यक्तियों को, जो पिछले 18 वर्षों में संघीय शासन प्रणाली के आदी हो गये हैं, धक्का लगेगा। इस पर विचार अवश्य किया जाना चाहिए।

भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पता चलता है कि भारत ने एकात्मक शासन के अधीन सदा उन्नति की है। सम्राट चन्द्रगुप्त के समय, सम्राट अशोक के समय, समुद्रगुप्त के समय और हर्षवर्धन के समय में एकात्मक शासन ही था। मुगल और पठान युग में भी अकबर का समय सबसे अच्छा माना जाता है और तब एकात्मक शासन प्रणाली ही थी। ब्रिटीश काल में भी उन्होंने यहां पर एकात्मक सरकर स्थापित करने का प्रयत्न किया था।

वर्तमान संविधान बनाने का कार्य भारत सरकार अधिनियम 1935 के साथ आरम्भ हुआ था जब इस पर गोलमेज सम्मेलन में चर्चा तथा बहस की जा रही थी। वास्तव में मैं तो यह कह सकता हूं कि कांग्रेस ने भी इस संघीय ढांचे को अनिच्छा से स्वीकार किया था। संघीय ढांचे का एक महत्व सारभूत एककों का स्वतंत्र अथवा अर्धस्वतंत्र होना है। जब गांधीजी गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने गये थे तो कार्यकारिणी समिति ने उन्हें निदेश दिया था कि अवशिष्ट शक्तियां सारभूत एककों में विहित होंगी। लेकिन यह निदेश मुस्लिम लीग के दबाव में दिया गया था। लेकिन जब हमारा संविधान बनाया गया तो संबिधान सभा ने कार्यकारीणी समिति के निदेशों को नहीं माना और निदेश दिया कि अवशिष्ट शक्तियां केन्द्र में विहित होंगी न कि राज्यों में। अर्थात् जब हमें अपना संविधान बनाने का अवसर मिला तो हमने उस समय की परिस्थितियों और वचनों के अनुसार यथा-संभव एकात्मक सरकार बनाने का प्रयत्न किया था।

संविधान के स्वीकार किये जाने के बाद माननीय श्रीनिवास शास्त्री ने "सर्वेंटस ऑफ इण्डिया सोसायटी" के एक समाचर पत्र में एक लेख में लिखा कि ब्रिटिश शासन में हमने जो एकता बनाई थी अब हम उसको तोड़ रहे हैं।

खैर हमने संघीय संविधान को स्वीकार कर लिया है और हमने 18-20 वर्षों से यह लागू है। यह आवश्यक नहीं कि श्री शास्त्री जी की सभी बातें मान ली जायें लेकिन भारत की पृष्ठभूमि को देखते हुए और व्यावहारिक आवश्यकताओं को देखते हुए भारत में एकात्मक सरकार की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार अवश्य किया जाना चाहिए चाहे वह सैद्धांतिक अध्ययन के रूप में ही हो।

Shri Bade (Khargon) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I support this Bill which is very timely.

In our Constitution it is mentioned that "India, that is Bharat, shall be a Union of States". We have seen that within three years there was Andhra Pradesh and there were border disputes between States. The Constitution was amended 17-18 times but I want to ask whether India would flourish under unitary form of Government, Federal Government or under Government of States ?

The Britishers enforced the Government of India Act, 1935 under which federal form of Government was established in India. The Princely States were soverign in name but in actual practice there was paramountcy of the British Crown.

We enacted our constitution. We have borrowed many things from other constitutions. We have not considered about our own needs and conditions. We had visualised a united India after independence. It is a pity that we have not been able to achieve that goal. We find quarrels and disputes between different States. The separatist tendencies are raising their heads in all sides of our country. We turned out the foreign rulers. Our purpose was to make the whole of India a united nation.

The States Reorganisation Commission had done grave injustice to the State of Madhya Pradesh. It is a very unweildly State. Then the feeling of provincialism is there. This is very bad. We find that even ministers have this kind of feeling. They work for the welfare of only that State to which they belong. Such tendency should be discarded forthwith. It is very harmful for the country.

These things prove that federal type of Government is not suitable for our country. This thing was realised by the Government and all India administrative services were set up to bring about some sort of uniformity in the administration. In this way Central Government is able to interfere in the working of States's administration. There have come to notice many disputes between different States. On the question of distribution of food various zones have been formed. I cannot understand the usefulness of this system. This system is the cause of dispute between States.

In order to curb these fissiparous and separatist tendencies we should have a unitary form of Government in our country. It will be useful from the economic and political point of view.

We have a large number of States in our country. There are hundreds of M.L.As in each State, then there are ministers in quite good number. Under the present system they are a great burden on the States' exchequer. I feel that there should not be any State legislatures and the entire work should be done by Parliament. By this way money can be saved and utilized for other projects. There will be a feeling of oneness in the whole country and a sense of unity will spread.

At present State Governments do not pay proper care to the orders issued by Central Government. If unitary system of Government is enforced there will be more efficiency and this disintegration will disappear. I support this Bill.

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh) : I appreciate the idea behind this Bill, but I am sorry to say that the remedy suggested by this Bill is not good. Everyone wants that fissiparous tendencies should be put an end to.

[Shrimati Tarkeshwari Sinha]

A constitution is framed on certain basis. It represents the aspiration of a nation and gives a glimpse of future shape of its position. We have prepared our constitution after taking into consideration various aspects. We have taken good things from other constitutions. We took all that was good in other countries' constitutions for our country. It is on account of this Constitution that we have been able to make this progress.

We should think over the causes of present unrest in the country. It is due to lack of understanding on our part. We have not been able to lay down healthy convention. It is not the fault of our Constitution.

I do not see any justification in having a unitary type of Government. There are so many large countries where federal type is working very efficiently.

It is the beauty of our country that we have unity in diversity here. In pre-independence days we had thought of a united and prosperous India. All these ideals are enshrined in our Constitution, but unfortunately we have not been to put these ideals into practice. It is our fault. I am proud of my party, which has been doing excellent work.

I am constrained to say that our Government has not been able to accept the recommendations of various commissions appointed by it. Government has been brought under pressure to make changes in the recommednations of Commissions. It was weakness of Government. It was not weakness of the Constitution. Had our Government been strong, such tendencies would not have arisen at all.

A question about food distribution was raised here. I feel that the cause of this is the zonal scheme. The Chief Ministers of States should not have been given powers in this respect. Parliament should have more control on this. Some States are in favour of zonal scheme while others are against it. The hon. Minister of Food should consider this aspect of the problem.

A separate bench of Supreme Court should be established to decide the disputes arising between various States. Similarly a Commission should be set up to decide the disputes of financial nature.

Shri Gauri Shankar Kakkar (Fatehpur) : I support the Bill brought forward by Shri Prakash Vir Shastri. It, if accepted, would strengthen the country and bring about unity. The present state of affairs in our country is very sad. We do not have a national outlook on various national problems. People think from sectarian point of view. States have ill-will against other States.

We had to amend our Constitution 17 or 18 times in these eighteen years. It is because we have not been able reconcile ourselves to national issues equitably. State Government do not agree to the proposals put forward by Central Government.

This state of affairs is there when same party is ruling in the Centre and States. If things changed, we cannot say what will happen. During emergency Centre can take up matters contained in the State list. I do not know if Central Government has done any such thing during present emergency. As there is the same party ruling in the Centre and in States there is tendency in States to overlook the orders of Central Government. The State Governments pay very scant respect to the advice tendered by the Centre. On the question of food distribution this thing has come to light. The Central Government has been showing weakness.

I feel that the Centre should be more powerful. If you want prosperity and efficiency, if you want to implement the plans successfully, you should have a unitary form of Government in the country. This Bill should be accepted.

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga) : This aspect of the Constitution was fully considered at the time of framing our Constitution. We had taken into consideration the various problems of our country. The Constituent Assembly was constituted from amongst the people belonging to all shades of public opinion. The constitution was framed and Centre was given more powers. It can check all separatist tendencies.

Ours is a very big country. It is a natural thing in such a country that problems like language and other should crop up. I have great regard for the feelings of my hon. friend, but I feel that it would not be practicable to administer this big country through one Parliament.

We have given limited powers to States. We have already made this divisions of powers in such a way that the Central Government is more powerful. We have not copied either America or Australia. We have formed a union of States. We have made provisions that during emergency Parliament can make all types of laws. In this way war effort will not slacken.

The framers of our Constitution discarded all the evils that are present in a federal Constitution and retained its good things only.

In a vast country like ours unitary form of Government was bound to take the shape of dictatorship. Under our Constitution Central Government can assume the powers of unitary type, if the situation so demands.

The disputes which come up between different States are generally of temporary nature. These minor things should not compel us to make drastic changes in our Constitution. It would be against our democratic outlook. We enforced our Constitution about 15 years ago. It is a short period in the history of our Constitution. I do not agree with hon. Member who has brought forward this Bill.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I agree with Shri Prakash Vir Shastri that there should not any nomination for Lok Sabha. All of its members should be elected ones. We should not forget that part of India which has been named as Pakistan. Congress members should remember this. We had rejected the two nation theory.

We should think over the question of uniting India again. There are many hurdles on the way of this goal. The main impediment is the military arrogance of Pakistan. Now we have been compelled to take up arms against its aggression. We should crush this arrogance of Pakistan. The people of Pakistan will welcome the idea of unity with India. We should finish the military haughtiness of rulers of Pakistan once for all. We should smash their military might. We should not stop defensive action till the moment the ceasefire is enforced. We should pay to China in its own coin if it attacks India. If we fail to get help from America or Russia, we should fight with our own resources.

We should try to foster unity between different communities of India. Hindus and Muslims should forget their differences. This can help in uniting India and Pakistan.

[Dr. Ram Manohar Lohia]

General Chaudhari and Air Marshal Arjan Singh have done their work remarkably well. They deserve all praise. The Prime Minister should have done this.

We should occupy cities of Pakistan and feed the population of those cities.

[श्री सोनवने पीठासीन हुए
SHRI SONAVANE *in the Chair*]

श्री दी० चं० शर्मा (गुरुदासपुर) : इस विधेयक का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए। हम अपने देश में जातपात को समाप्त करना चाहते है। देश में प्रान्तीयता की भावना जोर पकड़ती जा रही है। यह बड़े खेद की बात है। हमें पूरे राष्ट्र के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए।

एक सरल सीधे तथा निर्दोष अलीगढ़ मुल्लीम विश्वविद्यालय विधेयक को हाल ही में साम्प्रदायिकता को जो रंग दिया गया, इससे स्पष्ट है कि साम्प्रदायिकता ने पुनः अपना सिर उठाया है। खेद है कि पिछले 18 वर्षों के इतने दीर्घ समय में हम जनता के मनों में राष्ट्रीयता तथा सत्यनिष्ठा की भावना नहीं भर सके हैं। राष्ट्रीय एकता की भावना हमारे प्रत्येक नागरिक के मन में होनी चाहिए जिस की प्रेरणा से न केवल हम सब कार्य ही करें परन्तु उस भावना का हमारे विचारों पर भी गहरा प्रभाव पड़ना चाहिए जिससे साम्प्रदायिकता के लिए हमारे हृदयों में कोई स्थान न रहे। परन्तु इस के विपरित नदी पानी के उपयोग तथा राज्य की सीमाओं के बारे में छोटे छोटे झगडों को उठाकर अपने देश की एकता को हम स्वयं मिट्टी में मिला रहें हैं। आज लोग हमारी इन गतिविधियों पर खिली थट्टा करते हैं। एक ओर तो एकता के नारे लगाये जाते हैं और दूसरी ओर विभिन्न राज्य अपने अपने छोटे मोटे झगड़ों में उलझें हुए हैं। हां मैं जानता हूं कि इस समय हमने राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता को बनाये रखने के लिये एक आन्दोलन चला रखा है। निःसन्देह आपात ने हमें आज एकता के एक सूत्र में बाँध दिया है और इससे हम एक दूसरे के और अधिक निकट आ गये हैं। किन्तु भारत की एकता केवल संकट के समय ही पैदा नही की जानी चाहिए। इसे हमारे जीवन को योजना, दैनिक विचारों तथा सामान्य व्यवहार का अंग बन जाना चाहिए। मेरे विचार में विधि मंत्री को कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे फूट डालने वाली प्रवृतियों को अन्त हो जाये तथा एकता लाने वारी प्रवृतियों को प्रोत्साहन मिले।

मैं यह चाहता हूं कि इस समस्या का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाना चाहिए और ऐसे उपाय किये जाने चाहिए जिससे वह मनोवृत्तियां नष्ट हो जायें जो हमें एकाता से दूर ले जाती हैं। यदि सरकार इस तरह का अध्ययन आरम्भ कर देगी तो विधेयक के प्रस्तावक का उद्देश्य पूरा हो जायेगा।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I congratulate the mover who has brought this bill. Because it is the time when the unity of India is to be maintained at any cost. To achieve this end it is essential that the Centre should be strong and the should be only one State and all other States should be done away with. Such countries that have immense wealth, can afford to have such a federal structure consisting of a number of States. The situation created by Pakistan aggression can only be met by the Centre and not by States individually.

Moreover there is no coordination between the Centre and the States. The members of the ruling party in each State are fighting among themselves to achieve their personal ends. The result is that there has been no increase in production either in fields or in factories. In view of this and the danger posed by Pakistan and China we must remain united to face it. The problem between India and Pakistan can only be solved by uniting both India and Pakistan and having one Government in India. What to talk of people's unity even there is

no unity among the members of Congress party itself. If we had not wasted our energies in propagating Panch Sheel and in partison, we would have emassed enough power to be a detterent and China could not have the courage to cross the borders and thus humiliate us. But today we are a dejected nation and if we want to regain our lost territory we will have to make the Centre strong and not waste our energies on triffling matters as are going on in various States. So long as a befitting reply is not given to Pakistan we cannot take rest. It is true that there should be Panch Sheel and other good things but in the context of today's world, only those can survive who are fit for survival. Because the problem created by our neighbours cannot be solved by making parliamentary speeches and by raising slogans but we will have to make India strong and we will have to adopt the policy of blood and iron. We will have to adopt the policy of murder for murder; tit for a tat; and injury for injury and then and only then we would be able to survive. The result of the efforts so far made by Government during the last 18 years was defeat for India. We will have to review and revise our foreign policy. Because the policy of Panch Sheel and peace so far followed by us has failed us. We will not be able to protect our country from foreign invaders by following the policy of non-alignment. For this, we will have to manufacture atom bomb and prepare our nation to face the enemies. When we were singing the songs of peace and wasting a lot of public money on cultural programmes, tne other nations were preparing for war. We should, therefore, learn a lesson from it and even prepare our children, who are going to protect us in future, strong enough to face this menace.

I would request the hon. Member who has moved this bill not to withdraw it whatever the pressure be put on him to do so.

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur) : During the British regime the military form of Government functioned in the country. When our Constitution came into force in 1950, we adopted the federal form of Government. On the basis of our federal Government we entrusted the work relating to the implementation of directive principles to the States, and the result was that the directive principles have not so far been implemented.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

In the directive principles it was laid down that every boy in India should at least receive education up to the primary standard and this work was left to the States. But what is the position today ? The Centre is giving grants and yet the illiteracy has not been removed from the country. Similar is the case with prohibition. It is increasing day by day.

During the First World War the navy crew of Britain requested Lloyd George, Chancellor of Exchequer to save them from wine as it was doing more damage to them than the wine. Lloyd George increased the rate of tax on wine considerably. George V declared that he would not take wine so long as the war continued. Our Government have entrusted the work of Prohibition to the States. The States are most reluctant to enforce prohibition as the consideration of revenue weighs more heavily with them.

[Shri Sinhasan Singh]

Education has been made a State subject. The University Grants Commission gives assistance to the States regarding education on a fifty-fifty basis. The States are not able to raise the matching amount and the result is that the money given by the Centre is not utilised. Similarly the subject of food is not dealt with on a country wide basis.

The conditions as at present demand that this Bill should be circulated for eliciting opinion thereon and then we should reconsider it. I think that as a step towards unitary form of Government we should have zonal system and do away with the States.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

Today the States are having conflicts with each other on the trivial issues of river waters etc. Some arrangements should be made to curb these evil tendencies.

चीन के पत्र के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : CHINESE NOTE

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लालबहादूर शास्त्री) : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि आज सुबह चीन सरकार से एक पत्र मिला है जिसमें यह मांग की गई है कि हमें 3 दिन के अन्दर अन्दर अपने सैनिक प्रतिष्ठानों को समाप्त कर देना चाहिए जो कि उनके कहने के अनुसार उनकी सीमा में स्थित हैं। पत्र के संबंधित भाग को सभा की जानकारी के लिए पढ कर सुनाता हूं यद्यपि मैं इसको और इस पत्र पर हमारे उत्तर को सभा पटल पर रख दूंगा।

1962 में युद्धविराम के बाद से भारत ने 300 से अधिक सीमा उल्लंघन किये हैं। चीन सरकार ने बार बार शिकायत की है और तथ्यों को झुठलाया नहीं जा सकता। चीन सरकारने भारत द्वारा चीन की ओर अवैध सैनिक प्रतिष्ठानों के निर्माण के संबंध में चार बार संयुक्त जांच का सुझाव दिया है, परन्तु भारत सरकारने हर बार इस सुझाव को ठुकराया है। अब भारत सरकार यह बहाना लगाती है कि केवल एक स्वतंत्र तथा तटस्थ प्रेक्षक को ही इसकी जांच करनी चाहिए। और भी भारत सरकार को यह कहते शर्म नहीं आती कि भारतीय सैनिकों ने सिक्किम-चीन सीमा को कभी पार नहीं किया और यह कि भारत ने चीन की ओर कोई सैनिक प्रतिष्ठान नहीं बनाया है। यह सफेद झूट है।

"छोटे बड़े सभी प्रतिष्ठानों को मिला कर इस समय ऐसे 56 सैनिक प्रतिष्ठान हैं। चीन सरकार ने भारत सरकार को 13 विरोधपत्र भेजे हैं, परन्तु भारत सरकार ने उनपर कोई ध्यान नहीं दिया है और चीन की प्रभुता और प्रादेशिक अखंडता के लिए उसके मनमें कोई सम्मान नही है। अपनी आक्रमणकारी कार्यवाहीयों को रोकने की बजाये भारत सरकार ने उलटा अपने सैनिकों को चीनी प्रदेश में घुसपैठ करने का आदेश दे दिया है।"

हमने जो उत्तर दिया है, उसके सम्बन्धित अंश मैं पढ़ कर सुनाता हूं।

"चीन सरकार द्वारा भारत पर अक्तूबर-नवम्बर 1962 में अकारण हमले से पहले और इसके बाद भी भारत सरकार भारत-चीन सीमा समस्या को शांति पूर्वक सुलझाने का भरसक प्रयत्न कर रही है।

जैसा कि चीन सरकार को अब तक भेजे गये पत्रों में बताया गया है, भारत सरकार ने अपनी सशस्त्र सेनाओं को कड़ी हिदायतें दे रखी हैं कि वे पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तथा पश्चिमी क्षेत्र में तथा कथित वास्तविक नियन्त्रण की रेखा को पार न करें। बड़ी ध्यानपूर्वक और विस्तृत जांच के पश्चात भारत सरकार इस बात से संतुष्ट है कि भारतीय कर्मचारियों और विमानों ने अपने अनुदेशों का पूरी परह पालन किया है और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा और पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियन्त्रण की रेखा को कभी भी तथा किसी भी स्थान पर पार नही किया है । चीन सरकार के पत्र में जो आरोप लगाये गये हैं वे बिल्कुल निराधार हैं । भारत सरकार इन आरोपों को नहीं मानती है और इस बात को दोहराती है कि वह चीन के पत्र में सीमा के पश्चिमी मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रों में भारतीय प्रदेश पर किये गये दावे को स्वीकार नही करती है । जहां तक काश्मीर तथा वर्तमान भारत-पाकिस्तान विवाद के बारे में चीन के रुख का संबंध है यह और कुछ नहीं बल्कि चीन जानबुझ कर झगडे को बढाना चाहता है और हस्तक्षेप करना चाहता है । "

सितम्बर, 1962 में भारत चीन सीमा के सिक्किम की ओर कुछ प्रतिरक्षा प्रतिष्ठान बनाए गये थे । नवम्बर, 1962 में युद्धविराम के बाद से इन प्रतिष्ठानों पर हमारा कब्जा नहीं है । क्योंकि चीन सरकारने यह आरोप लगाया था कि ये प्रतिष्ठान उनकी ओर हैं, भारत सरकार ने अपने 12 सितम्बर के पत्र में यहां तक कहा था कि किसी स्वतंत्र प्रेक्षक को इसकी जांच करने दी जाये । चीन सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है अपनी संयुक्त निरिक्षण की बात को दोहराया है । चीन को आक्रमणकारी कार्यवाही करने का बहाना न मिले इस ख्याल से हम उन्हें सुचित कर रहे हैं कि संयुक्त निरीक्षण पर हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

हम आशा करते हैं कि चीन वर्तमान स्थिति से फायदा उठा कर भारत पर हमला नहीं करेगा । मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि हम पूरी तरह सतर्क हैं और यदि हम पर हमला किया गया तो हम अपनी स्वतंत्रता के लिये दृढ निश्चय के साथ लडेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं एक स्पष्टिकरण चाहता हूं । (**अन्तर्बाधा**).....

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । मैं समझता हूं कि हमें, इस समय कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए । अब हम प्रतीक्षा करनी चाहिए और देखना चाहिए । मैं समझता हूं कि सभा यही चाहती हैं ।

क्या अब सभा गैर-सरकारी कार्यवाही पर विचार करना चाहेगी ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : तो सभा स्थगित होती है ।

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार, 20 सितम्बर, 1965/29 भाद्र, 1887 (शक) के दस बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Ten of the clock on Monday, September 20, 1965/Bhadra 29, 1887 (Saka).

GIPN—S6—37 Lok Sabha/65—1-7-66—600.